षोडश माला, खंड 12, अंक 11 बुधवार, 05 अगस्त, 2015

14 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 12 में 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक.11, बुधवार, 05 अगस्त, 2015 / 14 श्रावण , 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	14-18
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 223 से 227	17-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 228 से 242	
†*अतारांकित प्रश्न सं. 2531 से 2537, 2539 से 2560,2562, 2563, 2565 से 2581, 2583 से 2593, 2596 से 2637, 2639 से 2644, 2646 से 2669, 2671 से 2681, 2683 से 2718, 2720 से 2726, 2728 से 2737, 2739 से 2744, 2746 से 2756, 2758 और 2759	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	47-66

** किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

†* नियम 374 क के अंतर्गत सदस्यों के निलंबन के कारण अतारांकित प्रश्न सं. 2538, 2561, 2564, 2582, 2594, 2595, 2638, 2645, 2670, 2682, 2719, 2727, 2738, 2745, 2757 और 2760 का लोप किया गया और जैसा कि 5 अगस्त, 2015 के समाचार भाग-I में दर्शाया गया है।

नियम समिति

दूसरा प्रतिवेदन 67

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन 67

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

267वां तथा 268वां प्रतिवेदन 68

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः पहले और दूसरे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री एम. वेंकैया नायडू 69

(दो) 4.8.2015 को पश्चिम बंगाल रेलवे के खिरकिया और बिरंगी स्टेशनों के बीच कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में।

श्री सुरेश प्रभु 70-71

(तीन) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री रविशंकर प्रसाद 72-73

(चार) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राजीव प्रताप रूडी 74

(पाँच) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 75-76

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) तेलंगाना में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना करने में कथित विफलता से उत्पन्न स्थिति के बारे में 77-84

(दो) तमिलनाडु के मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में 87-88

नियम 377 के अधीन मामले **119-139**

(एक) रांची, झारखंड में यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 120

(दो) वसई-विरार नगर निगम को मेगा शहर घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री चिंतामन नावाशा वांगा 121

(तीन) दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश बिधूड़ी 122-123

(चार) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रीकोलायत और नोखा तहसील के अधीन अत्यधिक वर्षा के कारण संकट में आए गांवों में राहत और बचाव कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल 124

(पांच) महाराष्ट्र में गोशीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते 125

(छह) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राघव लखनपाल 126-127

(सात) केन और बेतवा नदियों को परस्पर जोड़े जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 128

(आठ) उत्तर प्रदेश में होम गार्ड और पीआरडी जवानों का वेतन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री कौशल किशोर 129

(नौ) मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक 130-131

(दस) उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र 132

(ग्यारह) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 133

(बारह) तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोर्टाल्लम के संबंध में सूचना जानने के लिए विदेशी और अंतर्देशीय पर्यटकों की सहायता हेतु मोबाईल एप्लीकेशन बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती एम. वसंती 134

(तेरह) तमिलनाडु में सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण और जल स्त्रोतों के पुनरूद्धार के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता निर्गत कराए जाने की आवश्यकता

श्री आर.पी. मरुदराजा 135

(चौदह) क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में किसी चिकित्सक को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणि सामल 136

(पंद्रह) महाराष्ट्र में सूखे के कारण संकट में आए किसानों के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रतापराव जाधव 137

(सोलह) भारतीय छात्रों को प्रदान की गई सभी मेडिकल डिग्रियों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जयदेव गल्ला 138

(सत्रह) आंध्र प्रदेश के अराकु निर्वाचन क्षेत्र को स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता 139

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2015-16 140

श्री हुकुम सिंह 141-146

श्री पी.आर सेन्थिलनाथन 147-152

श्री भर्तृहरि महताब 153-159

श्री विनायक भाऊराव राउत 160-163

श्री एम. मुरली मोहन 164-168

डॉ. उदित राज 169-170

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 171-173

श्री शरद त्रिपाठी 174-176

श्री सुभाष चंद बहेड़िया 177-175

श्री अरुण जेटली 179-192

मांगें- स्वीकृत हुईं 193

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक,2015 193

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव 193

विचार करने के लिए प्रस्ताव 194-195

खंड 2, 3 और 1 195

पारित करने के लिए प्रस्ताव 195

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 196-641

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा 196, 212

श्री जे. जे. टी. नटर्जी 197-198

श्री तथागत सत्पथी 199-199

श्री जगदम्बिका पाल 201-204

डॉ. वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली 205

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल 206-216

श्री रमेश बिधूड़ी 217-210

श्री पी.पी. चौधरी 211

खंड 2 से 4 और 1 212-213

पारित करने के लिए प्रस्ताव 215-216

नियम 193 के अधीन चर्चा

संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 220-232

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग)डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

बुधवार, 05 अगस्त, 2015 / 14 श्रावण , 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं।*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : नाम निर्देशित सदस्य शपथ लेंगे। महा-सचिव नाम की घोषणा करेंगे।

प्रो. रिचर्ड हे (मनोनीत)	शपथ	अंग्रेजी

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी, डा. पी. वेणुगोपाल और श्री पी. कुमार के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये मामले महत्वपूर्ण हैं लेकिन इसके लिए कार्य में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। अन्य तिथि में भी ये मामले उठाए जा सकते हैं। अत: मैं स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं कर रही हूं।

... (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, 25 सांसदों का निलंबन हुआ है। ...(व्यवधान)

यह लोकतंत्र की हत्या है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूंगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया मेरा साथ दें और सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद, मैं निश्चित रूप से आपको अनुमति दूंगी।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्नों का समय। प्र नं. 223 श्री नागेंद्र कुमार प्रधान

(प्रश्न संख्या 223)

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान: माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आर.ए.ए.) स्वर्गीय डॉ. ए. पी. जे. कलाम द्वारा शुरू किया गया था। 9 जुलाई, 2015 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति, अब्दुल कलाम ने अपने भाषण के दौरान, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया था और उन्होंने विज्ञान पर भी सबसे अधिक जोर दिया था।

तो, माननीय मंत्री महोदय से मेरा प्रश्न यह है... स्कूली छात्रों को जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसे कॉलेज के छात्रों तक बढ़ाया जा सकता है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव :जिन 25 सांसदों का निलम्बन हुआ है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम इसके विरोध में सदन से वॉक-आऊट करते हैं। ... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

इसके बाद श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री धर्मेन्द्र यादव, तारिक अनवर, श्रीमती सुप्रिया सुले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान: दूसरा, जो बजट प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान और आर.एम.एस.ए., के लिए दिया गया है, चाहे वह उस खाते से समायोजित किया जाए या एक अलग खाता हो, वह सर्व शिक्षा अभियान और आर.एम.एस.ए. के लिए होगा। … (*व्यवधान*)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: सबसे पहले मैं माननीय को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान हमारा मार्गदर्शन करने वाले स्वर्गीय डॉ. कलाम के शब्दों को उजागर करने के लिए सदस्य। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपके मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने दो-भाग वाले प्रश्न में कहा है कि क्या हम उच्च शिक्षा में इस तरह की कवायद के विस्तार पर विचार करेंगे। … (*व्यवधान*) माननीय सदस्य सही है। आने वाले महीनों में हम एक योजना तैयार करने की कोशिश करेंगे। …(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको 12 बजे जाने दूंगी। कृपया मेरे साथ धैर्य रखें। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपको अनुमति दूंगी।

… (व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: मंत्रालय के भीतर, हम उच्च शिक्षा के संस्थानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को शामिल करने और करने के लिए मार्ग तलाश रहे हैं। … (*व्यवधान*) इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान अपने आप में एक ऐसी रूपरेखा को शामिल करता है जिसमें स्कूली पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च

शिक्षा के संस्थान स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ मिल सकते हैं। … (*व्यवधान*)

जहां तक बजट घटक की बात है, जवाब में बताया गया है कि यह सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का एक हिस्सा है क्योंकि इन दो अभियानों के तहत, हम विशेष रूप से स्कूल प्रणाली में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको आश्वस्त कर रही हूं, मैं आपको 12 बजे बताऊंगी।

… (व्यवधान)

श्री नागेंद्र कुमार प्रधान: जब यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, तो पूर्वोत्तर राज्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा मंत्री जी क्या इसे देश के हर जिले में विस्तारित किया जा सकता है। जैसा कि मुझे पता है, रु. 5 लाख रुपये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में और सांकेतिक अनुदान के रूप में दिए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या हर जिले को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यदि, ऐसा है तो उन्हें कब कवर किया जाएगा?

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह सदस्य ने प्रश्न पर ही प्रकाश डाला है, क्योंकि यह एस.एस.ए और आर.एम.एस.ए के बीच प्रयासों का अभिसरण है, इसलिए देश के प्रत्येक जिले को शामिल किया गया है। विशेष रूप से उनका प्रश्न पूर्वोत्तर के संबंध में है। हम वर्तमान में पूर्वोत्तर के प्रत्येक जिले में विशेष रूप से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन, यह कहा जाए कि देश का कोई भी जिला राष्ट्रीय 'आविष्कार' अभियान से अछूता नहीं रहेगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार हाँसदाक :महोदया, स्वर्गीय ए.पी.जे.अब्दुल कलाम द्वारा एक अच्छा आभियान शुरू किया गया है। 'थिंक इन इंडिया' द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार आभियान की शुरूआत की गई है। अगर हम इतिहास देखें, तो पता चलता है कि हमारे पास पहले से ही बहुत नॉलेज है। हर ट्राइब और समाज में बहुत सारा नॉलेज पहले

से ही है, इसे हम इस आभियान से जोड़ सकते हैं इससे अगली जेनरेशन फायदा ले सकती है। हमारे पूर्व के नॉलेज को इससे जोड़ दिया जाए और इसे एक बढ़िया आभियान बनाया जाए। इसके लिए आबंटित धनराशि बहुत कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : मैं आदरणीय सांसद जी को उनके सुझाव के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। इन्होंने जो सजेशन दिया है कि हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज इको-सिस्टम का भी इसमें समावेश करें। मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूं कि आई.आई.टी के कन्सार्शीअम में 'संधि' नाम का एक कार्यक्रम है जिसमें यही प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशनल साइंस, टेक्नोलॉजी और इको-सिस्टम है, जो साइंस की दृष्टि से भारत को प्रभावित कर चुकी है उसे मार्डन समय में किस प्रकार अप्लाई किया जाए इसका प्रयास संधि कार्यक्रम के अंतर्गत हो चुका है, इसे स्कूल सिस्टम से जोड़ने के उनके सुझाव की मैं सराहना करती हूं और एक्सेपट करती हूं।

डॉ. मनोज राजोरिया :अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे प्रश्न काल के दौरान इतने महत्वपूर्ण विषय पर सप्लीमैंट्री क्वश्चेन पूछने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में कहा गया, आज ऐसी महान शख्सियत जो अपनी सोच की वजह से, बच्चों में प्रेरणा की वजह से, नये इनोवैशन करने के लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में ही भूमिका नहीं निभायी, बल्कि एक राष्ट्रभक्त होकर जिस तरीके से राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया, उसके प्रति पूरा देश आभारी है। हमारे राष्ट्र को उन्होंने अपनी जो सेवाएं दी हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत नमन करता हूं।

यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के माध्यम से 9 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार आभियान की शुरुआत की गयी। यह बड़ा दुखद विषय है कि आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। जैसे कि यह कार्यक्रम छः से अठारह वर्ष के बच्चों में विज्ञान, गणित और नये इनोवैशन्स की भावना के अनुरूप बनाया गया है। यह उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस राष्ट्रीय आविष्कार आभियान का नाम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से रखा जाये? क्या आप इस बारे में विचार करेंगी?

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदया, मैं आदरणीय सांसद जी की भावना से अवगत हूं और उसकी सराहना करती हूं। मैं जवाब देते वक्त इस बात का उन्हें ध्यान दिलाना चाहती हूं कि सवरशिक्षा आभियान और राष्ट्रीय माध्यामिक शिक्षा आभियान के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरूआत तब हुई, जब डॉ. कलाम हम सबके बीच में थे। वे सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। वर्तमान में यह स्कीम छः से अठारह वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है, लेकिन डॉ. कलाम की भावना यह थी कि भारत की युवा पीढ़ी में इतनी क्षमता है कि अगर उनमें हम अपना पूरा योगदान दें, तो जिस नवनिर्माण भारत की कल्पना हम करते हैं, उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए डॉ. कलाम से ही प्रेरित होकर, उनके मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उच्च शिक्षा के विभाग और संस्थानों में भी युवा पीढ़ी को और प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे।

डॉ. अरुण कुमार :अध्यक्ष महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन था कि इसे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के नाम से किया जाये, क्योंकि यह आविष्कार उन्होंने अपने चिंतन में किया था। यह एक बड़ी अच्छी योजना है। यदि यह उनके नाम से हो, तो राष्ट्र की जो भावना है, उसे बल मिलेगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: वह आपको एक सुझाव दे रहा है।

(प्रश्न संख्या 224)

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा देश के अनुसंधान संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं को छोड़ने की वर्तमान परिस्थितियां और पिछले तीन सालों में रिसर्च संस्थाओं को छोड़ गये वैज्ञानिकों और तकनीकविदों का कारण क्या है और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं, जिनमें वैज्ञानिकों के जाने से हमें नुकसान हो सकता है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, हमारी जितनी भी रिसर्च लैब्स हैं, उनमें काम करने वाले साइंटिस्ट्स द्वारा पिछले काफी वर्षों से उन लैब्स को छोड़ने की आशंका माननीय सदस्य महोदय ने जतायी है, वह वास्तविक न होकर काल्पनिक हो सकती है। पिछले अनेक वर्षों और विशेषकर, जैसे उन्होंने पिछले तीन वर्षों के डाटाज के बारे में चर्चा की है, उनका अध्ययन करने पर स्पष्ट रूप से यह समझ में आता है कि हमारी लैब्रोरटीज में आज उनके लिए रिसर्च की फैसिलिटीज और दूसरी सभी संबंधित फैसीलिटीज वर्ल्ड क्लास की हैं। कहीं भी हमारी किसी लैब्स से साइंटिस्ट्स के छोड़कर जाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है। अगर हम संख्या की दृष्टि से भी आकलन करें, तो यह संख्या एवरेज दो प्रतिशत से भी कम आती है। इन दो प्रतिशत लोगों का भी कारण व्यक्तिगत है या किसी का अपना पारिवारिक दृष्टिकोण है, जिसके कारण उन्होंने अपनी लैब्स को दूसरे इंस्टीट्यूशन्स में जाकर परिवर्तित किया होगा। अभी हमारे साइंटिस्ट्स के लिए हमारी लैब्रोटरीज में अनेक प्रकार की फैलोशिप्स, स्कॉलरशिप्स हैं। उनकी पे के इमोल्युमेंट्स की दृष्टि से टाइमबाउंड प्रमोशन्स, मेरिट की दृष्टि से प्रमोशन, इन्सेन्टिव बेस्ड प्रमोशन, रामालिंगा स्वामी फैलोशिप, रामानुजम फैलोशिप्स और बहुत किस्म की इन्सपायर करने वाली फैलोशिप्स अलग-अलग लैवल पर स्टुडेंट्स से लेकर रिसर्च साइंटिस्ट एस्टेबलिश होने तक चलती हैं। लैब्स के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने के लिए अनेक प्रकार की ग्रांट्स इत्यादि हर एक साइंटिस्ट के लिए स्टेट आफ दि मॉडर्न रिसर्च करने के लिए उपलब्ध है। पिछले वर्षों में साइंस की लैब्रोटरीज़ के लिए रिसर्च की ग्रांट्स में बड़ी सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है। अब वास्तविक स्थिति यह है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे वैज्ञानिक, जिन्होंने विदेशों में जाकर काम करना शुरु कर दिया था, स्कालरशिप्स और जो फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है, के माध्यम से बड़ी संख्या में भारत में वापस आ रहे हैं। अगर मैं रफ

आंकड़े की बात करूं, तो 600 से ज्यादा ऐसे वैज्ञानिक हैं जो विदेश में थे, उन्होंने इस प्रकार की फैसिलीटिज़ को अवेल करने के लिए एप्लाई किया है, जिसमें से करीब 440-450 का सलैक्शन हुआ। माननीय सदस्य की एप्रिहेंशन शायद फैक्ट्स पर आधारित नहीं है। हमारी सरकार साइंटिस्ट्स के लिए हर प्रकार की सुविधा को बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है और गहराई तथा गंभीरता से विचार करके नई योजनाओं के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ा रही है।

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा: देश के अनुसंधान संस्थानों में निरंतर वैज्ञानिक मिलते रहें, क्या ऐसी स्पेशल रिसर्च एजुकेशन युनिवर्सिटी शुरु करने की कोई योजना है? आदरणीय मिसाइल मैन स्व. श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भारत के गरीब मेधावी एवं समाज के पिछड़े वर्ग के छात्र बन सकें, क्या ऐसी कोई योजना है?

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अभी चर्चा भी की है, आपके प्रश्न के दो भाग हैं। हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैब्स में वैज्ञानिकों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडीविजुअल लैब और विशेष किस्म की रिसर्च स्टेट आफ दि आर्ट और वर्ल्ड क्लास करने के लिए सब प्रकार की सुविधा देने के लिए एन्क्रेजमेंट है। इसके अलावा सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलाजी डिपार्टमेंट की लैब्स में नहीं बल्कि सैंकड़ों इस प्रकार के दूसरे साइंस के इंस्टीट्यूशन्स, चाहे युनिवर्सिटीज़ में हों या दूसरे संस्थानों या प्राइवेट क्षेत्र में हों, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से प्रमोट करने के लिए इन्कलूडिंग आईआईटीज और बड़े संस्थानों में अनेक प्रकार की ग्रांट्स दी जाती हैं। माननीय सदस्य ने एक बात गांव के बच्चों के लिए कही है। हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्सपायर प्रोग्राम्स हैं। मान लीजिए देश में पांच लाख स्कूल हैं, तो करीब 10 से 15 साल के बच्चों के लैवल पर 2.5 लाख बच्चों को स्कालरशिप वन टाइम के हिसाब से दी जाती है। 10वीं और 12वीं के बीच में फिर स्कालरशिप देने के प्रोग्राम्स हैं। एम.एस.सी, बी.एस.सी करने के समय पर 5,000 रुपए महीना लगातार स्कालरशिप देने के प्रोग्राम्स हैं। फैकलटी लैवल पर भी है। इस तरह एक प्रकार से बहुत एग्जास्टिव और काम्प्रिहेन्सिव प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टुडेंट के अंदर साइंस का पैशन विकसित हो, ताकि उसकी भावना मजबूत हो। साइंस को जनमानस का बड़ा मूवमेंट बनाने के लिए डिपार्टमेंट आग्रहपूर्वक काम कर रहा है। हम इसे और तेजी से आगे बढ़ाएंगे।

श्री गोपाल शेट्टी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रश्न के उत्तर में विस्तृत जानकारी दी है। माननीय सदस्य विनोद जी ने जो प्रश्न पूछा है उससे बहुत सी जानकारी हासिल हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 600 से ज्यादा साइंटिस्ट्स विदेश से वापस आए हैं। इस बात की हमें चिंता करनी पड़ेगी। मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि छठा और सातवां वेतन आयोग इम्पलीमेंट करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि साइंटिस्ट्स को छठे और सातवें वेतन आयोग के साथ जोड़ना नहीं चाहिए, इनको अलग दर्जा, स्तर देना होगा। जब भारत में मैन पावर और साइंस पावर एकत्रित होगा तभी हम सुपर पावर की ओर बढ़ पाएंगे इसलिए इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में बहुत ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। वर्ष 1942 में 17000 से भी आधिक सामूहिक कर्मचारी और अधिकारी इस क्षेत्र में काम करते थे। 37 प्रयोगशालाएं और 39 क्षेत्र स्टेशनों के विस्तार में जो हमारा आर. एंड. डी विभाग है, यह काम करता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 73 साल के सफर के बाद आज इस विभाग की क्या स्थिति है? यहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? वैज्ञानिकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? इन सारी बातों की जानकारी अगर हमें उपलब्ध होगी, तो हम इस क्षेत्र के बारे में आने वाले दिनों में विचार कर पाएंगे। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों को अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षेत्र से अलग करके इनके बारे में हमें सोचना चाहिए। क्या मंत्री जी इनके बारे में सोचेंगे?

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष जी, अगर सांसद महोदय प्रश्न का उत्तर गहराई से पढ़ेंगे, तो उसमें हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि वैज्ञानिकों को हम लोग दूसरे विभागों के रुटीन कर्मचारियों या आधिकारियों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए जो दूसरे इमोल्युमेंट्स और दूसरी सुविधाएं वगैरह हैं, यानी केवल छठा पे कमीशन ही नहीं है, छठा पे कमीशन तो दूसरे कर्मचारियों के लिए भी है और वैज्ञानिकों के लिए भी लागू है। अभी सेवंथ पे कमीशन भी सरकार ने ऑलरेडी एपाइंट किया हुआ है लेकिन इसके लिए हमारी जितनी भी फ्लैक्सिबल काम्पलीमेंटिंग स्कीम्स हैं, मैरिट बेस्ड प्रमोशन स्कीम्स हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड स्कीम्स हैं और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि कई किस्म की रिसर्च फैलोशिप हैं जिनकी दृष्टि से साइंटिफिक विभाग को

मजबूत बनाने की दिशा में हम वैज्ञानिकों को एक विशेष प्रकार के दृष्टिकोण से ट्रीट करते हैं। जो भी योग्य साइंटिस्ट हैं या जो भी व्यक्ति इसके अंदर पैशन से काम करना चाहता है, उसके लिए राइज करने का और समय से पहले प्रमोशन लेने का बहुत स्कोप है। उसके लिए अपनी चीजों को रिसर्च के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी बहुत स्कोप है। सी.एस.आई.आर लैब के अंदर जो वैज्ञानिक नयी-नयी तकनीक निकालते हैं, उन तकनीक को ट्रांसफर करने के बाद इंडस्ट्री को उसके अंदर से जो पॉजीटिव गेन्स होते हैं, जो फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, उनको भी हम लोग वैज्ञानिकों के साथ शेयर करते हैं। जो उन्होंने 50-70 साल पुराना लैबोरेट्रीज का इतिहास प्रस्तुत किया, उसके मुकाबले विभाग अभी बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हो चुका है। सी.एस.आई.आर की हमारी 38 से ज्यादा लैबोरेट्रीज हैं। साइंस एंड टैक्नोलॉजी के 25 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस देश में प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास हैं। इसके अलावा आज साइंस मिनिस्ट्री की दस बड़ी लैबोरेट्रीज हैं। अगर हम सारे देश में इसकी गिनती करें तो 1 लाख 92 हजार हमारे वैज्ञानिक और रिसर्च स्कॉलर्स हैं और अभी पिछले दिनों नेचर मैगजीन ने स्टडी की थी जिसमें भारत के वैज्ञानिकों का जापान, चाइना और अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ हैप्पीनैस इंडैक्स लैवल असैस किया गया था जिसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसमें भारत के वैज्ञानिकों का जो हैप्पीनैस इंडैक्स है, वह जापान और चाइना के वैज्ञानिकों से बेहतर है। हम थोड़े से अमेरिका के मुकाबले कम हैं और अमेरिका जैसे विकसित देश में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, यद्यपि उन पैरामीटर्स को हम भारत के साथ कमपेयर नहीं कर सकते हैं लेकिन उन पैरामीटर्स को अगर हम कमपेयर करने की कोशिश भी करें तो वे काफी हद तक कमपैरेबल हैं। हमारे वैज्ञानिकों को अमेरिका के मुकाबले भी बहुत सारी सुविधाएं यहां पर मिलती हैं।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी भी उत्तर थोड़ा ब्रीफ में करें, जैसा हम प्रश्न के लिए बोलते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृष्णन: माननीय अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं अपने सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछूं, सबसे पहले, मैं अपनी पूज्य नेता, पुर्तची थलाइवी अम्मा से प्रार्थना करता हूं

यह स्पष्ट है कि हमारे देश में वैज्ञानिक प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है। यह बुरी बात है कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक विद्वानों के पास प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त मंच नहीं हैं और देश में उन्हें उचित मान्यता नहीं दी जा रही है।

महोदया, हमारे नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने हमारे दूसरे महात्मा, डॉ. ए.पी.जे. के नाम पर एक पुरस्कार की स्थापना की अब्दुल कलाम।

मैं माननीय से जानना चाहूंगा मंत्री जी क्या सरकार के पास डॉ. ए.पी.जे. के नाम पर कोई पुरस्कार स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, उन लोगों के लिए जिन्होंने देश में वैज्ञानिक उत्कृष्टता हासिल की है।

डॉ. हर्ष वर्धन: आदरणीय महोदया, मुझे लगता है कि भारत के एक महान राष्ट्रपति और इस देश के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से एक के रूप में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शानदार योगदान के बारे में हम में से किसी के बीच या इस देश में किसी के बीच कोई मतभेद नहीं है। और, मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से चीजों की उपयुक्तता में है। लेकिन यह किसी विशेष सदस्य या किसी विशेष पार्टी के सदस्य की भावना नहीं है। यह पूरे देश की भावना है और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा मंत्रिमंडल इस मामले पर बहुत विस्तार से चर्चा करेगा और हम निश्चित रूप से डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की स्मृति में न केवल विज्ञान के लिए बल्कि मुझे लगता है कि मूल्यों, शिक्षा और बहुत सी चीजों के लिए संस्थागत रूप देंगे जिनकी इस देश को आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राउत : अध्यक्ष जी, बी.ए.आर.सी में काम करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, मेरी जानकारी से पिछले कई वर्षों से यहां से लापता होने वाले वैज्ञानिकों की संख्या बढ़ी है। उनकी सुरक्षा का प्रावधान करने

की अत्यंत जरूरत है। बी.ए.आर.सी में एक बिल्डिंग है, उसे सुसाइड बिल्डिंग कहते हैं। इस बिल्डिंग से कई वैज्ञानिकों ने आत्महत्या की है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुम्बई की बी.ए.आर.सी में काम करने वाले वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए मंत्री जी क्या प्रावधान करेंगे?

[अनुवाद]

डॉ. हर्ष वर्धन: जहां तक वर्तमान प्रश्न का संबंध है, यह सीधे मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है लेकिन मैं सरकार की ओर से उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि विभिन्न तथ्यों से उत्पन्न स्थिति के बारे में उनकी जो भी आशंकाएं और चिंताएं हैं जो उन्होंने विस्तार से बताई हैं क्योंकि यह परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित एक प्रश्न है जो सीधे मेरे दायरे में नहीं आता है, और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हम संबंधित मंत्री को उनकी भावनाओं से अवगत कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उनकी सभी चिंताओं का पर्याप्त और गंभीरता से समाधान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी : महोदया, पूरे विश्व की 17 परसेंट जनसंख्या हमारे देश की है। हमारा कोई भी इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस में से 200वें नम्बर पर नहीं आता है। देश के जितने भी पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, वे भी बहुत मुश्किल से किसी वैज्ञानिक को दिया जाता है। इज़्राइल जैसे छोटे देश ने 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन हमारे यहां मुश्किल से चार-पांच लोगों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी सिस्टेमेटिक तरीके से जैसे ओलम्पिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही क्या सरकार ने कोई गोल निश्चित किया है कि हमारे देश के वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत सकें या वर्ल्ड क्लास इन्वेंशन करें, क्योंकि वर्ल्ड क्लास इन्वेंशन हमारे यहां से मुश्किल से हुआ है? क्या सरकार ने इस दिशा में कुछ सोचा है?

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों के जो रिसर्च पब्लिकेशंस होते हैं, उसमें हम पूरे विश्व में छठे स्थान पर हैं। उस दृष्टि से हमारा ग्रोथ रेट 17 परसेंट

है, अमरीका जैसे देश में 4-5 परसेंट तक है। इसमें दो मत नहीं है कि जितनी मात्रा में हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की है, रिसर्च की है, वर्षों तक उन्होंने त्याग तपस्या की है, उसके मुकाबले हम लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिले हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोग बहुत गहराई और गंभीरता से इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने देहरादून में दो दिनों तक लगातर सी.एस.आई.आर की लैब्स के डायरेक्टर्स और उसके बाद हैदराबाद के अंदर हमारे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलोजी विभाग के डायरेक्टर्स थे और हैड आफ दि इंस्टीट्यूशंस थे तथा सातों आईआईटीज़ के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर माननीय सदस्य द्वारा जो विषय उठाया गया है, उसके ऊपर बहुत गहराई से हम लोगों ने विश्लेषण किया है कि आने वाले भविष्य में हमने अभी तक जो किया है उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं, ताकि हमें परसेप्टेबल और मैजरेबल चेंजिज मिलें जिनसे हमारे देश को साइंस की दृष्टि से भी और साइंस को जनता के साथ जोड़ने की दृष्टि से भी और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी एम्बीशिएस प्रोग्राम्स लाँच किए हैं, उनके अंदर वैज्ञानिकों का क्या कंट्रीब्यूशन हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो प्रतिभा है और ज्यादा वह खिलकर आए इसके लिए हम लोग बहुत गहराई और गंभीरता से बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य को यह बात भी बताना चाहता हूं, यह बात मैं शायद तब न कह पाता जब मैं साइंस एंड टेक्नोलोजी मिनिस्टर था क्योंकि मैंने लैब्स को अंदर तक नहीं देखा था कि आप अगर लैब्स को अंदर तक जाकर और भारत के वैज्ञानिक जो कर रहे हैं, उसे आप देखेंगे और समझेंगे तो शायद आपको अपने देश के वैज्ञानिकों पर और उनकी प्रतिभा पर निश्चित रूप से गर्व होगा और आपको लगेगा कि हम दुनिया में किसी से भी किसी भी दृष्टि से कम नहीं हैं।

(प्रश्न संख्या 225)

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सुंदरम : अध्यक्ष महोदया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना तकनीकी विकसित करने के लिए की गई थी। इन आई. आई. टी. की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। अकेले पिछले साल, विभिन्न आई.आई.टी. में 14 छात्रों की मृत्यु हो गई है और कई को खराब प्रदर्शन के लिए निष्कासित कर दिया गया है। संयोग से, ड्रॉप-आउट होने वाले कई छात्र ओबीसी, एससी और एसटी जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से हैं।

हमारी प्रिय नेता, पुरात्ची तलैवी अम्मा, सामाजिक न्याय की हिमायती हैं - तमिल में इसका अर्थ है समूहा नीधि कथा वीरांगनाई – जिन्होंने तमिलनाडु में ओ.बी.सी, एस.सी और एस.टी को 69 प्रतिशत आरक्षण का संवैधानिक संरक्षण दिया। अम्मा के एक सच्चे अनुयायी के रूप में, मैं यह सवाल उठाता हूं।

आई.आई.टी. द्वारा ड्रॉप-आउट दर को कम करने के लिए पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसे छात्रों को सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा, जे.ई.ई. पास करने के बावजूद अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को बनाए रखने में मदद क्यों नहीं की जा रही है? उन्हें निष्कासित करने के बजाय विशेष कक्षाएं, क्यों नहीं चलाई जा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी): माननीय अध्यक्ष महोदया, जबकि मैं सम्मान की सराहना करती हूं। सदस्य के पास अपने पार्टी नेतृत्व के लिए है, मैं कुछ तथ्यों का विरोध करना चाहूंगी जिन्हें उन्होंने अपने प्रश्न में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

सबसे पहले, उनका यह संकेत कि आई.आई.टी. पारिस्थितिकी तंत्र और आई.आई.टी परिवार में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वे आई.आई.टी. में शैक्षणिक वातावरण के दबाव को बनाए रखने में असमर्थ हैं, गलत है। दूसरा उदाहरण जो मैं कहना चाहूंगी, जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा समझाया गया है। उनके प्रश्न में सदस्य, क्या यह तथ्य है कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों या शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं किया जाता है। सबसे पहले, यहां यह कहा जाना चाहिए, और बहुत गर्व सेकि जो बच्चे आई.आई.टी.

पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करते हैं, वे देश की सबसे कठिन परीक्षा जे.ई.ई. एडवांस्ड को क्रैक करने के बाद ऐसा करते हैं, जो अपने आप में उनकी शैक्षणिक प्रतिभा और अकादमिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वे चुनते हैं।

आई.आई.टी. पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर, पहले वर्ष में ही, जैसा कि उत्तर दर्शाता है, विभिन्न कक्षाएं हैं जो विशेष रूप से उन बच्चों के लिए की जाती हैं जो शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे बच्चे जो समाज के कमजोर वर्गों से हैं। इन पहलों का मार्गदर्शन विशेष रूप से वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। बच्चों को निर्देशित किया जाता है और बच्चों का निर्धारित वर्ष के अंत में नहीं किया जाता है, बल्कि उनका मूल्यांकन मासिक, त्रैमासिक और अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाता है ताकि संकाय के सामने प्रस्तुत की जाने वाली कोई भी चुनौती एक चुनौती हो जिसे संकाय संबोधित कर सके।

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करती हूं सदस्य ने कहा कि आई. आई. टी. पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संकाय को आई. आई. टी. के छात्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली किसी भी चुनौती का आई. आई. टी. द्वारा सहायक तरीके से सामना किया जाएगा।

श्री पी.आर. सुंदरम : माननीय अध्यक्ष महोदया, आई.आई.टी रुड़की ने 8.7.2015 को दूसरे सेमेस्टर में पाँच संचयी ग्रेड बिंदु औसत से कम अंक प्राप्त करने के लिए 73 छात्रों को निष्कासित कर दिया। जिन छात्रों को निष्कासित किया गया था वे आरक्षित श्रेणी के हैं क्योंकि 31 एस.टी., 23 एस.सी., 4 शारीरिक रूप से विकलांग और 8 ओ.बी.सी. हैं। निष्कासित किए गए सभी छात्रों को आई. आई. टी. रुड़की द्वारा वापस ले लिया गया था क्योंकि उनके निष्कासन पर जोरदार शोर मचा था। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इसकी कोई जांच की है।

इसी तरह, जैसा कि चेन्नई में हुआ, उन्हें पेरियार-अंबेडकर स्टडी सर्कल जैसे मंचों के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध करने से क्यों रोका जा रहा है?

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदया, यद्यपि माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न का उत्तर चाहते हैं, जो पूछे गए प्रश्न से संबंधित नहीं है।

सबसे पहले, जब छात्र आई. आई. टी. की शैक्षणिक सुविधा में प्रवेश करते हैं तो वे संस्थान को आश्वस्त करते हैं और एक वचन देते हैं कि उनके शैक्षणिक मानक क्या हैं जो ये छात्र न केवल आकांक्षा करेंगे बल्कि प्राप्त भी करेंगे। यह तब होता है जब इन मानकों को प्राप्त नहीं किया जाता है कि आई.आई.टी. जो संसद के एक अधिनियम द्वारा वांछित स्वायत्त संस्थान हैं -- अपने भीतर छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निष्कासित करने या वरीयता देने की क्षमता रखते हैं। आई.आई.टी., रुड़की की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी गई थी और अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए आई.आई.टी. के अधिकार को बरकरार रखा कि अकादमिक प्रदर्शन -- जिसे छात्रों ने खुद बनाए रखने का वचन दिया था -- को बरकरार रखा जाए। हालाँकि, आई. आई. टी., रुड़की ने इन छात्रों को वापस लेने की पहल तभी की जब वे फिर से उन शैक्षणिक मानकों को पूरा करते हैं जो उन्होंने प्रणाली में प्रवेश करने पर दिए थे।

जहां तक आई. आई. टी., चेन्नई के मुद्दे का सवाल है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदया, कि आई. आई. टी., चेन्नई के मामले में भी यह संस्थान, शैक्षणिक कार्यकारी परिषद और छात्र परिषद है, जिसमें संस्थान के भीतर छात्र निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो आई. आई. टी. परिसर के भीतर किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए मानक निर्धारित करते हैं। इसलिए, मेरे समक्ष जो प्रश्न रखा गया था, वह एक मंत्री के रूप में विवादित है।

श्री कोनाकल्ला नारायण राव: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मैं माननीय मंत्री महोदया से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि हम सभी ने कुछ समय से हमारे देश की युवा आबादी से मिलने वाले जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में सुना है, लेकिन हम इस लाभांश का लाभ तभी उठा सकते हैं जब हम अपने युवाओं को प्रशिक्षित और शिक्षित करें ताकि वे 21वीं सदी में दुनिया की पेशकश का लाभ उठा सकें। देश के लिए कम पढ़े-लिखे, बेरोजगार और रोजगार के लायक न होने वाले युवाओं की भीड़ से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, जिनका

हमारे समाज में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए, भारत में शिक्षा केवल एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा भी है।

हमारे यहां प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ-साथ प्रशिक्षण संस्थानों की भी कमी है। अगर हम शिक्षकों को बुरी तरह से प्रशिक्षित करते हैं, तो वे बच्चों को बुरी तरह पढ़ाएंगे। उच्च शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आई. आई. टी., एन. आई. टी., आई. आई. एम. में स्थिति और भी खराब है, जो शिक्षकों की भारी कमी के कारण पीड़ित हैं।

मैं माननीय से जानना चाहूंगा मंत्री महोदय, क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ समय पहले इस बात का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है कि स्कूल छोड़ने की दर क्यों बढ़ी है और शिक्षक-छात्र अनुपात कम क्यों हो गया है।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष महोदया, हालांकि माननीय सदस्य एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जो पूछे गए प्रश्न के लिए प्रासंगिक नहीं है, हालांकि, मैं कहूंगी कि यह भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए एक निरंतर जुड़ाव और प्रयास है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, एन.आई.टी, आई.आई.एम, आई.आई.टी, आई.आई.आई.टी, आई.आई.एस.ई.आर के भीतर शिक्षकों की रिक्तियां और चुनौतियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें हम उन संस्थानों के साथ जोड़ते हैं और संबोधित करना चाहते हैं।

जहाँ तक पर्याप्त प्रतिभा न होने का परिणाम है, जो शिक्षण पेशे में आ रहा है, सम्मान के रूप में। सदस्य को याद होगा कि माननीय। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर 2014 को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की, जिसमें अच्छी शिक्षण प्रथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक भूमिका की परिकल्पना की गई है; हमारे युवाओं को शिक्षण पेशे में आने के लिए प्रोत्साहित करना; और साथ ही हमारे शिक्षकों के लिए सेवा में प्रशिक्षण प्रदान करना।

जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में कोई समिति गठित की गई है, तो वह विशिष्ट समिति -- मुझे नहीं पता कि उन्हें यह जानकारी कहाँ से मिली -- मौजूद नहीं

है। हालाँकि, केंद्रीय विश्वविद्यालय पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शिक्षण व्यवसायों में चुनौतियों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है।

[हिन्दी]

श्री सी.आर.चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद आर्पित करूँगा। उन्होंने बहुत विस्तृत जवाब दिया है। इन्होंने हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया है। इस रिप्लाई में स्पष्ट होता है कि तीन आई.आई.टी. हैं जहाँ पर लड़कों का ड्रॉप-आऊट ज्यादा रहा है। जहां पर लड़कों का ड्रॉप-आउट ज्यादा रहा है, उनमें दिल्ली, खड़गपुर और रुड़की हैं। ये तीन सर्वश्रेष्ठ संस्थान हैं। मैं समझता हूं कि इसका मेन कारण यह हो सकता है, इसके बारे में प्रश्न में पूछा नहीं गया था, इन तीनों संस्थानों में ड्रॉप-आउट इसलिए भी हो सकता है कि वे पीजी स्टूडेंट्स हों। जनरली पी.जी. स्टूडेंट्स किसी संस्थान को मेरिट के आधार पर ज्वाइन करते हैं। जैसे ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षा या प्रशासनिक सेवा में मौका मिलता है, वे संस्थान छोड़ देते हैं। यदि यही कारण है, तो यह एक स्वस्थ कारण है। अगर यह रीजन नहीं है तो दूसरा रीजन यह हो सकता है कि फैकल्टी सही नहीं हो, लेकिन अगर फैकल्टी सही नहीं होती तो लोग वहां एडमिशन लेने के लिए इतने आतुर नहीं होते। इसलिए फैकल्टी बहुत अच्छी है। फिर भी हो सकता है वहाँ संकाय की कमी है. तीसरा, सबसे अच्छा शिक्षण, सबसे अच्छा प्रशिक्षण और प्लेसमेंट है। इन संस्थानों में प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। इस कारण भी पीजी और पीएचडी करने वाले लड़के बीच में छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि फैकल्टी रीजन और पी.जी. स्टूडेंट्स के लिए सुविधाओं को भी आप देखें कि कहीं सुविधाओं की कमी तो नहीं है, टीचिंग फैकल्टी पूरी है और कम से कम इस कारण से बच्चे छोड़कर न जाएं। इस बात को जरूर एनश्योर करने के लिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय। सदस्य एक धारणा बनाते हैं, जो आंशिक रूप से सही है, जो यह है कि आई.आई.टी. अपने संस्थानों के भीतर विभिन्न चर के आधार पर डेटा एकत्र करते हैं। कुछ यू.जी. के फिगर्स देते हैं, कुछ यू.जी., पी.जी., पी.एच.डी, एम.एससी का डेटा देते हैं, इसलिए वह अंतर हमें इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन दिखाई देता है क्योंकि ड्रॉप-आउट की एक समान डेफिनिशन नहीं है,

जो प्रत्येक आई.आई.टी में लागू हो। चूंकि आई. आई. टी. स्वायत्त संस्थान हैं, वे लोग इस वैरिएबल को अपने फिगर्स में प्रोजेक्ट करते हैं।

जहां तक टीचर्स की कमी होने की वजह से ड्रॉप-आउट की बात है, वह सही नहीं है। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि आई.आई.टी. कानपुर में न्यु फैकल्टी - न्यू होप के नाम से एक प्रयास चल रहा है, जिसमें एग्जिस्टिंग यंग फैकल्टी को इन-हाउस रिसर्च के लिए प्रोत्साहित को किया जाता है, उनको एकेडेमिक और मैटेरियलिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, ताकि हम उन्हें वहीं पर रिटेन कर सकें। मैं आदरणीय सांसद जी को बताना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स से हमारा एंगेजमेंट मात्र तब तक नहीं है जब तक वह आई.आई.टी. के इकोसिस्टम में है, आई.आई.टी. के इकोसिस्टम में आने के लिए भी जब छात्र प्रयास करता है, हाल ही में कई छात्रों ने मंत्रालय को अवगत कराया कि आई.आई.टी. की एक्सेप्टेंस फी जनरल कैटेगरी में 45,000 रुपये और एस.सी.-एस.टी. कैटेगरी में 20,000 रुपये है। छात्रों ने कहा कि अगर हमें कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता तो क्या यह संभावना है कि भारत सरकार हमारी मदद करे, यह पैसा हमें वापस दिया जाए, भले ही एक न्यूनतम फी प्रोसेसिंग के लिए हमसे ले लें। स्टूडेंट्स के इसी विचार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सभी आई.आई.टीज, एन.आई.[अनुवाद]टीज से निवेदन किया है कि जिन लोगों को कोर्स में एडमिशन नहीं मिला है, उनका पैसा वापस किया जाए न्यूनतम प्रसंस्करण शुल्क लेने के बाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

डॉ. एम. तंबिदुरै: माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि विभिन्न संस्थानों में पढ़ाई बीच में ही क्यों छोड़ दी जाती है। यदि हम लिखित उत्तर के अनुलग्नक को देखें, तो मुंबई में 72 ड्रॉपआउट हैं; दिल्ली में, 169 ड्रॉपआउट हैं; खड़गपुर में, 209 ड्रॉपआउट हैं; और रुड़की में, 228 ड्रॉपआउट हैं। इस तरह, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या भी अधिक है। साथ ही, यदि आप मंडी जैसे अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की तुलना करें, तो यह शून्य है; जोधपुर में, यह शून्य है; कानपुर में, यह शून्य है; मद्रास में,

यह शून्य है; और गांधीनगर में, यह केवल एक है। यदि आप एन.आई.टी भी लेते हैं, तो कालीकट के प्रतिष्ठित संस्थान में 72 ड्रॉपआउट हैं; जयपुर में, 136 ड्रॉपआउट हैं; कुरुक्षेत्र में, 129 ड्रॉपआउट हैं, राउरकेला में, 139 ड्रॉपआउट हैं; और रायपुर में, 67 ड्रॉपआउट हैं।

लेकिन मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है : "ड्रॉपआउट के कारणों को अन्य कॉलेजों/संस्थानों में स्थानांतरित करने, व्यक्तिगत कारणों, चिकित्सा कारणों, पी.जी पाठ्यक्रमों के दौरान नौकरी पाने, शैक्षणिक तनाव, से निपटने में असमर्थता आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। " जब आपने अभी जवाब दिया, तो इसमें इस कारण का उल्लेख नहीं था, लेकिन लिखित जवाब में आपने कहा है कि तनाव एक और कारण है। आपको यह पता लगाना होगा कि उन्होंने इन संस्थानों को क्यों छोड़ दिया है क्योंकि कुछ समस्या हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छात्र प्रतिष्ठित संस्थानों से अनुमति नहीं जा सकते हैं। वे बड़ी संख्या में मुंबई और दिल्ली के संस्थानों से क्यों जा रहे हैं, लेकिन वे मद्रास के संस्थानों से नहीं जा रहे हैं। वहाँ किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तकनीकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र में भी कई संस्थान खोले गए हैं, जहां बेरोजगारी की समस्या के कारण बहुत सी सीटें खाली हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जहां तक आई. आई. टी. का सवाल है, वे प्रतिष्ठित संस्थान हैं। वहाँ से उत्तीर्ण होने वाले अधिकांश छात्र विदेश जा रहे हैं। इस तरह का अंतर क्यों है? आपने कहा था कि अकादमिक तनाव कोई कारण नहीं था। तथापि, अपने मौखिक उत्तर में, आपने एक कारण के रूप में अकादमिक तनाव का उल्लेख किया है। आई.आई.टी. में इतनी विसंगतियां क्यों हो रही हैं? क्या इसका कोई सामाजिक कारण है? उदाहरण के लिए, रैगिंग हो रही है और जिसके कारण कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। इन मुद्दों को हल करने के लिए आप क्या निवारक कदम उठा रहे हैं?

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: मैं पूरी विनम्रता के साथ माननीय डॉ. तंबिदुरै से कहना चाहती हूँ कि इस प्रश्न को मुझसे पूछने वाले पहले सांसद को दिए गए अपने जवाब में मैंने कहा था कि मैं इस तथ्य का विरोध करता हूँ कि आईआईटी के भीतर शैक्षणिक तनाव या समाज के कमजोर तबके के बच्चों या शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के सामने आने वाली शैक्षणिक चुनौतियों से निपटने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं पूरी

विनम्रता के साथ यहाँ दृढ़ता से कहना चाहूँगी कि यह कहना कि छात्र तनाव नहीं लेते, मेरा बयान नहीं है। मैंने कहा कि हमने एक तंत्र प्रदान किया है जिससे इस पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव में रहने वाला छात्र संपर्क कर सकता है और मदद और मार्गदर्शन मांग सकता है।

जहाँ तक माननीय सदस्य आई.आई.टी. – खड़गपुर, आई.आई.टी. – दिल्ली और आई.आई.टी. – रुड़की के संबंध में डॉ. तंबिदुरै का सवाल कि इन तीनों संस्थानों से ड्रॉपआउट की संख्या में भारी वृद्धि क्यों हो रही है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगी कि इन तीन संस्थानों के अलावा, यहां तक कि मुंबई, में भी विभाग ने इन संस्थानों के साथ संवाद किया है और कारण पूछे हैं कि उन्हें क्यों लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में ड्रॉपआउट हैं। मुझे विश्वास है कि संस्थाएं जल्द ही भारत सरकार को जवाब देंगी। हालांकि, मैं यहां यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराती हूं कि इन आई.आई.टी. के भीतर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि शैक्षणिक तनाव से निपटने का तंत्र और आई.आई.टी. के भीतर कमजोर, छात्रों को खुद को मजबूत करने में मदद करने का तंत्र कुछ ऐसा है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हमेशा के लिए रहेगा।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: कृपया शार्ट क्वेश्चन पूछें, बड़े अच्छे तरीके से प्रश्नोत्तरी हो चुकी है।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, अधिकांश छात्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) में उत्तीर्ण होते हैं, जो आई. आई. टी. के लिए एक प्रवेश परीक्षा है, विशुद्ध रूप से कोचिंग कक्षाओं के आधार पर जहां वे इतने कम समय में सतही स्तर पर पढ़ाते हैं। ऐसे अधिकांश छात्र, जबकि स्कूल से विज्ञान की पृष्ठभूमि के हैं, जिनके पास कार्यक्रम की बुनियादी बातों की कमी है, वे स्कूल सीखने की कीमत पर परीक्षा पास करने के लिए ऐसे केंद्रों में शामिल होते हैं। इसके अलावा, कई इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए मौलिक ज्ञान की आवश्यकता होती है जो स्कूल स्तर की परीक्षा में पढ़ाया जाता है। अभी, माननीय सभापति जी डॉ. तंबिदुरै ने कहा है कि अकादमिक

तनाव एक कारण है। मेरे विचार में, जहां तक प्रवेश परीक्षा और आई.आई.टी. में शिक्षण के स्तर का संबंध है वहां असंगतता है।

माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्रालय आई.आई.टी. - जे.ई.ई.के पैटर्न में बदलाव करने का प्रस्ताव रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई.आई.टी. द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के पास आवश्यक बुनियादी ज्ञान हो। क्या आई.आई.टी. - जे.ई.ई.ऐसे ज्ञान या मापदंडों पर आधारित होगा?

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी: माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरे सम्मान के साथ, मैं इस सवाल पर थोड़ा खुश हूं कि क्या उनके पास इस तरह की संस्था में प्रवेश करने के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षाएँ हैं। यह अपने आप में एक विरोधाभास है क्योंकि जाहिर है, बच्चे, चाहे वे किसी कोचिंग संस्थान में गए हों या नहीं, उनके पास वह तकनीकी/शैक्षणिक क्षमता है और, यही कारण है कि, वे इन परीक्षाओं में इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है कि हमें उन बच्चों की विशेष प्रशंसा करनी चाहिए। केवल यह कहना कि केवल कोचिंग केंद्रों में जाने वाले बच्चे ही परीक्षा पास कर पाते हैं, विशेष रूप से बहुत गरीब परिवारों के बच्चों के लिए एक बड़ा नुकसान है, जो कोचिंग केंद्र का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस परीक्षा को पास करने के लिए पूरी तरह से अपनी स्कूली शिक्षा पर निर्भर हैं। मुझे, विशेष रूप से एक मंत्री के रूप में, ऐसे बच्चों पर बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि सदस्य उन्हें बधाई देने में मेरे साथ शामिल होंगे, विशेष रूप से उनकी सफलता के लिए।

माननीय अध्यक्ष: यह बहुत अच्छा जवाब है; इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया गया है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 226 - श्रीमती रक्षाताई खडसे। - उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): मैडम, मेरा आग्रह होगा कि प्रश्न संख्या 226 और 227 दोनों साथ जुड़े हुए हैं इसलिए दोनों को एक साथ ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

(प्रश्न संख्या226)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं।

महोदया, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश के 60 प्रतिशत युवाओं के दर्द को समझते हुए देश में पहली बार कौशल विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया और आदरणीय राजीव प्रताप रूड़ी जी को इसका मंत्री बनाया और इन्होंने भी अल्पावधि में इस देश में चाहे एन.एस.डी.सी हो, एन.एस.डी.एफ हो या एनएसई हो अनेक योजनाओं के तहत इस देश के युवाओं को जोड़ने का काम भी किया है। मुझे गर्व भी है कि मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं और वहां की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट में राजस्थान देश में नंबर वन है। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि देश भर में महिला कर्मियों का प्रतिशत 21.63 है, जबकि उनकी साक्षरता का प्रतिशत 46 है। कौशल प्रशिक्षित नहीं होने की वजह से नौकरियां कम मिल पाती हैं। आधिकांश महिलाएं केवल साक्षरता प्राप्त करने के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। क्या सरकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम को जोड़ने का काम करेगी? यदि हां, तो इसके लिए क्या रणनीति तैयार की गयी है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में सदन इतना बढ़िया चल रहा है और आज महिलाओं पर इस सवाल का उत्तर देने का अवसर आपके सामने मिला। इससे पहले स्मृति जी ने भी महिलाओं और शिक्षा के संबंध में उत्तर दिया है।

माननीय अध्यक्ष: यह बात तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्ट्री वाली हो गयी, अब आप अपनी मिनिस्ट्री की बताइए।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अब मैं मिनिस्ट्री पर चला आता हूं।

महोदया, यह सवाल अपने आप में बहुत वृहद है। देश के इतिहास में पहली बार नेशनल मिशन ऑन स्किल डेवलपमेंट, जिसको प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 15 जुलाई को लांच किया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मिशन की प्रधानमंत्री जी स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं। अभी तक सभी मिशन औसतन संबंधित मंत्रालय के मंत्री जी द्वारा किया जाता था। हमारे पास जो माध्यम है और यह बात स्वीकार्य है कि महिलाओं की संख्या जो वर्कफोर्स में है, उसका अनुपात कम है और जिस अनुपात में देश में उनकी भागीदारी है, उस अनुपात में प्रशिक्षण का भी विशेष अभाव है। दो केन्द्र बिन्दु हैं, जिनके माध्यम से हम इस काम को आगे ले जाएंगे। सरकार ने निर्णय लेकर सभी आईटीआईज़ को हमें सौंपा है। उन आईटीआईज़ में महिलाओं के लिए डेडीकेटिड ट्रेनिंग सेंटर देश में केन्द्र द्वारा स्थापित कई रीज़नल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें महिलाओं को आई.टी.आई की ट्रेनिंग दी जा रही है। देश के प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे आईटीआईज़ हैं और आईटीआईज़ में और आईटीआईज़ के बाहर लगभग दो लाख महिलाओं को सीधे तौर पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी कौशल विकास कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लांच किया है और उसमें लगभग दो लाख लोगों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से लगभग 94 हजार महिलाएं हैं। यह काम ऐसा है कि जब हम समाज को विस्तृत तौर पर लेकर आगे बढ़ाएंगे तभी हम इस संख्या को आगे बढ़ा पाएंगे। पूरी योजना के साथ नेशनल स्किल पॉलिसी में और इसके अलावा अनेक मंत्रालय ऐसे हैं, जिनमें यह काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। माइक्रो मीडियम एंड स्माल इंडस्ट्रीज़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए है, इसके अलावा माइनोरिटी अफेयर विभाग की तरफ से भी कमजोर और अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह काम कई विभागों में चल रहा है और इस काम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी मिली है। इस काम को हमने एक दिशा दे दी है। माननीय सदस्य ने महिलाओं को स्कूली शिक्षा से वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कही है। जिसके लिए नेशनल स्किल्स क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत स्कूली शिक्षा में भी क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत जिसमें बड़ी भागीदारी स्मृति जी कर रही हैं, उसमें भी महिलाओं को स्कूली स्तर पर प्रशिक्षण की कार्रवाई बड़े तौर पर कर रहे हैं। कई राज्यों ने इस काम को प्रारम्भ कर दिया है, जिसमें से हरियाणा

में यह काम स्कूलों में बड़े पैमाने पर चल रहा है। आने वाले दिनों में क्रेडिट फ्रेमवर्क के आधार पर, क्योंकि अभी तक मेट्रिक, हायर और बीए के सर्टिफिकेट पर रोजगार मिलता था। आने वाले दिनों में सरकार का यह निर्णय है कि स्किल सर्टिफिकेट के आधार पर भी सरकारी सेवाओं में और अन्य सेवाओं में रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं।

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नंबर 226 और 227 करीब-करीब एक ही हैं। एक क्वैश्चन में नॉर्थ-ईस्ट रीजन के संदर्भ में कौशल विकास की बात है और दूसरा महिलाओं के संदर्भ में है, हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं।

(प्रश्न संख्या 226 तथा 227)

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने देश भर के अलग-अलग राज्यों से सांसदों को बुलाकर उनसे सुझाव लिये और क्या बैस्ट हो सकता है, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार महिलाओं के लिए कौशल विकास सैंटर और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सी.एस.आर निधि से कोई अंशदान देने पर विचार कर रही है और हर जिले में महिलाओं के लिए अलग से कौशल विकास सैन्टर बनाने का क्या सरकार का कोई विचार है?

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** महोदया, यह सवाल बहुत बढ़िया है और जहां तक इन्होंने कहा, मैंने देश के सभी सांसदों को मूलतः आग्रह करके उनसे बैठकें ली है। देश के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना हो और जो अभी वर्तमान में भारत सरकार का कौशल विकास निधि का जो साधन है, वह माननीय सदस्य अपनी देखरेख में एन.एस.टी.सी के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को लेकर और आपके संसदीय क्षेत्र में मोबिलाइजेशन का मेला लगाकर लोगों को पंजीकृत करने का जो काम है, उसमें कठिनाई यह हो रही है कि नौजवान साथी महिलाओं का आना कम हो रहा है। यदि ऐसी पंजीकृत संस्थाओं में महिलाओं का मोबिलाइजेशन हो सके, ऐसी महिलाओं और बच्चियों को यदि हम आइडेन्टिफाई कर सकें, जो शिक्षा से बाहर आ चुकी हैं, उनको पहचान कर प्रशिक्षण दिलाने में सहयोग करें। इसीलिए पूरे 543 संसदीय क्षेत्रों में जो लोक सभा क्षेत्र हैं, उनमें एक समिति भी बनाने का फैसला किया गया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय सांसदगण करेंगे और सांसदगणों के लिए आने वाले दिनों में ऐसा प्रयास है कि स्किल डैवलपमैन्ट का जो भी काम उनके संसदीय क्षेत्र में हो, हम लोगों ने कोशिश की है कि यूनिट को संसदीय क्षेत्र बनाया जाए और आपको उसका अध्यक्ष बनाया जाए और जो भी मोबिलाइजेशन हो, उन महिलाओं का मोबिलाइजेशन आप करें। यदि यह योजना कामयाब हुई और माननीय सांसद इसे कामयाब करने की स्थिति में हुए, अपने यहां निरीक्षण करके इस सैंटर को अच्छी तरह से चलाने की स्थिति में हुए, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी

का भी ऐसा सोचना है कि किसी भी सासंद को अपने क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए साधन का अभाव नहीं होगा, यदि आने वाले दिनों में हम इस योजना में कामयाब हो गये।

[अनुवाद]

श्री राम प्रसाद शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय का आभारी हूं। मंत्री जी ने स्किल इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पूर्वोत्तर मुख्य रूप से कृषि और कृषि से संबंधित व्यापार जैसे हथकरघा, कपड़ा, रेशम उत्पादन और वृक्षारोपण के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पूर्वोत्तर में हथकरघा, कपड़ा, रेशम उत्पादन, वृक्षारोपण और कृषि से संबंधित विषयों में युवाओं और किसानों के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय के माध्यम से क्या कदम उठाएगी?

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, दो दिन पहले की बैठक में माननीय सांसद उपस्थित थे और इस विषय को उन्होंने उठाया था कि किस प्रकार से कृषि क्षेत्र में कौशल विकास के उपक्रम करके हम लोगों को रोजगार दे सकें। इस पूरी व्यवस्था में नेशनल स्किल डैवलपमैन्ट एजेन्सी के तहत सैक्टर स्किल काउंसिल है और देश में 36 सैक्टर स्किल काउंसिल्स का गठन हुआ है। उन सैक्टर स्किल काउंसिल्स में एग्रीकल्चर सैक्टर स्किल काउंसिल है। कृषि क्षेत्र में जो नार्मल एक्सटेंशन का प्रोग्राम होता है, वह कृषि मंत्रालय करता है, लेकिन उसके बाद उस एक्सटेंशन के प्रोग्राम के लिए जो कौशल की आवश्यकता है, उस काम को सैक्टर स्किल करेगा और एग्रीकल्चर सैक्टर स्किल में कई सारे क्वालिफिकेशन पैक्स हैं, जिनमें पम्पिंग सैट से लेकर कई सारी चीजों के सीखने का हुनर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

जहां तक नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स का सवाल है, हम आईटीआईज के माध्यम से भी प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। अभी लगभग 80 आईटीआईज पूर्वोत्तर में हैं, जिनमें लगभग 72 सरकारी क्षेत्र में हैं और आठ निजी क्षेत्र में हैं। हम 2017 तक 298 करोड़ रुपये तमाम पूर्वोत्तर के क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य हैं, उन पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में विशेष रूप से आईटीआईज में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का आने वाले दिनों में प्रस्ताव किया जायेगा। हम

लगभग 300 करोड़ रुपये विशेष तौर से आईटीआई प्रशिक्षण के लिए नार्थ-ईस्टर्न क्षेत्र में दे रहे हैं, जिसमें शर्मा साहब का असम भी शामिल है।

[अनुवाद]

श्री राम प्रसाद शर्मा: महोदया, पूर्वोत्तर में कोई उद्योग नहीं है। क्या आई.टी.आई. द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किए जा रहे युवाओं को उनके प्रशिक्षण और कौशल के बाद पूर्वोत्तर से बाहर रखा जाएगा?

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, अब देश में एन.सी.वी.टी का सर्टिफिकेट है, आज हमारे पास 1400 आईटीआईज में प्रशिक्षण के लिए तथा नामांकन के लिए उन्हें स्वीकार किये जाने के लिए प्रस्ताव है। इस देश में कुछ वर्षों में हम ऐसा महसूस करते हैं कि आईटीआईज में कुछ काम की कमी हुई है। लेकिन 1200 आईटीआईज में से कम से कम एक हजार आईटीआईज ऐसे हैं, जिनकी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। उन्हें हमें पहचान करके तथा अलग करके कैटेगराइज करना है, क्योंकि कठिनाई यह हुई है कि एक कमरे में भी आईटीआईज चलने लगे हैं, जिनके कारण यह कठिनाई पैदा हुई है। लेकिन आज भी अच्छे आईटीआईज से निकलने वाले बच्चों की नौकरी सौ फीसदी गारंटी है। मैं बताना चाहूंगा कि आपके असम में भी कई बहुत अच्छे आईटीआईज हैं, उनमें चाहे वर्ल्ड बैंक की योजना हो या और आधिक धनराशि देकर हम इन आईटीआईज को मजबूत करें। जैसे स्मृति जी भी जानती हैं, आज इंजिनियरिंग कॉलेजिस में सीट्स खाली रह जा रही हैं। लाखों की संख्या में सीट्स खाली हैं, क्योंकि बच्चे अब इंजिनियरिंग कर के रोज़गार नहीं पा रहे हैं। इस देश में लगभग 15 प्रतिशत ऐसे इंजिनियरिंग ग्रैजुएट्स हैं, जिनको इंजिनियरिंग करने के बाद रोज़गार नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दे कर सीधे रोज़गार से जोड़ा जाए और हमारे मंत्रालय ने लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि माननीय सांसद जब प्रधानमंत्री कौशल योजना से जुड़ेंगे, तो देश में कहां-कहां, किन-किन उद्योगों में कितना-कितना रोज़गार हैं और कहां-कहां नौकरियां हैं, ताकि आपके आपस के बीच में प्रतिस्पर्धा हो कि आपके यहां के बच्चे निकल कर वहां

नौकरी के लिए जाएं, ताकि कौशल प्रशिक्षण में आप भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकें और अपने बच्चों को इन स्थानों पर भेज सकें। एक बड़ी व्यवस्था हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं।

---

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 228 से 242
अतारांकित प्रश्न सं. 2531 से 2537, 2539 से 2560,2562, 2563, 2565 से 2581, 2583 से 2593, 2596 से 2637, 2639 से 2644, 2646 से 2669, 2671 से 2681, 2683 से 2718, 2720 से 2726, 2728 से 2737, 2739 से 2744, 2746 से 2756, 2758 और 2759)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।
https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर रखे गये पत्र। .

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): माननीय अध्यक्ष महोदया, श्रीमती सुषमा स्वराज जी की ओर से मैं नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय पहला अध्यादेश, 2015 जो 11 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ से एस/321/25/2014 में प्रकाशित हुआ था, को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभापटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी.2903/16/15]

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2904/16/15]

(दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2905/16/15]

(तीन) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा टी.सी.आई.एल बिना टॉल रोड लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2906/16/15]

(चार) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2907/16/15]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण आधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अंतर्संबंध उपयोग प्रभार (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2015 जो 23 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या फाइल सं. 409-8/2014-एनएसएल-। में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2908/16/15]

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: मैं तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहता हूं:-

तेरहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 35 ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2909/16/15]

2. विवरण संख्या 32 चौदहवाँ सत्र,2003

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2910/16/15]

चौदहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 31 तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2911/16/15]

4. विवरण संख्या 28 पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2912/16/15]

5. विवरण संख्या 33 छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2913/16/15]

6. विवरण संख्या 26 तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2914/16/15]

पंद्रहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या 23 दूसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2915/16/15]

8. विवरण संख्या 21 तीसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2916/16/15]

9. विवरण संख्या 20 चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2917/16/15]

10. विवरण संख्या 18 पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2918/16/15]

11. विवरण संख्या 17 छठा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2919/16/15]

12. विवरण संख्या 15 सातवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2920/16/15]

13. विवरण संख्या 15 आठवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2921/16/15]

14. विवरण संख्या 14 नौवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2922/16/15]

15. विवरण संख्या 13 दसवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2923/16/15]

16. विवरण संख्या 11 ग्यारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी 2924/16/15]

17. विवरण संख्या 10 बारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2925/16/15]

18. विवरण संख्या 9 तेरहवां सत्र, 2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2926/16/15]

19. विवरण संख्या 7 चौदहवां सत्र, 2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2927/16/15]

20. विवरण संख्या 5 पंद्रहवां सत्र, 2013-2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2928/16/15]

21. विवरण संख्या 4 दूसरा सत्र, 2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2929/16/15]

22. विवरण संख्या 3 तीसरा सत्र, 2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2930/16/15]

23. विवरण संख्या 2 चौथा सत्र, 2015

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2931/16/15]

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, डॉ. जितेन्द्र सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः-

(1) आखिल भारतीय सेवा आधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित आधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे :-

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.[हिन्दी] नि. 520(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2015, जो 30 जून, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2015, जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2015, जो 2 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2932/16/15]

(2) लोकपाल और लोकायुत्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएँ) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अप्रैल, 2015के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लोक सेवक (सूचना तथा आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी देना तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएँ) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 6 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2933/16/15]

(3) लोकपाल और लोकायुक्त आधिनियम, 2013 की धारा 62 की उपधारा (2) के अंतर्गत लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2014 जो 27 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1095(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2934/16/15]

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2015 जो 15 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2935/16/15]

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: श्री मुख्तार अब्बास नक़वी की ओर से, मैं सभा पटल पर रखने की विनती करता हूं:

(1) (एक) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे। ।

(दो) मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2936/16/15]

(3) नेशनल माइनारिटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनांस कारपोरेशन तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2937/16/15]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) (एक) पश्चिम बंगा सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंगा सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2938/16/15]

(3) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2939/16/15]

(5) (एक) यू.टी. ऑफ दादर एण्ड नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.टी. ऑफ दादर एण्ड नागर हवेली राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, सिलवासा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2940/16/15]

(7) (एक) यू.टी. ऑफ दमन एण्ड दीव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दमन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यू.टी. ऑफ दमन एण्ड दीव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, दमन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2941/16/15]

(9) (एक) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2942/16/15]

(11) (एक) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) छत्तीसगढ़ राज्य मॉडल स्कूल संगठन, रायपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2943/16/15]

(13) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आभियान, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आभियान, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2944/16/15]

(15) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान कर्नाटक, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2945/16/15]

(17) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान मॉडल स्कूल्स, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान मॉडल स्कूल्स, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2946/16/15]

(19) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2947/16/15]

(21) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2948/16/15]

(23) (एक) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुडुचेरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आभियान, पुडुचेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2949/16/15]

(25) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (त्रिपुरा राज्य मिशन), अगरतला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2950/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँः-

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2951/16/15]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, अगरतला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2952/16/15]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2953/16/15]

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वाई.एस चौधरी): मैं बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2954/16/15]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): श्री बाबुल सुप्रियो, की ओर से मैं पटल पर सभा पटल पर रखना चाहूंगा। :-

(1) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2955/16/15]

(2) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत मेट्रो रेल सामान्य (संशोधन) नियम, 2015 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साका०नि० 386 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2956/16/15]

———————

अपराह्न 12.03 बजे

नियम समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 331 के उप-नियम (1) के अंतर्गत नियम समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 ½ बजे **महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति**

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती बिजोया चक्रवर्ती (गुवाहाटी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिलाओं की कार्य स्थितियां विषय पर महिला सशक्तिकरण समिति' (2014-15) की चौथी रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना चाहती हूं।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

267वां और 268वां प्रतिवेदन

श्री राम सिंह राठवा: महोदया, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय संबंधी खादी और ग्रामोद्योग ओयोग (केवीआईसी) आधिनियम, 1956 के आर्यान्वयन की समीक्षा के बारे में समिति के 259वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 267वां प्रतिवेदन।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015 के बारे में 268वां प्रतिवेदन

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। **

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): (1) माननीय, अध्यक्ष महोदया, मैं आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

(2) मैं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूं।

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. क्रमशः 2957/16/15 और 2958/16/15

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

(2) रेल मंत्री ने 4.8.2015 को पश्चिम बंगाल रेलवे के खिरकिया और बिरंगी स्टेशनों के बीच कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के बारे में **

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा विषय संख्या पर विचार करेगा 15ए – रेल मंत्री।

रेल मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): मैडम, पश्चिम मध्य रेलवे के खण्डवा-इटारसी खंड पर खिरकिया और भिरंगी स्टेशनों के बीच कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना 04.08.2015 को लगभग 23.30 बजे हुई। मेरे पास इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जनता एक्सप्रेस के 11 यात्रियों और कामायनी एक्सप्रेस के एक यात्री के शव डिब्बों से बरामद किए गए और 25 यात्रियों को इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मामूली चोटें आईं, जिन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार दिया गया। दुर्घटना स्थल पर रेलवे अधिकारियों द्वारा हताहतों की सही संख्या का पता लगाया जा रहा है।

मैंने व्यक्तिगत रूप से रात भर स्थिति की निगरानी की और माननीय के साथ राहत और बचाव प्रयासों का समन्वय किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुर्घटना राहत गाड़ियों और दुर्घटना राहत चिकित्सा वैनों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा। भोपाल के मंडल रेल प्रबंधक, और पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार और रेलवे राहत और बचाव कार्यों में संयुक्त रूप से शामिल हैं।

मानवीय आधार पर, एक लाख रुपये की बढ़ी हुई अनुग्रह धनराशि प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रु. दिए जाएंगे गंभीर रूप से घायल लोगों, को 50,000 रु. दिए जाएंगे साधारण रूप से घायल हुए व्यक्तियों के लिए 25,000 रु. की घोषणा की गई है।

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2959/16/15

प्रथम दृष्टया घटना का कारण 'भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़' बताया गया है'। रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा इस घटना की वैधानिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं और रेलवे को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है।

रेलवे और मेरी ओर से, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगा। मेरे सहयोगी श्री मनोज सिन्हा और मैं अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं।

<u>अपराह्न 12.06 ½ बजे</u>

(3) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। **

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2961/16/15 और 2962/16/15

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा विषय संख्या पर विचार करेगा 16क – श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा।

… (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय से अनुरोध करूंगा । सदस्यों को अपनी सीटों पर वापस जाना चाहिए क्योंकि यह उनके द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण मामला है। उन्हें यह भी सुनना चाहिए क्योंकि यह समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

इस समय श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थानों पर वापस चले गए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सदानन्द गौड़ा, आपको एक मिनट इंतजार करना होगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब, मद सं 17 – श्री राजीव प्रताप रूडी।

<u>अपराह्न 12.07 ½ बजे</u>

(4) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 186वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 2963/16/15

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

(5) आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालयों की स्थापना **

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, हम मद सं 17क – श्री सदानन्द गौड़ा।

कानून और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में यह प्रावधान है कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नया उच्च न्यायालय गठित किया जाए और मौजूदा उच्च न्यायालय तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय बन जाएगा। उस समय तक, हैदराबाद का उच्च न्यायालय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करेगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के निर्माण को सक्षम बनाने के लिए, सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसे अदालत भवन, न्यायाधीशों और अधिकारियों के लिए क्वार्टर और न्यायालय के कर्मचारियों को उस स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां आंध्र प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय का पता लगाने के लिए चुनती है। बुनियादी ढांचे का निर्माण राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसे संबंधित राज्य उच्च न्यायालय, यानी हैदराबाद में उच्च न्यायालय, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय है के परामर्श से किया जाना है।

एक बार जब राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय सभी प्रासंगिक पहलुओं पर निर्णय लेते हैं और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाता है, तो केंद्र सरकार कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी।

** ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए एल.टी. संख्या 2960/16/15

सरकार ने पहले ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय के निर्माण की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संबोधित किया था।

जनहित याचिका, पी.आई.एल. नं. आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक अलग नए उच्च न्यायालय की स्थापना के मुद्दे पर 2015 का 59 हैदराबाद के उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने 1 मई, 2015 को अपना निर्णय/आदेश सुनाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार को उस स्थान की पहचान करने और उसका पता लगाने का निर्देश दिया जहां आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश राज्य के स्थायी उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसने राज्य सरकार को धन के आबंटन के सवाल पर निर्णय लेने और उसके बाद स्थायी उच्च न्यायालय के निर्माण के लिए खर्च करने के लिए, यदि आबंटन किया जाता है, तो जारी करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने माननीय से भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय भवन, प्रशासनिक भवन, माननीय के आवास की स्थापना के मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए एक-दूसरे के परामर्श से निर्णय लेंगे। न्यायाधीशों और न्यायालय के अधिकारियों और स्टाफ क्वार्टरों की यथाशीघ्र, अधिमानतः आदेश के संप्रेषण की तारीख से तीन महीने के भीतर।

इस बीच, हैदराबाद में ए.एस.जी. ने सूचित किया है कि उपरोक्त अदालत के आदेशों पर तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा एक समीक्षा जनहित याचिका दायर की गई थी। ए.एस.जी. ने यह भी सूचित किया है कि मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त, 2015 को होगी। यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। … (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(1) तेलंगाना में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना करने में कथित विफलता से उत्पन्न स्थिति के बारे में

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। वह बोल रहा है। मैंने उन्हें बोलने के लिए अलाऊ किया है।

श्री ए. पी. जितेंद्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, माननीय मंत्री जी ने कुछ भी नया नहीं कहा है। कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बोलते हुए कहा था, जिसे मैं उद्धृत करता हूं:

> "उन्होंने कोई गलत उद्देश्य से नहीं बोला। वहाँ की स्थिति, यहाँ की स्थिति और जो आज की स्थिति है, हाई कोर्ट के सामने इस याचिका द्वारा गई है और मुझे बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अंदर... "

यह कहते हुए उन्होंने कहा -

> [अनुवाद]
>
> उन्होंने कहा, "मैं एक व्यक्ति के रूप में जानता हूं जो लंबे समय तक हैदराबाद में रहा है, कि एक बार जब आप किसी राज्य को विभाजित करते हैं तो आपके पास एक उच्च न्यायालय नहीं हो सकता है। यह बहुत स्पष्ट है कि, यदि आप किसी राज्य को विभाजित करते हैं, तो दो अलग-अलग उच्च न्यायालय होने चाहिए। यह इस क्षेत्र और उस क्षेत्र के लिए भी अच्छा होगा। हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। सरकार यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके बारे में कैसे जाना है और व्यावहारिक समस्याएं क्या हैं"

मीडिया और पेपर्स, में हर कोई कह रहा है कि वेंकैया नायडू जी और चंद्र बाबू नायडू... ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मीडिया की बात नहीं करें तो अच्छा है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैडम, जो उसके अंदर है, वह मैं बता रहा हूँ। वे उद्धृत कर रहे थे कि…….(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जितेंद्र जी, यह कार्यवाही वृतांत पर नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)... [**]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मीडिया और इसकी चर्चा आप यहाँ नहीं करें। आप फैक्ट्स दें और जो कुछ भी उन्होंने कहा है, मामला अदालत *में है।*

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : अगर गलत है तो आप रिकार्ड से निकाल दीजिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह कार्यवाही-वृत्तान्त में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)...[†*]

[**] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[†*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैं सिर्फ यह बात बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर ख्वामखाह आरोप कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने तथ्य दिए हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

... (व्यवधान)

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मैं वही बोल रहा हूँ। मैं गलत बात कर रहा हूँ, तो आप रिकार्ड से निकाल दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जब कानून मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, तो आप उनसे कुछ अलग कैसे कह सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा था, वह गलत आरोप उन्होंने बोला कि व्यक्तिगत रूप से, मुझे लगता है कि एक अलग उच्च न्यायालय दिया जाना चाहिए। कल, केंद्रीय मंत्री जी ने वह बयान, दिया था। और उसके बाद हम श्री जेटली से मिलने गए। हमने उन्हें धारा 31 दिखाई, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको अलग-अलग उच्च न्यायालय बनाने हैं; एक आंध्र प्रदेश में और एक तेलंगाना में।

माननीय अध्यक्ष: कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर रहा है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : मेरे सहयोगी, श्री विनोद ने कल विशेष रूप से कहा कि सचिवालय यहां है, डीजी यहां है और उन्हें यहां अपनी भ्रष्टाचार रोधी शाखा मिली है और मुख्यमंत्री जी भी हैदराबाद में रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे एक अलग उच्च न्यायालय के लिए भी जगह देने के लिए तैयार हैं।

महोदया, अलग राज्य देना एक बात होती है लेकिन उच्च न्यायालय भी देना बहुत ज़रूरी है। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि एक समीक्षा याचिका है। पुनर्विचार याचिका क्यों दायर की गई?यह इसलिए दायर किया गया था क्योंकि फैसले में कहा गया है कि उस क्षेत्र में उच्च न्यायालय का गठन किया जाना है और वहां आवास सहित एक भवन बनाया जाना है। उनके लिए हैदराबाद में सब कुछ उपलब्ध है। दस साल तक, उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। हमारे मुख्यमंत्री जी उनकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। अब तक पिछले एक साल और दो महीनों, के दौरान किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ गंभीर नफरत का कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है। हम उन्हें अपने मेहमान के रूप में देख रहे हैं। हम हमेशा उनकी देखभाल करेंगे। जब हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को आपत्ति नहीं है, हमारे होम मिनिस्टर जी को आपत्ति नहीं है, हमारे जेटली जी को आपत्ति नहीं है, हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर को आपत्ति नहीं है, तो आज इसको क्यों टाला जा रहा है?यह कोई सरकारी फैसला नहीं है। यह एक राजनीतिक फैसला है। यदि आज रात मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो वह आज ही इस पर निर्णय ले सकता है और इसे अधिसूचित कर सकता है। आज रात के रात यह चर्चा खत्म होने वाली है। यह बिल्कुल भी *न्यायिक नहीं है*। *उप-न्यायिक* मामला उस क्षेत्र से संबंधित है जिसके लिए हमने पहले ही एक समीक्षा याचिका दायर की है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह एक राजनीतिक निर्णय है जिसे लिया जाना है। यह एक रात के भीतर किया जा सकता है। आज शाम को अगर कैबिनेट मीटिंग बैठ रही है, मैडम, आप देख रहे हैं कि हम आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आपके बिजनेस के अन्दर में हम इण्टरप्शन नहीं कर रहे हैं। हमारे ऊपर हम तकलीफ ले रहे हैं, हमारे पैरों के ऊपर हम खड़े हो रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पूरे एम.पीज़ लोग वहां पर खड़े रहकर अपना कष्ट ले रहे हैं। इतना कष्ट लेने के बाद भी गवर्नमेंट को बैड नेम आएगा, खराब नाम आयेगा। राजाज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। मेरी रिक्वैस्ट आपसे है कि इस छोटे से मैटर के अन्दर आप दखल दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: यह सवाल नहीं है। मुझे पता है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : आप मंत्री जी को बताएं कि यह एक राजनीतिक निर्णय है जिसे लिया जाना है। इसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।

श्रीमती कविता कल्वाकुंतला (निजामाबाद): महोदया, समीक्षा याचिका तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दायर की गई है क्योंकि उस न्यायाधीश ने भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। वास्तव में, भारत सरकार को याचिका दायर करनी पड़ी जबकि हमने याचिका दायर की है। हम इन संस्थानों को बनाए रखना चाहते हैं लेकिन आप हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह एक राजनीतिक मुद्दा है। ...** उच्च न्यायालय के माध्यम से तेलंगाना राज्य पर शासन करना चाहता है... (*व्यवधान*)

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: वह नाम वहाँ नहीं होना चाहिए। किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं होना चाहिए और न ही कोई नाम होना चाहिए। क्षमा करें श्रीमती कविता, यह उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

श्रीमती कविता कल्वाकुंतल: मैडम, केंद्र सरकार को तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा करनी है… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं पहले ही कह चुका हूं कि कोई नाम नहीं लिया जाना चाहिए और न ही कोई आरोप लगाया जाना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप मंत्री जी की बात सुनें।

श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा: महोदया, मैं अपने विद्वान सहयोगियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार से पूरी तरह असहमत हूं क्योंकि जहां तक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का संबंध है इस सरकार द्वारा कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया जाएगा। अधिनियम में जो कुछ भी है, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं… (*व्यवधान*)लेकिन वर्तमान में, एक समीक्षा याचिका है जो हैदराबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मामला न्यायालय *में विचाराधीन* है। मैं अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ हूं। लेकिन हम यह देखने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पुनर्गठन अधिनियम में जो भी चीजें हैं और उन्हें पूरी तरह से समर्थन दिया जाएगा। जहां तक तेलंगाना के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना का संबंध है, हम हर चीज का ध्यान रखेंगे… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब और कुछ नहीं। यह पर्याप्त है। अब श्री. श्रीनिवासराव बोलो।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है।

… (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): अध्यक्ष, महोदया, यह बहुत ज्यादा है। मुझे बताना होगा कि हम भारतीय हैं। हम यह समझने के लिए भी परिपक्व हैं कि इस क्षेत्र और उस क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। इस संसद और इस पार्टी ने इसका समर्थन करने का फैसला किया है। हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच उच्च न्यायालय के विभाजन के बारे में बहुत स्पष्ट हैं। सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है… (*व्यवधान*) श्री विनोद कुमार, यदि आप कुछ कहते हैं तो आपको कम से कम दूसरों को भी सुनने का धैर्य रखने की स्थिति में होना चाहिए। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो मैं इसे छोड़ देता हूं। मैं अपने मंत्री जी से भी बयान वापस लेने के लिए कहूंगा और आप जो करना चाहते हैं वह करें… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री ए. पी. जितेंद्र रेड्डी जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान) **

श्री एम. वेंकैया नायडू: यह क्षेत्र और वह क्षेत्र क्या है? हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं हैं। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमें एक राष्ट्रीय पार्टी होने पर गर्व है। क्षेत्रीय दलों का अपना स्थान होता है और एक राष्ट्रीय दल का अपना स्थान होता है। मेरी बात बहुत सरल है। यह एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है और हमें भावनात्मक मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। हमें इसका राजनीतिकरण भी नहीं करना चाहिए। हम उन लोगों के नाम नहीं ले सकते जो अपना बचाव करने के लिए यहां नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैं पहले ही कह चुका हूँ।

श्री एम. वेंकैया नायडू: इस मुद्दे पर वापस आते हैं, राष्ट्रीय दल हैं और काल्पनिक दल भी हैं। मुद्दा यह है कि, आप अधिनियम में जो वादा किया गया है उसे कैसे लागू करते हैं? दूसरा, सरकार ने सैद्धांतिक और माननीय

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रूप से निर्णय लिया है। मंत्री जी ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद आंदोलन शुरू हुआ। भारत के माननीय मंत्री जी ने दोनों मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है और अदालत ने कुछ आदेश भी दिए हैं। श्री विनोद कुमार ने ठीक ही उल्लेख किया है कि अदालत ने अदालत के स्थान के बारे में कुछ राय दी है। एक व्यावहारिक समस्या है। पूरे सभा और देश को यह समझना चाहिए कि यदि आपको किसी विशेष स्थान पर उच्च न्यायालय का पता लगाना है, तो इसमें कुछ समय लगेगा। तो, एक सुझाव जो दिया गया था... (*व्यवधान*) जब लोग आपसे पूछते हैं कि आपने क्या वादे किए हैं और आपने चौदह महीनों में उन्हें लागू क्यों नहीं किया? लोग ऐसी बातें भी कहेंगे।

महोदया, यह एक व्यावहारिक समस्या है। मैं यह बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। एक अदालत स्थापित करने के लिए आपको जगह की पहचान और फिर निर्माण और अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। श्री विनोद कुमार द्वारा दिए गए सुझाव ने मुझे आकर्षित किया। मैंने उन्हें निजी तौर पर बताया और मैंने कल अपने मंत्री जी को भी बताया और मैंने उन्हें इस मामले पर चर्चा करने के लिए कहा। यदि तेलंगाना सरकार स्वयं यह कहने के लिए आगे आ रही है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को कुछ समय के लिए हैदराबाद में स्थानांतरित किया जा सकता है जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है, जैसा कि आंध्र प्रदेश की राज्य राजधानी के मामले में अन्य संस्थानों के साथ तेलंगाना में है। यह एक बहुत ही सार्थक सुझाव है। लेकिन इस मुद्दे को अदालत के समक्ष फिर से खड़ा करना होगा जहां एक याचिका लंबित है। मैं माननीय से अनुरोध करना चाहूंगा। मंत्री जी, मेरे सहयोगी, यह कहते हुए कि इस सुझाव को अदालत के समक्ष भी रखा जा सकता है और फिर इसके अंत में हमें अदालत द्वारा एक संतोषजनक समाधान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि हमें अदालत को अदालत के आदेश का पालन करने में व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में समझाना चाहिए जो यह कहते हुए दिया गया था कि आप अधिनियम और सभी के अनुसार वहां जाएं और अदालत का पता लगाएं। यह एक पारगमन व्यवस्था है, एक अस्थायी व्यवस्था है। हम उस तर्ज पर काम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि कानून मंत्री जी जो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, वे श्री विनोद कुमार और अन्य दोस्तों के अनुरोध के पीछे की भावना को समझेंगे। मुझे इसमें योग्यता दिखाई देती है। इसकी जांच की जा सकती है और सरकार उच्च न्यायालय को विश्वास में लेने सहित आगे की

कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इसका निपटारा किए बिना, सरकार द्वारा एकतरफा कार्रवाई करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

मेरे मित्र श्री जितेंद्र रेड्डी कह रहे थे कि यह एक राजनीतिक निर्णय है। राजनीतिक निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इसलिए हमने इसका समर्थन किया। लेकिन अब सवाल यह है कि प्रशासनिक कार्रवाई करनी होगी। प्रशासनिक कार्रवाई के लिए अदालत की सहमति होनी चाहिए। अंत में, हम उच्च न्यायालय के बारे में निर्णय ले रहे हैं और इसलिए उच्च न्यायालय को भी विश्वास में लेना होगा। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें और कुछ समय के लिए सरकार के साथ खड़े रहें और देखें कि क्या सरकार वास्तव में इस बारे में गंभीर है अथवा नहीं। जल्द ही आपको इसका पता चल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीनिवास राव, उन्होंने पहले ही समझाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सब कुछ समझाया है और मैंने खुद कहा है कि कोई नाम और कोई आरोप रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? लेकिन अब फिर से कोई आरोप अथवा कुछ भी नहीं होना चाहिए।

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) (अनकापल्ली): महोदया, मैं ऐसा नहीं करूंगी।

माननीय अध्यक्ष: तब आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी पहले ही सब कुछ बता चुके हैं।

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) : हर चीज के लिए वे मेरे मुख्यमंत्री जी का नाम खींच रहे हैं जो यहां उपलब्ध नहीं हैं। ... (*व्यवधान*) यह सही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: मैं पहले ही कह चुका हूँ।

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती) : हमारे पास धारा 8, 9 और 10 है जो इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि इसे कहां लागू किया जाना है और दोनों सरकारों द्वारा चर्चा की जानी है। हाल ही में, 15 दिन पहले ही, लगभग 1,500 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उन्हें ड्यूटी से छुट्टी दे दी गई है। वे न तो आंध्र प्रदेश में हैं और न ही तेलंगाना में। वे बिना वेतन के कैसे रहेंगे? उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। इस तरह की चीजें हो रही हैं। धारा 9 के

तहत 100 संस्थान हैं और धारा 10 के तहत अन्य 100 संस्थान हैं। ... (*व्यवधान*) हर कोई यह जानता है। वे इसे लागू नहीं कर रहे हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह मामला पहले से ही हैदराबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। मेरे मित्र श्री विनोद कुमार और उनके सहयोगियों को अदालत के समक्ष उस मुद्दे को उठाने दें। अदालत से जो भी फैसला आता है, हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि उच्च न्यायालय को जल्द से जल्द विभाजित करने की आवश्यकता है। प्रक्रिया का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बुनियादी ढांचा और अन्य चीजें जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए लिखा है। जैसे ही हमें वे सभी चीजें मिलेंगी, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे।

———————

अपराह्न 12.27 बजे

(2) तमिलनाडु के मछुआरों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

डॉ. पी. वेनुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरे तमिल समुदाय को परेशान करने वाले तमिलनाडु, के मछुआरों के इस बारहमासी मुद्दे पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैंने इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। तमिलनाडु के तटीय गांवों में रहने वाले दस लाख से अधिक मछुआरों का पारंपरिक व्यवसाय मछली पकड़ना है। ये मछुआरे न केवल अपनी आजीविका कमा रहे हैं, बल्कि वे हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा भी कमा रहे हैं। अगर तमिल मछुआरों पर श्री लंकाई नौसेना द्वारा हमला नहीं किया जाता है, तो इन आय में वृद्धि हो सकती है।

इस तरह के लगातार हमलों के कारण, हजारों मछुआरे घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं और यहां तक कि मारे जाते हैं, जिससे उनके परिवार अनाथ हो जाते हैं। वर्षों और महीनों में, ये हमले बहुत बार और गंभीर हो गए हैं। हमारे मछुआरों को पकड़ने, हिरासत में लेने और परेशान करने से, लेकर अब वह समय आ गया है जब उन्हें देखते ही गोली मार दी जाती है। यह श्रीलंका की आपराधिक, अमानवीय और अनुचित कार्रवाई है।

सदन, में कई बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। श्रीलंका में सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे बयान हमारे लिए अधिक डराने वाले हैं और इस तरह के हमलों की आवृत्ति बढ़ रही है।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी में तमिल मछुआरों को देखते ही गोली मारने का आदेश देने की हिम्मत है, यह तब की गई है जब हमारे विदेश मंत्री जी श्रीलंका में थे। अभी तक, उनके बयान की किसी ने निंदा नहीं की है।

मेरी नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा लगातार इस देश के प्रधानमंत्रियों के साथ इस मुद्दे को उठाते रही हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

मछुआरों पर हमले केवल तमिल मछुआरों के साथ नहीं होते हैं। इस तरह के हमले केरल के मछुआरों के साथ होते हैं, जहां विदेशी जहाज आते हैं और उनका जखीरा ले जाते हैं। गुजरात के मछुआरों पर हमला किया जाता है और उन्हें पाकिस्तान द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस तरह, कई सामान्य मुद्दे हैं जिन पर सदन में चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारी संसद लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करती है, जहां माननीय सभी दलों के सदस्य चर्चा और बहस में भाग लेते हैं।

अपने स्थगन प्रस्ताव नोटिस पर आते हुए, मैं माननीय से अनुरोध करूंगा। विदेश मंत्री जी तमिल मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएंगे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी के बयान की निंदा करेंगे।

मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि मेरे स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार किया जाए और चर्चा को तुरंत शुरू करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: यह निर्णय पहले ही दिया जा चुका है। यह ठीक है। आपने मुद्दा उठाया है। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना और श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को डॉ. पी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मामले में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह मुद्दा बहुत गंभीर है और यह बार-बार आने वाला मुद्दा है। यह अचानक नहीं हुआ है। मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि विदेश मंत्री आवश्यक रुचि ले रहे हैं और समय-समय पर श्रीलंका के साथ चर्चा में लगे हुए हैं। हम अपने तमिल मछुआरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हर अवसर पर श्रीलंका में पकड़े जाते हैं। मैं सभा को यह भी बता सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, ने प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी से बात की और दोषी ठहराए गए, पांच मछुआरों को बिना

किसी मामले के वापस लाया। यह सरकार की ईमानदारी को दर्शाता है। यह एक बार-बार होने वाली समस्या है। इसका स्थायी समाधान निकालना होगा। मैं माननीय की भावनाओं को व्यक्त करूंगा। सदस्य डॉ. पी. वेणुगोपाल और अन्य लोगों ने सम्मानित किया। विदेश मंत्री जी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए।

श्री मेकापती राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सलाह पर, माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी के शब्दों पर, हम भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा प्राप्त राज्य घोषित करने के लिए उचित निर्णय लेने के लिए कुछ और समय तक प्रतीक्षा करना चाहेंगे। आंध्र प्रदेश के पांच करोड़ लोग इसी मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए, हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी 67 विधायकों, एमएलसी, सांसदों और 3000 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस महीने की 10 तारीख को जंतर-मंतर पर धरना देने जा रहे हैं। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह जल्द से जल्द एक सकारात्मक निर्णय ले। संसद में किए गए वादों को निभाना संसदीय लोकतंत्र की एक बड़ी मौलिक पवित्रता है। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने वादों को निभाए और यह सुनिश्चित करे कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा प्राप्त राज्य घोषित किया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष: श्री के. परसुरामन जी आपने नोटिस दिया है। आपका नाम “शून्यकाल” सूची में पहले स्थान पर है।

श्री के. परसुरामन (तंजावुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि भारतीय खेल प्राधिकरण देश भर में खेलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल मानकों को विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं। आओ और खेलो योजना के तहत, भारतीय खेल प्राधिकरण देश के सभी हिस्सों में अपनी प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करता है। जहां तक तंजावुर का संबंध है, इसमें कई छोटे गाँव शामिल हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं के पास विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त खेल प्रतिभा और क्षमता है लेकिन अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर कम है। अब, भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से वडुवूर गांव में एक इनडोर स्टेडियम का निर्माण चल रहा है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह वडुवूर में पर्याप्त, उन्नत उपकरणों और छात्रावास सुविधाओं के साथ विशेष क्षेत्र खेलों के लिए एक विस्तार केंद्र

स्थापित करे ताकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिक से अधिक युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री आर.के.सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर में एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा पाकिस्तानी झंडा वेभ किया जा रहा है। यह बार-बार हो रहा है। अब देश इस स्थिति में नहीं है कि इस तरह के एंटी नेशनल कार्रवाई को बर्दास्त करे। हम लोग यह पूछना चाहते हैं कि इस तरह के एंटी नेशनल कार्रवाई पर राज्य सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर राज्य सरकार इस पर कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो केन्द्र सरकार इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? इस पर कार्रवाई नहीं करने से एंटी नेशलन एलिमेन्ट्स का मोराल बढ़ता है। हमारा गृह मंत्रालय और केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे, नहीं तो एंटी नेशनल एलिमेन्ट्स का मोराल बढ़ेगा।

मैडम, कुछ ही लोग हैं जो आई.एस.आई. के द्वारा फंडेड हैं, उनको झंडा दिखाने के लिए पैसा मिलता है। पहले आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं होता था क्योंकि एक-दो बार ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की गयी। अभी कड़ी कार्रवाई क्यों नही हो रही है, यह हम को जानकारी नहीं है। मैं पूरे देश का सेंटीमेंट एक्सप्रेस कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, डा. वीरेन्द्र कुमार और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री आर.के.[अनुवाद] सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा, उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर दिलाना चाहता हूं। अमरोहा संसदीय क्षेत्र में 3 तहसीलें हैं, 6 विकास

खंड हैं तथा कुल आबादी लगभग 18,38,771 है जिसमें से ज्यादातर आबादी खेती-बाड़ी व पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। केन्द्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु उनके हित में बहुत सी योजनाएं कृषि अनुसंधान व कृषि तकनीकी की नवीनतम जानकारियां समय-समय पर जारी की जाती हैं। परन्तु सूचना के अभाव में ये जानकारियां किसानों को समय पर प्राप्त न हो पाने के कारण हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरोहा, उत्तर प्रदेश में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने एवं पशुपालक किसानों के दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य एवं रखरखाव से संबंधित जानकारी देने हेतु पशु स्वास्थ्य मेले का आयोजन करवाने की कृपा करें जिससे हमारे किसानों को कृषि अनुसंधान से संबंधित योजनाओं, नवीनतम कृषि तकनीक एवं पशु स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां समय पर मिल सकें और वे उसका फायदा उठाकर देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करें।

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान, कृषि कार्य में लगे नागरिकों की ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरह म.न.रे.गा को सरकार महत्वकांक्षी योजना बनाकर आम लोगों को रोजगार उत्पन्न करा रही है, उसी तरह कृषि व्यवसाय वालों को भी रोजगार योजना शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में इस बार आवास की स्थिति बनी हुई है। किसान कर्ज लेकर कृषि कार्य करते हैं। मात्र 4 माह कृषि कार्य करते हैं और 8 माह खाली बैठे रहते हैं जिस कारण किसानों को कर्ज चुकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कर्ज के कारण किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं।

अत: आग्रह है कि कृषि कार्य में लगे किसानों के लिए रोजगार योजना शुरू करनी चाहिए जिससे किसान कृषि कार्य के बाद उस योजना से जुड़ सकें एवं अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इस योजना में जिनकी कम जमीन है तथा 18 से 65 वर्ष के किसानों को कृषि जॉब कार्ड देने की आवश्यकता है। जिसकी जिस तरह की जमीन है, उसे उसी लायक मजबूर जॉब कार्ड देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरो प्रसाद मिश्र को श्री राम दास सी. तडस द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

****श्रीमती वी. सत्यभामा (तिरूप्पुर):** माननीय अध्यक्ष महोदया, इस अवसर के लिए धन्यवाद। 17वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के हिंदू शासकों द्वारा भवानी नदी पर कोडिवेरी बांध का निर्माण किया गया था। यह बांध तमिलनाडु के इरोड जिले के गोबीचेट्टीप्पलायम तालुक, में 'पेरिया कोडिवेरी' नामक स्थान पर है। ताडाप्पल्ली और अरक्कनकोट्टई जलमार्ग दोनों तरफ से इस कोडिवेरी बांध से जुड़े हुए हैं। नदी के पार छोटे और बड़े पत्थरों की मदद से 20 फीट की ऊंचाई के लिए एक कृत्रिम झरना बनाया गया है। पानी का भंडारण भी किया जाता है। बांध के बाएँ और दाएँ किनारों पर दो सिंचाई, नहरें हैं जिनके नाम टाडापल्ली और अरक्कनकोट्टई हैं। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री जी और विश्व की पूज्य नेता डॉ. पुरात्चिथलाइवी अम्मा जी के आदेशों के तहत, तडाप्पल्ली और अरक्कनकोट्टई दोनों नहरों में 4 किलोमीटर के लिए कंक्रीट लाइनिंग बिछाने से संबंधित कार्य किया गया। युद्ध स्तर पर 40.45 करोड़ रु. और डेढ़ महीने के भीतर पूरा किया गया। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले गोबीचेट्टीप्पलायम और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले किसान, बेहद खुश हैं। इन दो जल नहरों के संबंध में अभी भी कुछ काम लंबित है। यदि यह काम समय पर पूरा हो जाता है, तो पानी का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के अलावा कृषि गतिविधियों को भी शुरू किया जा सकता है। यह परियोजना इरोड जिले के गोबीचेट्टीप्पलायम, अंधियूर और भवानी तालुकों में 24,504 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई के लिए सहायक है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से इस परियोजना से संबंधित शेष कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का आग्रह करती हूं।

धन्यवाद।

** मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण

श्री गजानन कीर्तिकर (मुंबई उत्तर पश्चिम): माननीय अध्यक्ष महोदया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ के संबंध में एक मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाल के दिनों में, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में भी हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है। हिंदू और हिंदू मंदिर वहाँ नरम लक्ष्य बन गए हैं। इस तरह की घटनाएं प्रमुख हिंदू त्योहारों से पहले होती हैं। धार्मिक मंदिर वे स्थान हैं जहाँ लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, शांतिपूर्ण पूजा करते हैं और दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा लेते हैं। 17 सितंबर, 2014, को संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदू विरोधी घटनाएं हुईं। कुछ दिन पहले भी, अमेरिका में इसी तरह की घटनाएं हुई थीं।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के साथ उठाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी शोभा करंदलाजे को श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के कृषक समुदाय की पीड़ाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आधुनिक समय में अधिक प्रौद्योगिकी निवेश के साथ खेती अधिक लागत वाली हो गई है। ओडिशा राज्य में नियमित रूप से आने वाली, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं और बीमारी या कीटों के प्रकोप से किसानों को अपूरणीय क्षति होती है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे देश की जीवन रेखा कृषि क्षेत्र में, हुए नुकसान के और भी खराब होने की उम्मीद है। जब तक पीड़ित किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं दी जाती, तब तक उनके लिए अपने कृषि उद्यम को पुनर्जीवित करना असंभव होगा। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष (सीआरएफ) से दी जाने वाली इनपुट सहायता को मौजूदा रुपये से उपयुक्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। 6,800 और रु. 13,500 प्रति हेक्टेयर गैर-

सिंचित और सिंचित भूमि क्रमशः न्यूनतम रु. 2,000। इसी तरह, बारहमासी और बागवानी फसलों के लिए फसल के नुकसान के लिए रु. की दर से इनपुट सहायता दी जाती है। 18,000 प्रति हेक्टेयर न्यूनतम रु. 4,000 को भी उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

हमारे माननीय ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने इस मामले को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार को कई पत्र लिखे हैं। इसलिए, मैं केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आपदा राहत कोष से आपदा प्रभावित किसानों को दी जाने वाली इनपुट सहायता को उपयुक्त रूप से बढ़ाने और कृषक समुदाय की मदद करने का आग्रह करता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ. प्रभास कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र सहारनपुर के गंगनौली में बजाज हिन्दुस्तान मिल द्वारा सुगर मिल संचालित है। बजाज हिन्दुस्तान एशिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादनकर्ता द्वारा जिलाधिकारी सहारनपुर को एक पत्र लिखा गया कि आगामी पेराई सत्र में वह मिल चलाने में असमर्थ हैं क्योंकि गन्ना किसान मिल को पूरा गन्ना नहीं दे रहे हैं। यह सरासर असत्य बात है बल्कि सच्चाई यह है कि मिल मालिक द्वारा किसानों का भुगतान सही रूप से नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में इस ग्रुप की 14 मीलें संचालित हैं। अभी बीते पेराई सत्र में 46,0000 क्विंटल गन्ने की पेराई मील द्वारा की गई है जिससे 4,14000 क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है और 1,60,000 लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ है। इन आंकड़ों से हम यह देख सकते हैं कि मिल को किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ है।

महोदया, मेरे क्षेत्र के लगभग 40 से 50 हजार किसान इस मिल से जुड़े हुए हैं। यदि यह मिल बंद होती है, तो किसान बर्बाद हो जायेगा और भूखमरी के हालात पर पहुंच जायेगा। मेरा आपसे यह आग्रह है कि सरकार मिल प्रबंधन और बजाज हिन्दुस्तान ग्रुप के प्रबंधन को निदेरशित करे कि वह गांव गंगनौली में स्थित शुगर मिल

का संचालन बंद न करे। यदि फिर भी प्रबंधन द्वारा इस मिल को बंद किया जाता है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाये।

माननीय अध्यक्ष: श्री अजय मिश्रा टेनी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राघव लखनपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनायक भाऊराव राउत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा सभागार में रख रहा हूं और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगा कि वे इस पर ध्यान देकर मदद करें.। ग्रामीण इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रास्ते बनाने का प्रावधान पिछले कई वर्षों से चालू है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज वन के अंतर्गत कई रास्तों का निर्माण हुआ। उसके बाद फेज-टू की भी शुरूआत हुई। लेकिन दुर्भाग्य से फेज वन में जितने रास्ते बनाये गयें, उसमें से कई रास्तों के लिए निधि का वितरण न होने की वजह से पिछले एक साल से उनका काम रुका पड़ा है। फेज-टू में जो रास्ते मंजूर हुए हैं, उनका काम भी शुरू हो गया है, लेकिन निधि न होने की वजह से वह काम भी रुक गया।

अध्यक्ष महोदया, लोगों की सहायता के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए निधि न होने की वजह से यह काम बंद हो रहा है, उससे लोगों में बहुत रोष है, क्योंकि इससे लोगो को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। वैसे हमने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी मिलकर विनती की है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय पंत प्रधान जी से विनती करूंगा कि देश के ग्रामीण विकास की इस महत्वपूर्ण योजना पर आप ध्यान दें और उसके लिए मदद करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री प्रतापराव जाधव, श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री राजन विचारे को श्री विनायक भाऊराव राउत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृषणन (नीलगिरीस): माननीय अध्यक्ष, महोदया, *वनक्कम*। सबसे पहले, मैं अपने महान नेता, अम्मा से प्रार्थना करता हूं।

महोदया, मैं देश भर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम करने वाले टोल-टैक्स गेटों की यात्रा करते समय और उन्हें पार करते समय सभी संसद सदस्यों और संसद के पूर्व सदस्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही में एकमात्र बाधा और बड़ी बाधा है और आने-जाने वाले लोगों के कीमती समय को बचाने और माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए इसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है। सभी संबंधित विभागों को कठिनाइयों के समाधान के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, चूंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं और कभी-कभी अपने निर्वाचन-क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में राज्य मुख्यालय जाते हैं। हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन जाते समय अथवा सड़क मार्ग, से यात्रा करते समय हमें टोल-टैक्स गेट को पार करना पड़ता है। एम.पी. स्टिकर वाले हमारे वाहनों को पहचान पत्र दिखाने के बाद भी सभी टोल-टैक्स गेटों में परेशानी मुक्त प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे अनावश्यक समस्या पैदा होती है। कभी-कभी हमारे पीए या हमारे प्रतिनिधि हमें हवाई अड्डे अथवा रेलवे स्टेशन; से लाने के लिए हमारे वाहन का उपयोग करते हैं, उस समय भी उन्हें यही समस्या हो रही होती है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार, से अनुरोध करूंगा, महोदया, कि वह आवश्यक कदम उठाए और संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिए जाएं कि संसद सदस्यों और संसद के पूर्व सदस्यों के वाहनों को देश में काम करने वाले सभी टोल-टैक्स गेटों में निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी जाए, ताकि सदस्यों की सुविधा के लिए हमें विशेषाधिकार दिया जा सके। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष जी, रेगिस्तान का जहाज जिसे शिप आफ डेजर्ट कहते हैं, मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। ऊंट सिर्फ आवागमन और वाणिज्य के लिए बहुत जगह काम आता है। यह राजस्थान में ही बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम आता है लेकिन आजकल इसकी दशा ठीक नहीं है। इनमें बहुत बीमारियां हो रही हैं और वध भी हो रहा है। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि 2015 में विधान सभा में एक्ट लाई हैं कि अगर इनका वध किया जाएगा, तो गंभीर दंडनीय अपराध होगा। ऊंटों की आबादी 1951 में करीब 3.25 लाख थी। हर साल सेंसस होता था, 1977 में इनकी आबादी करीब आठ लाख थी। 1983, 1988, 1997 में सेंसस हुआ था। 2012 में इनकी आबादी आठ लाख से 3.20 लाख हो गई है, घटती जा रही है। इनका बचाव बहुत जरूरी है। मेरा इतना ही कहना है कि इनकी घटती आबादी को देखते हुए भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार को निदेश जारी किया जाना चाहिए। ऊंटों की संख्या को देखते हुए इनके बचाव के लिए राजस्थान सरकार ने कदम उठाए हैं, इसी तरह भारत सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इनकी स्थिति और खराब हो जाएगी।

मैं आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बारे में विचार करके उचित कदम उठाएं।

श्री राहुल कस्वां (चुरू) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र चुरु के राजगढ़, तारानगर, नोहर व भादरा के आधिकांश गांवों में मोठ, बाजरा, ग्वार और तिलहन की फसलों में रैडहैड कैटरपिल्लर का प्रकोप सर्वाधिक मात्रा में है जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार मेरे संसदीय क्षेत्र के बीदासर, सुजानगढ़ व सरदारशहर तहसील के गांवों में मूंगफली की फसल में सफेद लट्ट जिसे व्हाइट ग्रब भी कहा जाता है, का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इससे मूंगफली की अधिकांश फसल नष्ट हो चुकी है। इस क्षेत्र में गत वर्ष के दौरान सफेद लट्ट का बहुत प्रकोप रहा था जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। अब ग्वार की फसल में रैडहैड कैटरपिल्लर रोग का प्रकोप शुरु हो गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को मूंगफली की सफेद लट्ट, खरीफ की अन्य फसलों में रैडहैड कैटरपिल्लर व ग्वार फसल में तेला रोग के प्रकोप से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता के कीटनाशी रसायन यथा समय अनुदान पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी को श्री राहुल कस्वां द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का समभाग मुख्यालय है। यह जनजातीय क्षेत्र है। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, छः जिले आते हैं। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। यहां वन सम्पदा और खनिज सम्पदा है। यहां जिंक उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जावर माइन्स, उदयपुर है। यहां से ज्यादातर लोग अरब देशों में रोजगार के लिए, रोजी-रोटी के लिए जाते हैं। वर्तमान में पासपोर्ट कार्यालय जोधपुर में है जो बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से 600 किलोमीटर दूर पड़ता है। वर्ष 2014 में 35000 पासपोर्ट उदयपुर समभाग से बने थे। इस तरह वर्ष में बनने वाले आधिकतर पासपोर्ट उदयपुर समभाग के लोगों के बनते हैं। हाल ही में 1 जून, 2015 को भारत सरकार की माननीय विदेश मंत्री महोदया सरकार के एक साल पूर्ण होने पर उदयपुर आई थीं, उन्होंने जनता की मांग के आधार पर घोषणा की थी। इसी संदर्भ में उदयपुर नगर निगम ने निःशुल्क भवन देने के लिए हामी भरी है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी की घोषणा के अनुसार टेक्नीकल टीम उदयपुर भेजकर स्थायी पासपोर्ट कार्यालय खोलकर इसे मूर्त रूप दे और उदयपुर समभाग के आदिवासियों और आम जनता के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी को श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री डी.एस.राठौड़ (साबरकांठा) : माननीय अध्यक्ष जी, गुजरात में पिछले कुछ सालों से कुछ लोग अनजाने फोन कॉल्स से लोगों को बिना कोई गारंटी या बिना पेपर देने का लालच देकर लाखों रुपया फर्जी बैंक एकाउंट में जमा करवाते हैं। आम लोग जिसे बैंक का प्रोसीजर पता नहीं होता है, ऐसे लोगों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और लोन के लिए एडवांस जमा करवाना है, ऐसी बात करके ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने फर्जी बैंक एकाउंट में जमा करवाते हैं। ऐसे लोगों का कोई स्थायी पता नहीं होता है और बाहरी राज्यों के बैंक एकाउंट होने की वजह से स्थानीय पुलिस भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है। इस विषय में ईमेल और एमएस के जरिये से भी लोगों से पैसा लिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से संबंधित मंत्रालय से मांग है कि इस विषय में संज्ञान लेकर आगे की कार्यवाही करे।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेन्थिल नाथन (शिवगंगा): माननीय अध्यक्ष महोदया, शासन के लोकतांत्रिक, रूप में हमारे तीन महत्वपूर्ण घटक हैं। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीन स्तंभ हैं जो प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं, जिसे चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब भी लोक कल्याण, के लिए कोई सरकारी अभियान चलाया जाता है, तो कार्यपालिका सभी सोशल मीडिया माध्यमों का उपयोग करके प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। जनता का ध्यान आकर्षित करने वाले विज्ञापनों में हमेशा केंद्र और राज्य सरकारों के निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखों की तस्वीर होती रही है। इसलिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें प्रकाशित करना बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में, हमारे प्रिय नेता, माननीय मुख्यमंत्री, अम्मा कई कल्याणकारी उपायों को लागू करती हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों को सरकार, से जोड़ने के लिए राज्य के जननेता की तस्वीर आवश्यक है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से सरकारी विज्ञापनों में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री जी की तस्वीर प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह करूंगा।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भगवंत खुबा (बीदर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने शून्यकाल में बोलने का मौका दिया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब विदेश दौरे में जा रहे हैं, तो काफी देशों को आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रख रहे है। जिन देशों को आर्थिक मदद देने के लिए हां कर रहे हैं, उन देशों में उदाहरणार्थ जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये देश चीनी का उत्पादन नहीं करते हैं। भारत में इस साल चीनी का बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ है। हमारे पास बहुत चीनी है। आर्थिक सहायता के अन्तर्गत चीनी को यदि हम एक्सपोर्ट करें तो भारत के किसानों के लिए बहुत मदद हो जाएगी और हमारी कृषि उपज जो दाल होगी या चीनी होगी या गेहूं होगी, उन देशों को यदि हम दे दें तो हमारे किसानों के लिए बहुत मदद होगी। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री भगवंत खुबा द्वारा उठाये गये विषय से श्री भैरों प्रसाद मिश्र को एसोशिएट किया जाए।

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले तीन साल से मेरा उस्मानाबाद जिला सूखाग्रस्त है। पिछले एक साल में मेरे जिले में कम से कम सौ से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसानों की आत्महत्या करने की वजह सिंचाई के लिए पानी का नहीं होना है। अभी पीने के लिए भी पानी नहीं है। पिछले साल जो टैंकर चालू किये गये थे, वे चालू हैं और उसकी संख्या बढ़ गई है। ऐसे में किसानों ने पिछले साल जो गन्ना चीनी मिलों में दिया था, उनको जो पेमेंट देना चाहिए था, वह दिया नहीं है। दो मिलों ने एक रुपया तक पेमेंट नहीं किया है। इसी के कारण हमारे महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्या की संख्या बढ़ चुकी है। अगर सरकार इसको रोकना चाहती है, तो चीनी मिलों पर बंधन डालना चाहिए। यदि एकाध किसान आत्महत्या करता है, तो कलैक्टर ऑफिस से उसको एक लाख या दो लाख रुपया मुआवजा मिलता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एकाध किसान यदि आत्महत्या करता है, तो कलैक्टर के पास फाइल करना पड़ता है। कलैक्टर उसकी जांच करता है और फाइल रिजेक्ट करता है। जब किसान आत्महत्या करता

है तो उसके गांव में गांव का सरपंच, ग्राम सेवक, गांवों के पांच पंचों के समक्ष पुलिस का पंचनामा किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है। उसके बाद डैथ डिक्लेअर हो जाती है। उसके बाद एक महीने तक पर्चियां लेकर कलैक्टर ऑफिस में दुखी कुटुम्ब घूमता रहता है और फिर कलैक्टर बोलता है कि यह फाइल रिजेक्ट है।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

अध्यक्ष जी, जिसके घर का कमाऊ आदमी मर गया, उसके घर के सभी लोग दुखी हैं। दुखी परिवार के लोगों को महीनों कलेक्टर आफिस के चक्कर मारने पड़ते हैं। क्या सरपंच, तहसीलदार, पुलिस, डाक्टर आदि पर भरोसा नहीं है। उनकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है। मेरा मानना है कि अगर किसी किसान ने आत्महत्या की है, तो सहानुभूतिपूर्वक कलेक्टर को उसके घर जा कर दो लाख रुपयों का मुआवजा देना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र शासन को कहना चाहता हूं कि दुखी कुटुम्ब के आंसू पोंछने का काम करना चाहिए। चाहे बैंक हों या चीनी मिलें हों, इनकी वजह से भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। इनके ऊपर भी सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल शेवाले और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : महोदया, पिछले शनिवार और रविवार को हम दिल्ली में रहे तथा चार सांसद पानीपत और कुरुक्षेत्र में गए थे। वहां कुछ लोगों से मिले। पानीपत के युद्ध के बाद में भी जो मराठा महाराष्ट्र से यहां आए, उन्हें रोड मराठा के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र का इतिहास गौरवशाली है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर पेशवा पुणे से आगे बढ़ते-बढ़ते दिल्ली तक पहुंचे और दिल्ली में अब्दाली को हराया। अब्दाली हारने के पश्चात अफगानिस्तान जाते समय पानीपत में रुका। जब पेशवाओं को इस बात का पता चला तो पानीपत में वर्ष 1761 में युद्ध किया। उस युद्ध में हम हारे लेकिन फिर भी वहां अब्दाली अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाया क्योंकि हारने वालों में से माधव जी शिंदे ने कहा कि बचेंगे, तो और भी लड़ेंगे -

यह मराठों का अपना हौसला था। इसे देखकर अब्दाली यहां अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया। आज वही मराठा समाज के 250 साल हो गए हैं, 7 या 8 लाख लोग दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र में दिल्ली के आस-पास रहते हैं। पूर्व सरकारों से इन्होंने मांग की थी कि हमें मिलिट्री में मराठा रेजीमेंट में भर्ती किया जाए। इस बात को मान्यता दी गई और हरियाणा में मराठा रेजीमेंट खोली गई। इसके बाद पता नहीं क्यों मराठा रेजीमेंट बंद कर दी गई। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने फिर मांग की कि हम यहां माइनोरिटी में हैं इसलिए हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पानीपत के युद्ध में जितने मराठा वीरगति को प्राप्त हुए, समाज के लिए जो वीरगति को प्राप्त होते हैं वह मरता नहीं है वह या तो दुश्मन को मिट्टी में मिला देता है या स्वयं के खून से मिट्टी को सजा देता है।

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद सावंत : आज 250 साल बाद भी वे लोग वहां रहते हैं। अब्दाली ने बाद में जा कर कहा था कि अगर यहां मराठा हुए, तो उनका सिर काटकर लाने वाले को पांच लाख रुपए देगा।

माननीय अध्यक्ष: आप इतिहास की बात को दोहरा रहे हैं।

श्री अरविंद सावंत : महोदया, आप महाराष्ट्र के इतिहास को अच्छी तरह से जानती हैं। आप सोच सकती हैं जब उस समाज के लोगों ने हमसे अपना दुख कहा, तो हमें कितना सदमा लगा होगा। वे बहुत छोटी मांग कर रहे हैं कि फिर से मराठा रेजीमेंट खोला जाए। मराठा लोगों को मराठा रेजीमेंट में भर्ती करने की अनुमति मिले। अगर उन्हें माइनोरिटी समझ कर कुछ सुविधाएं दी जाएं, तो वह समाज आगे बढ़ सकेगा। 250 साल के बाद भी इतिहास को बरकरार रखने वाले समाज का मैं खासकर अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सरकार इनकी सहायता करे।

माननीय अध्यक्ष: सर्वश्री विनायक भाऊराव राउत, राजन विचारे, श्रीरंग आप्पा बारणे, प्रतापराव जाधव, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, राहुल रमेश शेवाले, सुधीर गुप्ता, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्रीमती भावना

पुंडलिकराव गवली को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। अभी राजस्थान में जो बरसात हुई, उससे काफी मकानों को नुकसान हुआ। मेरा विषय यह है कि हमारे यहाँ जब औसत से अधिक बरसात होती है, तो कच्चे मकान गिर जाते हैं, कुछ पक्के मकान भी टूट जाते हैं। लेकिन, एन.डी.आर.एफ और एस.डी.आर.एफ के तहत सरकार के जो नियम हैं, उनमें लिखा है कि बादल फटने से नुकसान होने पर, भूकम्प आने पर, ज्वालामुखी आने पर तथा बाढ़ आने पर यदि नुकसान होता है, तो हम आपको एन.डी.आर.एफ और एस.डी.आर.एफ में सहायता देते हैं।

आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मेरी मांग है कि राजस्थान में औसत से अधिक वर्षा होने पर भी ये नियम लागू होने चाहिए। वर्षा होना अच्छी बात है, यह होनी चाहिए, लेकिन जब अतिवृष्टि होती है और कच्चे-पक्के मकान टूट जाते हैं, तो इससे बहुत समस्या होती है। इससे राजस्थान में कुछ मौतें भी हो गयी हैं। इसलिए एन.डी.आर.एफ और एस.डी.आर.एफ के निमय में शिथिलता देते हुए राजस्थान को विशेष पैकेज़ दें ताकि, वहाँ जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुमेधानन्द सरस्वती को श्री अर्जुनराम मेघवाल द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभी लिस्ट के अलावा एक्सट्रा लोग बोलने वाले हैं। जिन लोगों के नाम मैं लूँगी, वे अपनी बात एक-एक मिनट में पूरी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सी. महेंद्रन, आप केवल एक मिनट लेते हैं और पूरी बात पढ़ने के लिए नहीं।

श्री सी. महेंद्रन (पोल्लाची): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय को धन्यवाद देता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, हमारे भगवान पुरात्ची थलाइवी अम्मा तमिलनाडु में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में चलने वाले सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को कृषि ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर के विस्तार के संबंध में मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए।

मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में चलने वाले सभी बैंक छोटे और मध्यम किसानों को 5 लाख रुपये तक का कृषि ऋण देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सात प्रतिशत के ब्याज के साथ 3 लाख रु. इस शर्त के साथ कि यदि ऋण एक वर्ष की अवधि के भीतर वापस किया जाता है, तो ऋण राशि के तीन प्रतिशत के बराबर धनराशि ब्याज के अनुदान के रूप में उनके खाते में जमा की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष: वह काफ़ी है।

श्री सी. महेंद्रन: यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

माननीय अध्यक्ष : महोदय: मुझे पता है।

श्री सी. महेंद्रन: यह बहुत पीड़ादायक है कि नाबार्ड 2014-15 के दिशा-निर्देशों में अर्थात परिपत्रों के माध्यम से सभी सीमांत किसानों को यह निर्देश दे रहा है कि वे छोटे किसानों को कृषि ऋण दें और इसकी सीमा 3 लाख रुपये है, जिस पर सात प्रतिशत ब्याज दर लागू होगी। .।

जाहिर है, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा दिए जाने वाले कृषि ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर ही बैंकों के पास लंबित ऋणों के उच्च स्तर पर होने का वैध कारण हो सकता है। बड़े किसानों को अपनी भूमि पर आवश्यक और तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए उनकी भूमि के अनुसार ऋण राशि 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी जानी चाहिए, कृषि ऋण पर नाममात्र ब्याज दर पर कुछ शर्तें प्रस्तावित की जानी चाहिए.।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वित्त मंत्री तत्काल कार्रवाई करेंगे और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर की सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में चलने वाले सभी बैंकों को देने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेंगे। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी ने तमिलनाडु में इसे स्थायी रूप से लागू किया। अगर कृषि ऋण पर राशि बढ़ाई जाती है, तो बड़े किसानों को राहत की सांस मिलेगी। इसके साथ, मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद महोदया।

[हिन्दी]

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने शून्य काल के तहत एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय कोयला मंत्री जी का ध्यान कोल इंडिया के अधिकारियों की वर्ष 2007 से लागू हुए वेतन समझौते की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। विदित हो कि वर्ष 2007 में लागू वेतन समझौते के अनुसार कोल इंडिया के अधिकारियों को परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान और नयी पेंशन योजना लागू की गयी थी, परन्तु आज तक दोनों ही मामले लम्बित हैं, जिससे कोयला क्षेत्र के अधिकारी काफी व्यथित हैं।

वर्ष 2012 में कोल इंडिया के अधिकारियों को चार वर्ष के पी.आर.पी के अमाऊंट की 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया गया था। परन्तु कोल इंडिया के सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों से एक सौ प्रतिशत अमाऊंट की रिकवरी की जा रही है, जो इनके साथ अन्याय है एवं काफी दुखदायी है।

अतः मैं माननीय कोयला मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि कोल इंडिया के अधिकारियों के परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान और नयी पेंशन योजना को लागू करने का कष्ट करें ताकि कोल इंडिया के अधिकारियों को राहत मिल सके।

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज उत्तर प्रदेश में एक गंभीर समस्या है। पूरे देश में अभी सावन का महीना है। करोड़ों शिव-भक्त अलग-अलग स्थानों पर जाकर जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मुगल शासन काल से भी आधिक यातना शिव-भक्तों को देने का काम प्रदेश सरकार

द्वारा किया जा रहा है। जो शिव-भक्त भजन-कीर्तन करते हुए, गंगा जी का जल लेकर शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को केवल उन शिव-भक्तों को भजन-कीर्तन करने से रोकने पर लगा रखी है। कई जगह शिव-भक्तों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र में फूलपुर सोरांव एक स्थान है, जहाँ पर कांवरियों की सेवा करने के लिए पंडाल लगाया गया था। उस पंडाल के अंदर लगे हुए ध्वनिवर्द्धक को उतार दिया गया। कल भक्तगण फूलपुर के एक मंदिर में निशान चढ़ाने के लिए जा रहे थे, उन पर लाठियाँ बरसायी गयीं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस प्रकार की घटनाएँ हैं। मैंने कई बार मांग की हैं कि जिन रास्तों से होकर लाखों की संख्या में शिव-भक्त भक्तिभाव से जाते हैं, उन रास्तों में शराब की दुकानों को, मांस की दुकानों को बन्द कराया जाये परन्तु अभी तक बंद नहीं किया गया है। गंगा जी के जिन घाटों से लाखों शिव-भक्त जल लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और केवल मुस्लिम वोटों के लालच में हिन्दुओं के साथ दमन-चक्र चलाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में बहुत स्थिति खराब है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो दमन-चक्र चला रही है, उसे रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाये जाएं।

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात पूरी हो गयी है, अब कृपया बैठ जाएं।

सर्वश्री भैंरो प्रसाद मिश्र, डॉ. वीरेन्द्र कुमार, दद्दन मिश्रा, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, राघव लखनपाल को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी (बस्ती) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे पास दो विषय हैं। एक विषय आ गया है, यदि आपकी अनुमति हो, तो मैं दूसरे विषय पर अपनी बात कह दूँ।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आप अपनी बात कहें।

श्री हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी :मेरे संसदीय क्षेत्र में गन्ना एक प्रमुख फसल होने के साथ-साथ यह किसानों के जीवन का आधार है। रहने के लिए मकान, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, बेटियों की शादी से लेकर किसानों के

तमाम सपने गन्ने की फसल से मिलने वाले मूल्य पर ही निर्भर होते हैं। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से गन्ना किसान, मिल मालिकों और सरकार की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। इससे इनका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र बस्ती में कुल चार चीनी मिलें- बस्ती, वाल्टरगंज, मुंडेरवा और उधौली में थीं। वर्ष 2002 में कतिपय कारणों से अचानक मुंडेरवा चीनी मिल बंद कर दी गयी। इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। तीन किसान इस आंदोलन में अपनी जान तक गवां चुके हैं। फिर भी चीनी मिल चालू नहीं हो पायी। वर्ष 2012 में अपने बड़े दाने के लिए मशहूर बस्ती चीनी मिल को भी बंद कर दिया गया। तब से लेकर अब तक मिल के गेट पर किसानों का अनवरत धरना चल रहा है। फिर भी स्थिति जस की तस है। दुर्भाग्य से इस वर्ष वाल्टरगंज चीनी मिल को भी बंद किया जा रहा है।

बज़ाज ग्रुप द्वारा संचालित बस्ती और वाल्टरगंज चीनी मिलों में आर्थिक भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के शोषण की व्यापक शिकायत मिल रही है। इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गन्ना किसानों की दशा पर गंभीरता से विचार करते हुए बंद हो चुकी दोनों चीनी मिलों को चालू कराया जाए।

श्री राहुल शेवाले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में संसार की शायद सबसे खूबसूरत कोस्टल लाइन है, जिसके मुहाने पर बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और लगभग तीस मिलियन लोग फिशिंग का कार्य करते हैं। प्रतिवर्ष देश की जी.डी.पी में लगभग .7 प्रतिशत हिस्सेदारी करते हैं। फिशरीज उद्योग कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कृषि मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, जिसके ऊपर देश के किसान, फसल, फसल योग्य भूमि और उनके विकास का बहुत बड़ा कार्य है। इसी कारण फिशरीज पर यह मंत्रालय उतना ध्यान नहीं दे पाता है। वर्ष 2013 और वर्ष 2014 के बजट में फिशरीज डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 317 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, जिसका बहुत बड़ा भाग रिसर्च और ट्रेनिंग में खर्च किया गया, सिर्फ 8.4 करोड़ रुपये मछुआरों की वेलफेयर के लिए खर्च हुए। देश के उत्तरी भाग को छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में कोस्टल लाइन है

और सभी राज्यों की फिशिंग मिनिस्ट्रीज को केन्द्र के कृषि मंत्रालय पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए केन्द्र सरकार में अलग से मत्स्य उद्योग मंत्रालय की अत्यंत आवश्यता है, जिससे इतने बड़े फिशरीज उद्योग का अच्छी तरह विकास हो सके। मछली उद्योग से जुडे कई संस्थान जैसे नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, इंडियन फिशरीज इंडस्ट्रीज फेडरेशन अलग फिशरीज मिनिस्ट्री की मांग वर्षों से करते आ रहे हैं। उनकी इस मांग का मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और एक स्वतंत्र मत्स्य उद्योग मंत्रालय की स्थापना हेतु कैबिनेट से मंजूरी लें। इससे मछली उद्योग से जुड़े छोटे-छोटे मछुआरों का विकास होगा, उनका जीवनयापन सुधरेगा और साथ ही, उनके शोषण पर भी अंकुश लगेगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री राहुल शेवाले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, कल बीती मध्य रात्रि में मध्य प्रदेश के हरदा रेलवे स्टेशन के समीप एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है। कामायनी एक्सप्रेस, जो मुंबई की तरफ से चलकर भोपाल होकर बनारस जाने वाली थी और दूसरी ट्रेन जनता एक्सप्रेस, जो इटारसी से मुंबई की तरफ जा रही थी, एक पुल टूट जाने के कारण उन ट्रेन्स के डिब्बे पानी में गिर गए। जो समाचार मिल रहे हैं, उनमें 25-30 लोगों की मृत्यु होने की खबर है। माननीय रेल मंत्री जी ने यहां अपना स्टेटमेंट दिया है। घायलों और मृतकों के परिवारों को सहायता देने की घोषणा की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से ही वहां पर राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों की तरफ से मैं इस घटना पर अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्रालय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि थोड़े दिनों पहले इटारसी के सिगनल सिस्टम में आग लगी थी, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, फिर अब यह घटना हुई है, इसमें कहीं न कहीं ट्रैक में कुछ कमी रही होगी। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि रेल मंत्रालय इस विषय को गंभीरता से देखें क्योंकि वहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन पर कैसे काबू पाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के.आर.पी. प्रभाकरन (तिरूनेलवेली): माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदया, सबसे पहले, मैं हमारे माननीय को धन्यवाद देता हूं नेता, डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा, मुझे इस महती सदन में बोलने का मौका देने के लिए।

पलायमकोट्टई, जिसे 'दक्षिण भारत के ऑक्सफोर्ड' के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु के मेरे तिरूनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र में एक शहर है। तिरूनेलवेली जिले और उसके आसपास उच्च शिक्षा के लगभग सभी सर्वश्रेष्ठ स्कूल, कॉलेज और संस्थान पलायमकोट्टई में स्थित हैं, जिनमें से कुछ एक सदी से भी अधिक पुराने हैं।

शहर के कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि यह अपने इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य कॉलेजों से बड़ी संख्या में पेशेवर छात्रों को जन्म देता है। युवा उद्यमी अब प्रचुर मात्रा में हैं और पर्यावरण तेजी से आधुनिक हो रहा है, जो एक आधुनिक महानगरीय समाज के सभी सकारात्मक संकेत हैं। अध्ययन के उन सभी क्षेत्रों में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है जहां समाज की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि सभी पदों के लिए वर्तमान आरआर पीजी की मांग करता है, लेकिन पीजी सीटों की संख्या कम है। इसलिए, मैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जी से इन सभी विषयों में स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह करूंगा। धन्यवाद।

श्री राम मोहन नायडू किंजरपु (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे, यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। पिछले हफ्ते, 29 जुलाई 2015 को, लीबिया में सिर्ते विश्वविद्यालय, में काम कर रहे चार भारतीय प्रोफेसरों का आई.एस.आई.एस. से जुड़े एक आतंकवादी संगठन द्वारा अपहरण कर लिया गया है और विदेश मंत्रालय (एमईए) और वहां के विश्वविद्यालय, के अधिकारियों के सर्वोत्तम प्रयासों से, उनमें से दो भारत लौट

आए हैं। लेकिन दो लोग, श्री. गोपालकृष्णन, जो मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र से हैं, और श्री बलराम जो करीमनगर, तेलंगाना से हैं, अभी भी बंदी हैं।

मैं भारत सरकार से, विशेष रूप से, विदेश मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें क्योंकि मैं श्री. गोपालकृष्णन, के पिता श्री. नारायण राव, के साथ लगातार संपर्क में रहा हूं और मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वे बहुत चिंतित हैं। इसके अलावा, जो बात उनकी चिंताओं को बढ़ाती है वह यह है कि पिछले साल इराक में इसी तरह के संगठन द्वारा 39 लोगों का अपहरण कर लिया गया था, उनका ठिकाना अभी भी ज्ञात नहीं है। इसलिए, इन दो भारतीय नागरिकों के लिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, और उन्हें वापस लाया जाना चाहिए।

मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा। इस तरह की बात मध्य-पूर्व में और खाड़ी देशों में भी इस बार बहुत हो रही है। इसलिए, मैं विदेश मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या वे पहले से सलाहकार नोटिस दे सकते हैं कि ये इस तरह के परिणाम हैं, जो वहां होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि के बहुत से लोग इन देशों में काम करने के लिए जाते हैं। वे सभी मजदूर हैं और वे कुछ नहीं जानते। वे प्रक्रियाओं और अन्य चीजों को नहीं समझते हैं। वे वहाँ सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है।

इसलिए, विदेश मंत्रालय को इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इन देशों की यात्रा करने वाले सभी लोगों को सलाह देनी चाहिए कि उन्हें वहां किस तरह के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री राम मोहन नायडू किंजारपु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, माता सावित्रीबाई फुले *भारत में महिला शिक्षा* की चैंपियन थीं, जिन्होंने वर्ष 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए जबरदस्त काम किया। वह लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार

के खिलाफ भी दृढ़ता से खड़ी रहीं और विधवा उत्थान के साथ-साथ अस्पृश्यता के उन्मूलन की वकालत की। ऐसे महान राष्ट्रीय सुधारकों की यादें आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहेंगी ताकि वे प्रेरणा लेते रहें।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि वह भारत की इस महान महिला समाज सुधारक को उनकी जयंती, 3जनवरी, को राष्ट्रीय महिला साक्षरता दिवस के रूप में घोषित करके सम्मानित करे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यू.पी., गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली में गणेश चतुर्दशी का त्यौहार काफी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह त्यौहार धार्मिकता से बढ़कर सांस्कृतिक सौहार्द्र का प्रतीक है। इस त्यौहार में पूरे दस दिनों तक सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। इस त्यौहार-उत्सव की शुरूआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। श्रीगणेश चतुर्दशी के त्यौहार में पूजा-अर्चना के साथ-साथ शाम को लोक संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो देर रात तक चलते हैं। परंतु लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति रात को सिर्फ दस बजे तक है। इस कारण लोक संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि श्रीगणेश चुतर्दशी के त्यौहार के लिए दस दिनों तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति रात 12 बजे तक अवश्य दी जाए। यदि सरकार चाहे तो लाउडस्पीकर की आवाज़ की सीमा निश्चित कर दे।

माननीय अध्यक्ष: आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सरकार से प्रार्थना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करे, ताकि इस तरह का जो बैन लगा हुआ है, वह रद्द हो सके। साउंड पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए आवाज़ की सीमा तय की जाए। इस सांस्कृतिक त्यौहार एवम् नवरात्रि में रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: इसके साथ यह भी कहें कि फिल्मी संगीत नहीं बजाना चाहिए, तो चल सकता है।

[अनुवाद]

श्री एस. आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय अध्यक्ष, महोदया, तमिलनाडु का दृढ़ विश्वास है कि राज्यों के बीच नदियों को आपस में जोड़ने और राज्य के भीतर नदियों को आपस में जोड़ने से पानी के इष्टतम उपयोग और समुद्र में जाने वाले कचरे में भारी कमी लाने में बहुत मदद मिलेगी। हम महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-पलार-कावेरी-वैगई-गुंदर को जल्द से जल्द जोड़ने वाले प्रायद्वीपीय ग्रिड के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कानून के पक्ष में हैं।

16 अप्रैल, 2013 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यबल के तत्कालीन अध्यक्ष से नदियों को आपस में जोड़ने के कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया था। यह माननीय सदस्य होना है पुरात्ची थलाइवी अम्मा का दृढ़ विचार है कि इंटरलिंकिंग परियोजनाओं में, मौजूदा अंतर-राज्य समझौतों से बहने वाले पानी के उपयोग के अधिकार को बाधित नहीं किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य तमिलनाडु जैसे घाटे वाले राज्यों में पानी की उपलब्धता बढ़ाना होना चाहिए।

तमिलनाडु में पेन्नियार (सथानूर बांध) – पालार लिंक; पेन्नैयार (नेदंगल एनीकट) – पालार लिंक; कुवावेरी (मेट्टूर बांध) – साराबंगा लिंक; अथीकाडावु – अविनाशी बाढ़ नहर योजना; और तामिराबरानी – करुमेनियार – नाम्बियार लिंक को जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम था। मैं केंद्र से आग्रह करता हूं कि वह हमारे राज्य द्वारा मांगी गई भूमि अधिग्रहण की लागत सहित तत्काल केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करे।

केरल में पंबा और अचनकोविल की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के लगभग 22 टी.एम.सी. फीट पानी को तमिलनाडु के वैप्पर बेसिन में मोड़ने की लंबे समय से चली आ रही मांग से तमिलनाडु के पानी की जरूरत वाले दक्षिणी जिलों को लाभ होगा। मैं केंद्र से केरल के साथ एक बैठक आयोजित करने का भी अनुरोध करता हूं, ताकि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों की पानी की वास्तविक मांगों को तुरंत पूरा किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गम्भीर मुद्दे पर लाना चाहता हूं। इस देश में वर्ष 1984 में देश की राजधानी दिल्ली

और बहुत से अन्य हिस्सों में सिक्ख समाज के बेगुनाह लोगों का सरेआम कत्लेआम हुआ था। औरतों और बच्चों के गले टायर डाल कर उनको जला दिया गया। दुखः इस बात का है कि उस समय की सरकार की उसको सरेआम शह थी। जब लाशों पर लोग नाच रहे थे, तो उस समय की सरकार जो बड़ा नेता कह रहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। आज जो लोग जम्हूरियत की बातें कर रहे हैं, इंसानियत की बातें कर रहे हैं, इन्होंने उस समय सरेआम देश का कत्ल किया था, जम्हूरियत का कत्ल किया था। मैं आपके माध्यम सरकार से दो बातों के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग कमीशन्स ने कलप्रिट्स को आइडेंटिफाई किया है, उनको अभी तक कोई सजा नहीं दी गयी है। माननीय वाजपेयी साहब ने नानावती कमीशन बनाया था। उन्होंने दोषियों को आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन एक्शनटेकन रिपोर्ट के समय सरकार बदल गयी। अब मोदी साहब की सरकार आयी है। जिसके मेनिफेस्टो में वादा किया और इन्होंने सरकार बनते ही एस.आई.टी बैठायी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि एस.आई.टी का क्या स्टेट्स है? बेगुनाहों को कब पकड़ा जाएगा और सज़ा दी जाएगी? पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये देने का भी वायदा किया गया था, उसका क्या स्टेट्स है? रिएक्शन में बहुत सारे लोग जेलों में चले गए थे, उनको अदालतों ने सजा सुनायी और वे पूरी कर पाएं, उनकी रिहाई का भी मैं निवेदन करता हूं।

मैं आखिर में एक बात इस सदन को कहना चाहता हूं कि हजारों बेगुनाह लोग इस देश की धरती पर मारे गए। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन सर्वसम्मति से उन लोगों को श्रद्धांजलि दे और पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति जताए, यह मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री राघव लखनपाल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक ऐसा मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो पिछले कई दशकों से हमारे लोगों की लंबे समय से लंबित मांग रही है।

मैं बालासोर से आता हूं जो ओडिशा के उत्तरी भाग में है। जबकि ओडिशा का अधिकांश हिस्सा पूर्वी तट रेलवे के अंतर्गत आ रहा है जो देश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला रेलवे क्षेत्र है, ओडिशा के कुछ उत्तरी हिस्से दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आते हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व रेलवे को सड़क किलोमीटर का केवल चार प्रतिशत हिस्सा मिला है, फिर भी यह पूरे देश में माल ढुलाई में 14 प्रतिशत का योगदान देता है। हम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम उस वृद्धि के शिकार हो गए हैं। हमने ऐसी वृद्धि कभी नहीं देखी। अभी तक, एक अच्छी परियोजना की घोषणा भी नहीं की गई है। अगर किसी परियोजना की घोषणा की गई है, तो वह लगभग कागजों पर ही रह गई है। हमारी मांग पिछले 30 वर्षों से सरकार के साथ लंबित है। हम अनुरोध करते रहे हैं कि हमें दक्षिण पूर्व रेलवे से बाहर निकाला जाए और पूर्वी तट रेलवे का हिस्सा बनाया जाए। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि बालासोर में एक अलग रेलवे डिवीजन की स्थापना की जाए, जिसमें रेलवे डिवीजन की स्थापना के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं हों।

[हिन्दी]

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र उरण में धारापुरी गांव है। छठवीं शताब्दी की एलाफेंटा गुफाएं हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इसको टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है। यह स्थल मुम्बई के गेटवे ऑफ इंडिया से 13 किलोमीटर दूर है। यह समुद्र के बीचों-बीच है। यहां 60 वर्षों से पानी और लाइट की कोई सुविधा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि धारापूरी जहां एलीफेंटा गुफाएं हैं, वहां सड़क, बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया।

महोदया, देश के 17 व्यक्तियों पर 2.14 लाख करोड़ रुपये के बकाया के संबंध में मैं बोलना चाहती हूं। मुझे यह सूचना मिली है कि देश में कुछ व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों पर कुल कर बकाया आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अगर इस धनराशि में बैंक लोन डिफाल्ट की धनराशि भी जोड़ दी जाए तो यह रकम इतनी अधिक है कि देश की आर्थिक तरक्की को दुगुनी कर सकती है। मुझे ज्ञात है कि 35 कंपनियों के ऊपर 90,568 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। देश के कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं, जो बैंकों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन तो लेते हैं, परंतु उन्हें चुकता नहीं करते हैं। इसके कारण जिनको लोन मिलना चाहिए, उन्हें लोन नहीं मिलता है, जबकि कुछ लोग फर्जी कंपनियां या फर्जी नाम से बैंकों से लोन ले लेते हैं। एक तरफ बैंकों द्वारा गांवों में रहने वाले किसानों या अन्य छोटे बैंक डिफाल्टरों, जिनकी कुल देनदारी हजारों में होती है, उनको पकड़कर जेल तक भेज दिया जाता है। उनके मकान या सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती की जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन कंपनियों या व्यक्तियों के ऊपर लोन या टैक्स के रूप में इतनी बड़ी धनराशि बकाया है, उन्हें छोड़ दिया जाता है।

मैडम, आज देश में हर जगह भ्रष्टाचार और कालेधन के गठजोड़ की चर्चा है। मुझे लगता है कि यह प्रकरण भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय है, जिसे कुछ उद्योगपति या कंपनियां टैक्स रिटर्न के प्रावधान में कमी का फायदा उठाकर जान बूझकर बैंक को रिटर्न नहीं करते हैं, इससे देश की आर्थिक नीति भी प्रभावित हो रही है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग है कि एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर टैक्स एवं लोन बकायेदारों की जांच की जाए और एक निश्चित समय के अंदर उनसे पूरी रकम वसूली की जाए, ताकि देश में सकारात्मक संदेश जाए और लोगों का भी कल्याण हो जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष:वीरेन्द्र जी आप इसमें सहयोगी बनो। श्री सी.आर.चौधरी को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

लोक सभा अपराह्न 2:30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.31 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.33 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे तैंतीस मिनट पर समवेत हुई।

(*माननीय उपाध्यक्ष पीठासीन हुए*)

नियम 377** के अधीन मामले

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। .जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो सदस्य इसे सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर विषय का पाठ सभा पटल पर रख सकते हैं।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनका पाठ निर्धारित समय के भीतर पटल पर प्राप्त हो गया हो। शेष मामलों को व्यपगत माना जायेगा।

** सभा पटल पर रखे गए माने गए।

(एक) शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए रांची, झारखंड में फ्लाईओवरों का निर्माण करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र राँची (झारखण्ड) में बढ़ती यातायात व्यवस्था से आये दिन होने वाले जाम की तरफ दिलाना चाहता हूँ। राँची झारखण्ड राज्य की राजधानी है। इस महानगर में दिनोंदिन वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है जिसके कारण राँची की सड़कों पर जाम एवं दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके चलते लोगों को आवागमन संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए जनहित में राँची के पंडरा से कचहरी चौक से मेन रोड़ होते हुए डोरन्डा तक एक फ्लाई ओवर बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है और साथ ही फराया लाल चौक से कोकर तक एक फ्लाई ओवर का निर्माण करना भी आति आवश्यक है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में उपरोक्त सड़कों पर फ्लाई ओवरों का निर्माण कराने हेतु शीघ्र धन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि फ्लाई ओवरों का निर्माण कार्य शीघ्र कराया जा सके।

(दो) वसई-विरार नगर निगम को मेगा शहर घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री चिंतामन नवाशा वंगा (पालघर): मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने भारत के सौ शहरों को मेगा सिटी घोषित किया है। मैंने पहले ही सरकार से महाराष्ट्र में अपने निर्वाचन-क्षेत्र में वसई-विरार नगर निगम को एक विशाल शहर घोषित करने का अनुरोध किया है, लेकिन आज तक इसकी घोषणा नहीं की गई है।

वसई-विरार नगर निगम मुंबई के महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आता है और तेजी से विकसित हो रहा है। यह अरब सागर के तटीय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक शहर है। अगाशी और अर्नाल इस क्षेत्र के तहत प्राचीन पर्यटन केंद्र हैं और इस निगम का पूर्वी हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। तुंगरेश्वर और जिरादाने के दोनों प्राचीन मंदिर इस पहाड़ी क्षेत्र के पहाड़ पर हैं। इसलिए, मैं, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वसई-विरार नगर निगम को मेगा सिटी घोषित किया जाए।

(तीन) **दिल्ली में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) :, मैं सरकार का ध्यान प्रदूषित हो रही यमुना और हजारों करोड़ रूपए खर्च होने के बाद भी यमुना की बदहाल स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। यमुना हमारे देश में धार्मिक महत्व रखने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। हमारे देश में नदियों को एक विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि " मां" की संज्ञा दी जाती है लेकिन दिल्ली में यमुना की दुर्दशा को देख मन व्यथित होता है। दुखद बात है कि यमुना दिल्ली में आज केवल मात्र नाला बनकर रह गई है। दिल्ली सरकार और संबंधित विभागों के ढुल-मुल रवैये तथा अपेक्षित इच्छाशक्ति की कमी के कारण आज हजारों करोड़ रूपये खर्च होने के बाद भी यमुना की इतनी खराब स्थिति है। यमुना नदी के तल पर हो रहे आतिक्रमण पर नकेल न कसी जाने की वजह से कुछ जगह यमुना नदी का तल मात्र 800 मीटर ही रह गया है। यमुना की बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन को दिल्ली में चल रहे निर्माण और अन्य चीजों के मलबे का डम्पिंग यार्ड बना दिया गया है। वर्ष 2010 में आई यमुना नदी में बाढ़ के बाद 28 अक्तूबर, 2010 को गुग्गल प्लस द्वारा ली गई तस्वीर में यमुना नदी के जल निकाय स्पष्ट रूप से दिखाइ दे रहे थे लेकिन मात्र एक साल में उनपर मलबा डाल झुग्गियाँ बनाकर आतिक्रमण कर लिया गया जिसके संदर्भ में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही स्थिति यमुना नदी के आस-पास हर जगह बनी हुई है। यमुना हिमालय की गोद से निकलकर उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश होते हुए 1370 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दिल्ली में यमुना की लंबाई 48 किलोमीटर है जो यमुना की लंबाई का केवल 3 प्रतिशत है। लेकिन जो ठोस अवशेष और सीवेज दिल्ली में यमुना में डाला जाता है, वह 3800 मीट्रिक टन है जो यमुना को 76 प्रतिशत प्रदूषित करता है। दिल्ली में यमुना को तीन भागों में बाँटा गया है। प्रथम, 26 किलोमीटर पल्ला से वजीराबाद बैराज, द्वितीय, 22 किलोमीटर वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तथा तृतीय, 4-5 किलोमीटर ओखला बैराज से जैतपुर गांव। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के इस भाग में यमुना नदी के तल (फ्लड प्लेन) में सबसे ज्यादा आतिक्रमण कर यमुना से खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आनियमित कालोनियाँ यमुना के इसी भाग पर हैं। अशोधित घरेलू और औद्योगिक अवशेष को यमुना

में प्रवाहित करने के कारण आज यमुना इतनी प्रदूषित है तथा उसी के साथ धार्मिक स्थल बनाकर कुछ लोग उसका सहारा लेते हैं। हमारा शासन - प्रशासन सेकुलरिज्म के कारण इस अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शासन पंगु बना हुआ है। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में यमुना नदी को प्रदूषित होने से रोकने के लिए तत्काल पर्याप्त कदम उठाए जाएं।

(चार) राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रीकोलायत और नोखा तहसील के अधीन अत्यधिक वर्षा के कारण संकट में आए गांवों में राहत और बचाव कार्य किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):वर्तमान में आई तेज गति की बारिश के कारण देश के कई भागों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ जो रेगिस्तान का भाग है लेकिन बारिश ने वहाँ भी गाँवों में जीवन को अस्त-व्यस्त किया है। मेरे बीकानेर संसदीय क्षेत्र के श्रीकोलयत व नोखा तहसील के कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। बीकानेर शहर में भी कई बस्तियों में पानी भर गया है तथा समाज के कमजोर वर्गों को इस परेशानी का सबसे आधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एस.डी.आर.एफ/एन.डी.आर.एफ के मापदण्ड कई प्रकरणों में लागू नहीं होने के कारण उचित सहायता समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन के लिए कठिन हो रहा है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम के संसाधन सीमित होने के कारण समय पर राहत उपलब्ध कराने में बेहद कठिनाई महसूस की जा रही है।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि एस.डी.आर.एफ/एन.डी.आर.एफ के नियमों में आवश्यकतानुसार शिथिलता प्रदान करें तथा माननीय जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह करें कि देश में नदियों को जोड़ने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है और बरसात का पानी सिंचाई के साधनों के उपयोग में आने के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है

(पांच) महाराष्ट्र में गोशीखुर्द सिंचाई परियोजना के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक महादेवराव नेते (गढ़चिरोली-चिमुर): महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर, नागपुर, भण्डारा इत्यादि क्षेत्रों की भूमि को सिंचित किए जाने के उद्देश्य से विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत भण्डारा जिले में 'गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना' वर्ष 1981 में प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से होने के कारण अब तक पूर्ण नहीं हो सका है जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र का विकास अवरूद्ध होना स्वाभाविक है। जिस समय यह परियोजना प्रारंभ की गई थी, उस समय इसकी अनुमानित लागत 372.22 करोड़ रूपये थी, जो आज लगभग 40 गुना बढ़कर 15 हजार करोड़ रूपये हो गई है। परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा न होने का एक प्रमुख कारण इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि को दूसरे कार्यों में व्यय करना है।

मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर (महाराष्ट्र) एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र के चन्द्रपुर जिले के तीन विधान सभा क्षेत्र जो अति पिछड़े हुए हैं और खेती पर ही आश्रित हैं, को भी 'गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना' से जल प्राप्त होना था लेकिन परियोजना का कार्य समय पर पूरा न होने के कारण किसान अपनी भूमि को पानी के अभाव में सिंचित नहीं कर पा रहे हैं और वर्षा न हो पाने तथा इस परियोजना का कार्य अवरूद्ध होने की वजह से स्थानीय किसानों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है।

अतः ऐसी परिस्थिति में मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह केन्द्रीय स्तर पर इस प्रकरण की जाँच करवाए कि 'गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना' को अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इस धनराशि को किन-किन मदों में व्यय किया गया है और इस परियोजना में किन कारणों से विलंब हो रहा है। साथ ही केन्द्र सरकार इस परियोजना को पूरा किए जाने हेतु तत्काल धन का आबंटन करके इस परियोजना का कार्य तुरंत पूर्ण कराए जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

(छह) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) :अभी कुछ दिनों पूर्व केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान आदि राज्यों के कुछ जनपदों को इसमें जोड़ा गया है। जिन नए जनपदों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जोड़ा गया है, उन सभी जनपदों विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। लेकिन जिन मानकों के आधार पर इन जनपदों का चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किया गया है, उन मानकों के आधार पर सहारनपुर जनपद को भी इसमें जोड़ा जाना कहीं अधिक तर्कसंगत नजर आता है।

सहारनपुर का जनसंख्या घनत्व जहाँ 940 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं मेरठ का 1347 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, गाजियाबाद का 3967, तो मुजफ्फरनगर का 1034 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। अर्थात सहारनपुर जनपद में इन जनपदों की अपेक्षा जनसंख्या का घनत्व सबसे कम होने के कारण यहाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बसने की इच्छा रखने वाली जनता को अधिक मात्रा में बसाया जा सकता है।

जनपद सहारनपुर की साक्षरता दर 70.49 प्रतिशत है, तो मुजफ्फरपुर की साक्षरता दर 69.12 प्रतिशत है। सहारनपुर का लिंग अनुपात दर 890/1000 है, तो मुजफ्फरनगर 889/1000 है। जनपद सहारनपुर की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में प्रतिशत जहां 1.73 प्रतिशत है तो मुजफ्फरनगर का 2.7 प्रतिशत है।

इसके साथ ही सहारनपुर जनपद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों को जोड़ने वाला जनपद है। अतः यदि सहारनपुर जनपद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सीधा जुड़ाव इन तीनों राज्यों से हो सकता है। राजधानी दिल्ली से सहारनपुर की दूरी भी मात्र 166 किलोमीटर है जो इस क्षेत्र में शामिल किए गए अन्य जनपदों के आस-पास ही है।

सहारनपुर में पूर्व से ही आई.टी.सी., काष्ठ कला उद्योग, स्टार पेपर मिल्स, यूनिटेक मशीन्स एवं अन्य सुगर मिलें आदि अनेक उद्योग स्थापित हैं। ऐसे में यदि सहारनपुर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ा जाए, तो यहाँ उद्योगों की स्थापना की अपार संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही कृषि आधारित उद्योग भी यहाँ बहुतायात में स्थापित हैं। सहारनपुर में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारूल उलम एवं शक्तिपीठ माता शाकुम्भरी देवी का मंदिर भी स्थापित है जिस कारण इस जनपद का महत्व और भी बढ़ जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में सहारनपुर जनपद को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया जाए।

(सात) केन और बेतवा नदियों को परस्पर जोड़े जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़-छतरपुर (मध्य प्रदेश) में एन.डी.ए. की पूर्व सरकार के समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने की योजना के अंतर्गत केन एवं बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य प्रथम चरण में लिया गया था किंतु पिछली सरकार की उदासीनता के चलते 10 वर्षों में इस योजना का कार्य एक तरह से थम गया था। अब पुनः एन.डी.ए. की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा नादियों को जोड़ने एवं नदियों की सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो स्वागत योग्य कदम है।

केन एवं बेतवा नदियों को जोड़ने के कार्य की डी.पी.आर. पूरी कर ली गई है। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिसम्बर, 2014 के दौरान परियोजना क्षेत्र में जन सुनवाई भी की है तथा इसके बाद जुलाई, 2015 में केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संशोधित रिपोर्ट प्रदान की गई है। काफी कार्य राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में किया जा चुका है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में इन परियोजना के पूरा होने से जहाँ सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति होगी, वहीं उद्योग-धंधों की स्थापना में भी सहायता मिलेगी जिससे बुन्देलखण्ड में रोजगार के अवसरों का भी सृजन होगा। अतः केन एवं बेतवा नदियों को आवस में जोड़ने का कार्य शीघ्र कराने का सहयोग करें।

(आठ) उत्तर प्रदेश में होम गार्ड और पीआरडी जवानों का वेतन बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स व पी0आर0डी0 के जवानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। होमगार्ड्स व पी0आर0डी0 के जवान पूरी ईमानदारी व मुस्तैदी से हर समय ड्यूटी करने को तैयार रहते हैं क्योंकि इनके पास इसके अलावा और कोई रोजगार नहीं है। होमगार्ड्स व पी0आर0डी0 के जवान पुलिस से ज्यादा कार्य करते हैं। होमगार्ड्स के जवान को प्रतिदिन 225 रूपए मानदेय मिलता है और पी0आर0डी0 के जवानों को उससे भी कम मिलता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स व पी0आर0डी0 के जवानों को प्रतिदिन ड्यूटी सुनिश्चित करके इस महंगाई के दौर में कम से कम 500 रूपए प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाए।

(नौ) मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : हवा और पानी प्राणी मात्र की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके अभाव में जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है किंतु पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हवा और पानी ही यदि प्रदूषित हो जाएं, तो जीवन जीना कितना कठिन होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।

पर्यावरण प्रदूषण एक अति गंभीर वैश्विक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं इसी पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम है जिसकी चिंता राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर की जा रही है।

मैं जिस सीधी (मध्य प्रदेश) संसदीय क्षेत्र से आती हूँ, उसका एक बड़ा हिस्सा सिंगरौली जिले के रूप में अवस्थित है, जिसे लोग ऊर्जा की राजधानी के रूप में जानते हैं और सौभाग्य से सिंगरौली मेरी जन्मस्थली भी है। सिंगरौली में सन् 1840 में पहली बार कोयले की पर्याप्त उपलब्धता का विषय संज्ञान में आया। तब से लेकर आज तक अपने प्राकृतिक स्रोतों के कारण सिंगरौली देश के बड़े भू-भाग को ऊर्जा प्रदान करता है। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण कई छोटे और बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोल माइंस प्रोजेक्ट स्थित हैं जिसमें उत्पन्न होने वाले सह-उत्पाद फ्लाई एश इतने बढ़े कि वायु और प्रदूषण का कारण बन गए हैं जिससे सिंगरौली वासियों का श्वास लेना दूभर हो गया है। पर्याप्त जानकारी के अनुसार लगभग 6 मिलियन टन फ्लाई एश प्रतिवर्ष सह-उत्पाद के रूप में निकलती है व शोधों एवं अभिलेखों के आधार पर लगभग 720 किलोग्राम पारा व कई भारी पदार्थ प्रतिवर्ष निकलते हैं जो सामान्य से कई गुना अधिक हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट व औद्योगिक विषय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा जब सिंगरौली क्षेत्र के 1200 निवासियों का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, तो सिंगरौली वासियों के रक्त में पारे का स्तर सामान्य से कई गुना आधिक पाया गया, जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में बच्चों को श्वास-तंत्र की समस्या, डायरिया, निम्न प्रत्युतपन्न मति, पेट दर्द जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा बचपन, साथ ही महिलाओं में सिर दर्द एवं अनियमित मेन्सुरेशन और पुरूषों में स्थायी रूप से तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और किडनी जैसी गंभीर प्राणघातक बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि शीघ्रता के साथ सिंगरौली वासियों के स्वास्थ्य व जीवन रक्षा हेतु सार्थक कदम उठाए जाएं और सभी कारपोरेट को उनकी सामाजिक जिम्मेदारियों का बोध कराकर आवश्यक पहल हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि सिंगरौली का प्रदूषण हिरोशिमा-नागासाकी व भोपाल गैस त्रासदी जैसे घातक रूप लेने से बच सके।

(दस) उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) में भू-माफियों द्वारा पूरे बुन्देलखण्ड की तरह सरकारी एवं निजी जमीनों पर कब्जा करने का अभियान चला रखा है। जो भी जमीन खाली व कीमती होती है, उस पर कब्जा करने की योजना बन जाती है। विवादित जमीनों को भी आधी कीमत में रजिस्ट्री कराकर अपने नाम कर गरीबों को बेघर किया जा रहा है। इस हेतु स्थानीय अधिकारियों से साँठ-गाँठ कर एक ही वर्ग व जाति के लेखपालों की नियुक्ति जिला मुख्यालय व आस-पास के गाँवों में जो शहर से लगते हैं, की जाती है। सैकड़ों जमीनों पर कब्जा किया गया है व बाकी को कब्जाने की योजना है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सरकारी एवं गरीबों की जमीनों को बचाने तथा दोषियों को दण्डित कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(ग्यारह) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भारत में वर्ष 2004 से अति महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों के पिछड़े विकास खण्डों में बालिका शिक्षा के लिए कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इस विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे की छात्राओं को प्रवेश दिलाकर गुणवत्ता एवं रूचिपूर्ण शिक्षा देकर महिला साक्षरता दर को बढ़ाने एवं समाज की मूल धारा में लाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में केवल उत्तर प्रदेश के 746 विकास खण्डों में यह विद्यालय संचालित हैं जिसमें कुल कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग् 11190 है। इस संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय बढ़ती महँगाई एवं उपभोक्ता सूचकांक के आधार पर बहुत कम है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बढ़ती महँगाई को ध्यान में रखते हुए कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय के कर्मचारियों को पर्याप्त मानदेय दिलाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(बारह) तमिलनाडु के तिरूनेलवेल्ली जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोर्टाल्लम के संबंध में सूचना जानने के लिए विदेशी और अंतर्देशीय पर्यटकों की सहायता हेतु मोबाईल एप्लीकेशन बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुसार]

श्रीमती एम. वसंती (तेंकासी): कोर्टल्लम या कुत्रालम, दक्षिण भारत का स्पा, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट पर 160 मीटर (520 फीट) की औसत ऊंचाई पर स्थित एक पंचायत शहर है। कई मौसमी और कुछ बारहमासी नदियाँ जैसे चित्तर, मणिमुथर, पचैयार और तांबरपरानी इस क्षेत्र से निकलती हैं। इस क्षेत्र में सर्वव्यापी स्वास्थ्य रिसॉर्ट्स के साथ-साथ कई झरनों और झरनों ने इसे दक्षिण भारत के स्पा का खिताब दिलाया है। कोर्टल्लम में नौ झरने हैं।

कोर्टल्लम में सिर्फ़ झरने ही नहीं हैं, इसके मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चित्रा सभा, पाँच सभाओं में से एक जिसमें नटराज, नृत्य मुद्रा में शिव मुख्य देवता हैं। चित्रा सभा में मौजूद चित्रों का लगभग 100 साल पहले जीर्णोद्धार किया गया था। अन्य हैं तिरुवलंगडु में रत्ना सभा, चिदंबरम में कनक सभा और मदुरै में वेल्ली सभा और तिरुनेलवेली में थामिरा सभा। पहाड़ी की तलहटी में स्थित मंदिर शंख के आकार का है जिसका हिंदू परंपरा में विशेष महत्व है।

कई विदेशी पर्यटक इस क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के बारे में कोई पूर्व जानकारी के बिना कोर्टल्लम जाते हैं। इसलिए, मैं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय से आग्रह करती हूं कि वह नया मोबाइल ऐप पेश करे, ताकि पर्यटकों को विरासत स्थल के रूप में कोर्टल्लम के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके।

(तेरह) तमिलनाडु में सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के दूसरे चरण और जल स्त्रोतों के पुनरूद्धार के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता निर्गत कराए जाने की आवश्यकता

श्री आर.पी. मरुथाराजा (पेरम्बलुर): बांधों के पुनर्निर्माण और विकास परियोजना के तहत तमिलनाडु में 113 बांधों के पुनर्निर्माण के लिए, कुल 1,50,000 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से 745.49 करोड़ रु. का उपयोग किया जा रहा है। रुपये की वित्तीय सहायता के साथ। इस परियोजना के तहत विश्व बैंक से 745.49 करोड़ रुपये, तमिलनाडु में 113 बांधों के पुनर्निर्माण और रखरखाव का काम शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए 2015-16 के बजट में 450.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वर्ष 2007 से, विश्व बैंक की सहायता से, सिंचाई सुविधाओं और जल निकायों का आधुनिकीकरण और उनकी बहाली और प्रबंधन किया जा रहा है। यह परियोजना जून 2015 के महीने में पूरी हुई थी। अब तक, तमिलनाडु सरकार ने इस परियोजना के लिए 2544.15 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार से विश्व बैंक से संपर्क करने का अनुरोध किया है इसके दूसरे चरण के लिए 2950 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। इसलिए, मैं तमिलनाडु, के लोगों की ओर से केंद्र सरकार, से विनम्रतापूर्वक हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं, ताकि विश्व बैंक से वित्तीय सहायता जल्द से जल्द जारी की जा सके।

(चौदह) क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में किसी चिकित्सक को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

डॉ. कुलमणी सामल (जगतसिंहपुर): यह पता चला है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक एल. ए. एस. अधिकारी को क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र (आर. एम. आर. सी.), भुवनेश्वर, ओडिशा के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव कर रहा है। इस संबंध में, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आर.एम.आरसी, भुवनेश्वर हमारे देश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सबसे पुराने, कुशल और अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। इसके इतिहास में, लिम्फैटिक फाइलेरिया, मलेरिया, दस्त संबंधी विकार, तपेदिक, मधुमेह, आदि जैसी क्षेत्रीय बीमारियों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी अनुसंधान रणनीति के लिए एक अनुभवी चिकित्सक को हमेशा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान और विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में होने वाली बीमारियों की जटिलताओं का निदान करने के लिए एक एल. ए. एस. अधिकारी के बजाय, एक चिकित्सक द्वारा बेहतर ढंग से समझा जाता है। मुझे लगता है कि एक प्रशासनिक अधिकारी की तुलना में एक चिकित्सक ही जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उचित कदम उठा सकता है।

इस संबंध में, यह मेरा गंभीर अनुरोध है और साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी को सुझाव है कि वे हस्तक्षेप करें और चिकित्सा अनुसंधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आर. एम. आर. सी., भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में एक अनुभवी चिकित्सक नियुक्त करें।

(पंद्रह) महाराष्ट्र में सूखे के कारण संकट में आए किसानों के ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र में किसानों की दयनीय दशा की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस साल खेतों की बुआई के शुरूआत में अच्छी बरसात हुई थी और उस समय किसान के पास जो बीज, खाद था, उसको बुआई में प्रयोग कर लिया। परन्तु 20 जून के बाद बरसात नहीं हुई है जिसके कारण किसानों ने जो फसल बोई थी, वह सूख गई। अगर बरसात पर्याप्त मात्रा में हुई, तो किसानों को दोबारा अपने खेतों में बुआई करनी पड़ेगी। इसके लिए उसके पास बीज, खाद एवं अन्य पर्याप्त साधन नहीं हैं। [अनुवाद] इन कठिनाइयों के चलते कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं और इसी प्रकार की स्थिति रही, तो महाराष्ट्र में किसानों द्वारा आत्महत्या की संख्या बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में किसानों की विकट आर्थिक परिस्थितियों के कारण किसान फसल ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में सूखे के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु केन्द्र स्तर पर तुरन्त राहत प्रदान की जानी चाहिए।

(सोलह) भारतीय छात्रों को प्रदान की गई सभी मेडिकल डिग्रियों को मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के छात्र एम.बी.बी.एस. करने के लिए यूक्रेन जाते हैं। लेकिन, क्रीमिया के रूस का हिस्सा बनने और पूर्वी यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण, छात्रों और माता-पिता के बीच बहुत चिंता है कि उनके भविष्य का क्या होगा।

क्रीमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में लगभग 650 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं (सी. एम. यू.)। लेकिन, पिछले साल जनमत संग्रह के बाद, क्रीमिया रूस में शामिल हो गया जिसके परिणामस्वरूप सी.एम.यू रूस का हिस्सा बन गया और अब रूसी सरकार चिकित्सा डिग्री जारी करेगी। समस्या यह है कि नियमों के अनुसार, एम.सी.आई. रूस द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री को मान्यता नहीं देता है। स्वास्थ्य मंत्री जी, ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में कहा : "जो छात्र क्रीमिया से स्नातक होने वाले हैं, वे स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने के हकदार हैं, जैसा कि किसी विदेशी चिकित्सा संस्थान से स्नातक होने वाले किसी अन्य छात्र के मामले में होता है। "

लेकिन, किसी ने भी उन छात्रों के बारे में कुछ नहीं कहा है जो पहले से ही नामांकित हैं और अपने दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के एम.बी.बी.एस. कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, अगर छात्र अमेरिका या यूरोप भी जाते हैं, तो उनकी डिग्री को मान्यता नहीं प्रदान की जाती है।

दूसरा, पूर्वी यूक्रेन के लुगांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों में भी 3,500 भारतीय छात्र चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जहां रूसी अलगाववादियों और सरकारी बलों के बीच भीषण हिंसा हो रही है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एमसीआई को यूक्रेन के पूर्व विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों को रूस द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी डिग्री को मान्यता देने का निर्देश दे जो अब रूस का हिस्सा हैं।

(सत्रह) आंध्र प्रदेश के अराकु निर्वाचन क्षेत्र को स्वास्थ्य पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु): मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में पर्यटन के विकास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर माननीय सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अराकु निर्वाचन-क्षेत्र आंध्र प्रदेश का एकमात्र आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र है और यह आंध्र प्रदेश का एक पर्यटन स्थल और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है और इसे आंध्र के शिमला के नाम से जाना जाता है। सभी मौसमों के दौरान तापमान बहुत मध्यम होता है और सर्दियों में शून्य डिग्री से नीचे भी गिरता है जो निर्वाचन-क्षेत्र की एक विशेषता भी है। इस वन क्षेत्र में कई औषधीय जड़ी-बूटियाँ हैं। आजादी, के 65 साल बाद भी यह क्षेत्र अविकसित है और इसमें न्यूनतम सुविधाओं का अभाव है।

वर्तमान भारतीय परिदृश्य में स्वास्थ्य पर्यटन की बहुत संभावना है और कई विदेशी पर्यटक हर साल स्वास्थ्य पर्यटन के लिए भारत आते हैं। बहुत ही शांत वातावरण में स्थित यह क्षेत्र आयुष के तहत स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त होगा जो स्थानीय लोगों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि यह आदिवासी आबादी को रोजगार प्रदान करेगा और आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान देगा।

इसलिए इस स्थिति को देखते हुए, मैं माननीय आयुष मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि कृपया स्वास्थ्य पर्यटन के लिए क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक अनुमोदन और सहायता प्रदान करें।

<u>अपराह्न 2.35 बजे</u>

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 2015-16

माननीय उपाध्यक्ष : अब, सदन विषय मद संख्या पर विचार करेगा। 19 – अनुदान के लिए पूरक मांगों पर चर्चा (जनरल).

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आदेश पत्र की तीसरी कॉलम में राजस्व लेखा और पूंजी लेखा के अंतर्गत दर्शाई गई संबंधित अनुपूरक राशियाँ, भारत के राष्ट्रपति को भारत की संचित निधि से इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत की जाएँ, ताकि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान की प्रक्रिया में आने वाले व्यय को पूरा किया जा सके, जो आदेश पत्र की दूसरी कॉलम में माँग संख्याओं 1 से 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 33 से 35, 40, 47, 48, 50, 53 से 56, 58 से 61, 64, 66, 68, 69, 71, 75 से 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 से 105 और 107 से 109 के विरुद्ध दर्ज प्रमुख मांगों से संबंधित हैं।"

[हिन्दी]

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : महोदय, आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 17 लाख 77 हजार 477 करोड़ रूपए का मूल बजट हमने पारित किया था। यह प्रथम अनुपूरक है जो सरकार लेकर के आई है और 40 हजार 826 करोड़ 68 लाख रूपए की अनुदानों की अनुपूरक माँग यह आई है। माँग की मुख्य मदों की ओर मैं थोड़ी बात कहना चाहूँगा। एक तो मैं बधाई देता हूँ कि जितनी भी ये अनुदानों की अनुपूरक माँगें आई हैं, सब सामाजिक दायित्व को निभाने की ओर हैं। जो सोशल सेक्टर में सरकार ने जिम्मेदारी ली है, जिन मदों में प्रधानमंत्री जी ने बार-बार घोषणा की है और अपना कमिटमेंट दर्शाया है, उन्हीं मदों के ऊपर बल देकर के आज यह अनुपूरक आया है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर तक पहुँची है और चीन के बाद एशिया में अकेला भारतवर्ष ऐसा है, जो इस सीमा तक पहुँच पाया है और जिस गति से, लगभग सात वर्षों में हमने लगभग एक लाख ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया है। अगर इसी गति से हम लोग बढ़ते रहेंगे, एक अच्छे नेतृत्व में चलने का यही लाभ है कि आगे भी हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने वाली है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनुपूरक बजट रखा है, विशेष रूप से मैं मुद्रा की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सम्भवतः इतने लम्बे आजादी के कार्यकाल में किसी सरकार का ध्यान उधर नहीं गया है कि जो छोटे-छोटे उद्योग गाँव में लगाते हैं, छोटे-छोटे व्यवसाय करते हैं, ठेली लगाते हैं, कोई छोटी-मोटी दुकान लेकर बैठते हैं, अगर उनको पैसे की आवश्यकता हो तो उस पैसे की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से हो। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, इसलिए एक मुद्रा बैंक की उन्होंने स्थापना की और उस मद में भी अनुपूरक बजट में लगभग 600 करोड़ रूपया आपने दिया है, जो स्वागतयोग्य है। मुझे विश्वास है कि जिस कमिटमेंट के साथ में, जिस आस्था के साथ आप इस श्रेणी को स्वस्थ और सुदृढ़ करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो सबसे निम्न श्रेणी का व्यवसायी है, व्यापारी है, उद्योगपति है, उसे निश्चित रूप से फायदा पहुँचेगा, लाभ पहुँचेगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से बैंको की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आपने प्रावधान किया है, लेकिन प्रावधान के साथ-साथ मैं माननीय राज्य मंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमने बैंकों को जिम्मेदारी,

तो बहुत बड़ी दे दी और लगभग हर सेक्टर बैंक के ऊपर निर्भर करता है। किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, मुद्रा को आप लाए, ये सब वह वर्ग है, जो अब तक शोषित श्रेणी में आते थे। ये शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए थे। बड़ा उद्योगपति होता तो जाकर के अपना काम करा लेता, लेकिन इधर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंक की संस्कृति में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बैंक केवल एक सरकारी विभाग नहीं है, बैंक देश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। अगर बैंक के एटीट्यूड में अंतर नहीं आएगा, उनका स्वभाव नहीं बदलेगा, उनकी सोच और कल्चर नहीं बदलेगा, तो जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, गरीब वर्ग को उठाने का, शोषित वर्ग को सहायता करने का, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने संक्षेप में आपकी तरफ इशारा किया है, क्योंकि जब हम जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ पर यही शिकायत सामने आती है कि साहब मैं अपना क्रेडिट कार्ड बनवाने गया था। जब तक बाहर खड़े हुए दो आदमी, जो परमानेंटली वहाँ पर रहते हैं, उनकी सहायता मुझको नहीं मिली तब तक मेरी बात नहीं सुनी गई। यह बैंक के बाहर खड़ा होने वाला जो व्यक्ति है, परमानेंटली उसका व्यवसाय वहीं खड़े होने का है, जब तक उसे बीच से नहीं निकालेंगे, उन दलालों की दलाली समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अच्छा आशय लेकर आए हैं। मैंने पहले भी यह बात कही थी और आज भी मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूँ, इस बात को अन्यथा न लें, यह मन की पीड़ा है। हम आज आजाद हिंदुस्तान में खड़े हुए हैं। आत्मविश्वास के साथ में हमारा कोई भी किसान जाए, मजदूर जाए या गरीब उद्योगपति जाए या गरीब व्यवसायी जाए, तो उसको यह आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरी बात सही है, मेरी बात सुनी भी जाएगी और मेरी तरफ ध्यान भी दिया जाएगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, आपने सोशल सेक्टर में लगभग 7,985 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, उस सेक्टर में इस अनुपूरक बजट में भी आपने प्रावधान किया है। मुझे विश्वास है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वच्छ भारत का हमारा सपना हो, उस सेक्टर में हम लोग कामयाब होंगे। स्वच्छ भारत हमारी एक बहुत बड़ी कल्पना है और आपने वर्ष 2019, अक्टूबर तक संकल्प किया है कि हम भारत को स्वच्छ बनाकर रहेंगे। शुरूआत भी हो गई,

शुरूआत होने के साथ-साथ दर्जनों स्कीम लाँच भी हो गईं, प्रभाव भी आना शुरू हो गया, इस सेक्टर में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि जब तक कूड़ा-करकट हमारे शहरों में, नगरों में, गाँवों में फैला रहेगा, जब तक हमारी माताओं, बहनों और बेटियों को कम से कम यह सुविधा नहीं मिल जाए कि घर-घर में शौचालय बन जाएं, उनके नहाने की व्यवस्था हो जाए, पानी उनको वहाँ पर उपलब्ध हो जाए, तब तक भारत स्वच्छ नहीं हो पाएगा।

मैं सरकार को बधाई देता हूँ और विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को लिया है। इसी दिशा में मैं पेयजल की, ड्रिंकिंग वाटर की बात करता हूँ। उस मद में भी आपने प्रावधान किया है। आज देश की स्थिति पानी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पिछड़ गई है। कोई नगर, कोई गाँव ऐसा नहीं बचा है, अपवाद हो तो दूसरी बात है, लेकिन आज पानी स्वच्छ नहीं मिलता है। हमें उस समय का याद है, बचपन में जब कहीं भी घूमने के लिए चले जाते थे, बराबर में से नदी बह रही है, राजबा है, नहर चल रही है, तो निःसंकोच भाव से हम अपनी प्यास उससे बुझा लेते थे। आज तो उधर जाने की हिम्मत भी नहीं होती है। हमारे लिए जो एक मात्र स्रोत पेयजल का बचा है, वह ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर पर हम कब तक निर्भर करेंगे, पहली बात यही सोचने की है। आज इस बात का सर्वेक्षण करें कि गांव की स्थिति ड्रिंकिंग वाटर के क्षेत्र में कितनी आगे गई है। आपने एक संकल्प किया है कि हर व्यक्ति को हम शुद्ध जल उपलब्ध कराने की योजना बनाएंगे, योजना बन गई है। मैं जानता हूँ कि पानी स्टेट सब्जेक्ट है। सेंटर का केवल नियंत्रण या कार्य क्षेत्र बड़ी नदियों तक सीमित है, लेकिन जितनी सहायता सेंटर देता है, अबकी बार भी आपने ड्रिंकिंग वाटर की दिशा में प्रावधान किया है। वर्ष 2019 तक, जैसा मैंने कहा, आपने स्वच्छता की ओर ध्यान दिलाया है, क्या यह संभव है कि हम हर गांव को ईकाई मानकर हर गांव के लक्ष्य निर्धारित करें कि वहां पर वर्ष 2019 तक पानी की टंकी जरूर लग जाएगी, पेयजल की व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। मैं जानता हूँ कि आपने 42 प्रतिशत राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया। लगभग दो लाख करोड़ रूपए अतिरिक्त जाने वाले हैं राज्यों में, जो नगर पंचायत में और गाँव समाज में भी जाएंगे, लेकिन एक कोआर्डिनेट की बात है और उस समन्वय का काम केवल और केवल केन्द्र कर सकता है। अगर केन्द्र समन्वय का काम नहीं करेगा और हम केवल वहीं छोड़ कर

के बैठ जाएंगे, जो मेरा अपना अनुभव है, मैं प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी अपनी प्राथमिताएं होती हैं। सत्ता पक्ष की अपनी प्राथमिकता होती है। हमारा अपना अनुभव है, जिस पक्ष की सत्ता आएगी, नल का पैसा यहाँ से जाएगा, लेकिन नल कुछ राजनैतिक आधार पर बंटकर रह जाएंगे और गरीब और शोषित वर्ग उनसे वंचित रह जाएगा। अगर पानी की टंकी का भी यही हाल हुआ तो बड़े-बड़े आदमी पानी की टंकी लगवा लेंगे, उस पानी को भी अपनी कॉलोनी तक सीमित कर देंगे और जो पीड़ित वर्ग है, वह इससे वंचित रह जाएगा। इस कारण से एक लक्ष्य आप निर्धारित करें कि जहाँ स्वच्छ भारत की हमने वर्ष 2019 तक कल्पना की है, वर्ष 2019 तक हम निश्चित रूप से भारत के हर व्यक्ति को स्वच्छ जल प्रदान करने में सफल होंगे। आज हमारे सामने परिणाम दूसरा आ रहा है।

मान्यवर, जब हम अपने कार्यालय में बैठते हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, यहाँ से लगभग दो-ढाई घंटे का सफर हमारी कांस्टीटूएंसी का है। वहाँ से रोज 10 से 15 आदमी इस काम के लिए आते हैं कि मुझे एम्स में दाखिल करा दीजिए, मुझे पंत अस्पताल में दाखिल करा दीजिए। उन्हें लीवर की बीमारी होती है, उन्हें जितनी बीमारियां होती हैं, वे सब जल आधारित बीमारियां होती हैं, क्योंकि उन्हें पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी समस्या है, कहाँ-कहाँ तक आप एम्स खोलेंगे, कितने अस्पताल आप बनाएँगे? कितनी भी दवाइयाँ बन जाएँगी, लेकिन जब तक खानपान शुद्ध नहीं होगा, तब तक उन दवाइयों का और उन अस्पतालों का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको, सरकार को तथा माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इस ओर उन्होंने प्राथमिकता दी है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, लेकिन इसे और गति देने की आवश्यकता है और यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई पात्र व्यक्ति उससे वंचित न रह जाए, लोग इसका भी अपव्यय न कर लें। क्योंकि आज सब उद्योगों का पानी नालों में बह रहा है। आप नौएडा का परीक्षण कर लीजिए तो आप देखेंगे कि वह पानी सीवेज से होकर नीचे जा रहा है। ग्राउंड वाटर जो केवल एक सोर्स रह गया है हमारे पानी पीने के लिए, वह भी पूर्णतः पॉल्यूट होता जा रहा है। इस कारण से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मान्यवर, सिविल एवियेशन की तरफ आपने खास तौर से ध्यान दिया है। एयर इंडिया की स्थिति को सुधारने के लिए आपने पैसों का प्रावधान भी किया है और इस दिशा में लगभग 820 करोड़ रुपये का प्रावधान

आपने किया है। मैं किसी डिपार्टमैंट पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। आज हमारे यहाँ निजी क्षेत्र में भी एयरलाइन्स चल रही हैं और यह हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है। लेकिन क्या कारण है कि मैं एयर इंडिया से लखनऊ जाऊँगा, तो किराया कुछ और होगा, निजी सेवा से जाऊँगा, तो किराया कुछ और होगा? निजी सेवा से जाऊँगा, तो वह फ्लाइट टाइम पर आ जाएगी, एयर इंडिया से जाऊँगा तो ढाई घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा और यह भी डर है कि बाद में कैंसेल न हो जाए। आप सहायता करिए क्योंकि यह देश का पैसा है, राष्ट्रीय कोष का पैसा है। एयर इंडिया अगर सही दिशा में चली होती, तो आज आपकी सहायता की आवश्यकता उसको न पड़ती। कहाँ अपव्यय हो रहा है, कहाँ इस पैसे को बरबाद किया जा रहा है, और अपनी सेवाएँ देने में वह क्यों सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी के रूप में एक बहुत ही योग्य मंत्री हमें मिले हैं, यह हमारा सौभाग्य है। समर्पित भाव से वह काम कर रहे हैं और अच्छी जोड़ी मिली है राज्य मंत्री जी और कैबिनेट मंत्री जी के रूप में, लेकिन यह भी सोचें कि केवल लोक सभा से, पार्लियामैंट से पास कराना पर्याप्त नहीं है। पास होने के बाद उसका सदुपयोग भी हो, यह भी कम ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब सप्लीमैंट्री डिमांड्ज़ आप लेकर आए हैं, इसकी भावनाओं के अनुरूप, और जिन भावनाओं के अनुरूप देश आज आपकी तरफ देख रहा है, उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

मान्यवर, मैं ज्यादा समय न लेकर इससे भी अलग हटकर एक-दो बातें कहना चाहूँगा। आज हम सदन में खड़े हैं। दो दिन से हम देख रहे हैं कि बराबर सामने वाली सीटें खाली हैं। दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि हमारे प्रयास के बावजूद भी हम उस बात में सफल नहीं हुए, क्योंकि बहुत से लोगों को केवल सत्ता में बैठने की आदत थी और इत्तफाक से अगर उधर बैठना पड़ा, तो वे अपने को कुछ अनकम्फर्टेबल महसूस कर रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जिस प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ आया है, आज हमारी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें और प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम उस मानसिकता को समझ सकें, उनको समझा सकें, उनको इस दायरे में ला सकें कि वे लोक सभा में बैठकर कार्यवाही में भाग लें, डिबेट में हिस्सा लें। मैंने वह दिन देखे हैं, मैं यहाँ तो पहली बार चुनकर आया हूँ, लेकिन बहुत लंबे समय तक मुझे विधान सभा में बैठने का मौका

मिला - उपाध्यक्ष के रूप में भी और पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में भी। इमरजैंसी में जब मैंने देखा कि आधा सदन खाली था, विपक्ष जेल में था, हम सत्ता पक्ष में बैठे हुए थे, हमें लगता था कि सदन पूर्ण नहीं है। मैं इस बात को मानता हूँ कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया गया लेकिन कुछ अनावश्यक ज़िद पर अड़े हैं, फिर भी हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। हम सहृदयता का परिचय दें, हम अपनी विवेकशीलता का परिचय दें और कोशिश करें कि सदन का जो स्वरूप होना चाहिए, वह स्वरूप बना रहे।

इन्हीं शब्दों के साथ आज जो अनुपूरक मांगें इस सदन में पेश की गई हैं, मैं उनका पूर्णतः समर्थन करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पैसे को जो आप स्वीकार करा रहे हैं, इसका पूर्णतः सदुपयोग हो और जनता के हित में हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेन्थिल नाथन (शिवगंगा): धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष, महोदय। *वणक्कम*!

मैं हमारे प्रिय नेता, माननीय को धन्यवाद देना चाहता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, 31जुलाई, 2015 को लोक सभा में पेश किए गए वर्ष 2015-16 के बजट से संबंधित अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच पर बोलने के अवसर के लिए। 2 करोड़ रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए लोक सभा की मंजूरी मांगी गई है 40,821.68 करोड़ रु. इसमें से, शुद्ध नकदी व्यय से जुड़े प्रस्तावों का कुल व्यय रु. कुल मिलाकर 25,495.24 करोड़ रु. का सकल अतिरिक्त व्यय हुआ 15,325.62 करोड़ रु. इसके, अलावा एक लाख रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है नई सेवा या नई सेवा से जुड़े मामलों में, बचत के पुनः विनियोग को सक्षम बनाने के लिए खर्च, की प्रत्येक वस्तु के लिए 82 रु. की मांग की जा रही है।

सरकार ने एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। बैंकों के पूंजीकरण, मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक, स्वच्छ भारत मिशन, पेयजल, आई.सी.डी.एस, सबला, पंचायत, पी.एम.जी.एस.वाई, मेट्रो रेल, एयर इंडिया आदि जैसी विभिन्न तत्काल जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए 25,495.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं रुपये की `पास थ्रू सहायता' प्रदान करने की मांग का स्वागत करता हूं चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को 750 करोड़ रु.।

चेन्नई महानगर तेजी से बढ़ रहा है और सड़कों पर यातायात की मात्रा भी काफी बढ़ रही है। इसलिए एक नई रेल आधारित त्वरित परिवहन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई है और इस उद्देश्य के लिए, तमिलनाडु सरकार, माननीय के सक्षम नेतृत्व में अम्मा, ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया था।

यह एक गर्व का क्षण था जब माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने चेन्नई मेट्रो रेल की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया जो 29 जून, 2015 को अलंदूर स्टेशन से रवाना हुई थी।

वर्ष 2007-08 और 2010-11 के बीच इस योजना पर 1143.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उस वर्ष से अब तक 9608.63 करोड़ रु. कुल मिलाकर रु. मेट्रो रेल गतिविधि पर काम शुरू होने के बाद से 10,751.94 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। कुल खर्च, में से केंद्र का योगदान शेयर पूंजी के रूप में15 प्रतिशत और ऋण के रूप में 5 प्रतिशत है, जबकि तमिलनाडु सरकार का शेयर पूंजी में15 प्रतिशत और ऋण के रूप में 5.78 प्रतिशत है। तमिलनाडु राज्य ने अपने हिस्से की पूरी धनराशि जारी कर दी है। शेष 59.22 प्रतिशत धनराशि जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी से ऋण के रूप में प्राप्त की गई है। (जे. आई. सी. ए.). यह रुपये की सहायता के माध्यम से जाता है 750 करोड़ रु. का निवेश निश्चित रूप से चेन्नई मेट्रो रेल के लिए सहायक होगा, जो एक दृष्टिकोण के साथ -- `लोगों को आगे बढ़ाना विकास को बनाए रखना' और एक सुरक्षित, तेज, विश्वसनीय, सुलभ, सुविधाजनक, आरामदायक, कुशल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सेवा प्रदान करता है। मेरा आग्रह है कि केंद्र सरकार को सभी परियोजनाओं, विशेष रूप से तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए।

वित्तीय सेवाओं के लिए रु 12,721.20 करोड़ का समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें रु.12,010 करोड़ की अतिरिक्त सहायता बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए है और रु. 600 करोड़ मुद्रा बैंक को समर्थन देने के लिए है। रु.600 करोड़ में से रु. 100 करोड़ राशि इक्विटी के रूप में है और शेष रु. 500 करोड़ पुनर्वित्त के लिए है।

सामाजिक क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए कुल रु.7,985 करोड़ का समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के लिए रु.1,500 करोड़ की अतिरिक्त सहायता और पेयजल के लिए रु.1,000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता शामिल है।

माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी ने इससे पहले राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.), नई दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज (एम.एम.सी.) चेन्नई में दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हमें अपने बुजुर्गों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करनी चाहिए।

यह भी पता चला है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र जराचिकित्सा के क्षेत्र में शीर्ष स्तर के अत्याधुनिक बहु-विषयक संस्थान होंगे। वे विभिन्न नैदानिक विषयों और विशेष क्लीनिकों, जांच के लिए डे केयर सेंटर, पुनर्वास, राहत देखभाल, मनोभ्रंश देखभाल, निरंतर देखभाल में दैनिक बाह्य रोगी सेवाएं प्रदान करेंगे।

पूरक मांग में केवल बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के खर्च को पूरा करने के लिए 15 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार से बुजुर्गों की देखभाल के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करता हूं। निस्संदेह बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के लिए अधिक धन आवंटित करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त सहायता एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 3,600 करोड़ रु. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,000करोड़ रु. मुझे यहां यह उल्लेख करते हुए गर्व हो रहा है कि तमिलनाडु राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास संकेतकों में पहले स्थान पर है। माननीय के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु में आई.सी.डी.एस. को सफलतापूर्वक लागू किया गया है पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने। पुरात्ची थलाइवर एमजीआर पौष्टिक भोजन कार्यक्रम के तहत 54,62,000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं 1,412.88 करोड़ रु.।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी है हज चार्टरों को सब्सिडी के रूप में 500 करोड़ रु.। इसका उल्लेख करते हुए, मुझे माननीय द्वारा लिए गए व्यावहारिक निर्णय की याद दिलायी जाती है तमिलनाडु, की मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा, कैलाश मानसरोवर और मुक्तिधाम के पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों के अलावा येरुशलम की तीर्थयात्रा करने वाले ईसाइयों और हज तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी। नागरिक उड्डयन के लिए रुपये की अतिरिक्त सहायता 820 करोड़ रुपये की मांग की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 820 करोड़ रु. का इक्विटी निवेश शामिल है एयर इंडिया में 800 करोड़ रु. की धनराशि तटरक्षक बल को जहाजों, विमानों और बेड़े के लिए सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, छोटे कार्यों आदि के लिए 200 करोड़ रु.।

मेरा अनुरोध है कि इस धनराशि को बढ़ाया जाए और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में लोगों, विशेष रूप से मछुआरा समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिक संख्या में जहाजों, विमानों और बेड़े को तैनात किया जाए।

पूरक अनुदान बिजली प्रणाली विकास कोष के लिए 1,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। और एक हजार रु. विशेष रूप से गैस आधारित उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए बिजली प्रणाली विकास कोष से 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। धनराशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि स्वच्छ ऊर्जा समय की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि तमिलनाडु एक तेजी से विकासशील राज्य है।

राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 1188.44 मेगावाट बिजली की क्षमता स्थापित की है, जिसमें राज्य परियोजनाएं, केंद्रीय हिस्सा और स्वतंत्र बिजली शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य में पवनचक्की, सौर, जैव-द्रव्यमान और 8,219.67 मेगावाट तक के सह-उत्पादन, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना की गई है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने 648 मेगावाट की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ 25 वर्षीय सौर ऊर्जा परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक ही स्थान पर स्थित होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र होने की संभावना है। इसलिए, मैं, आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार को तमिलनाडु जैसे राज्यों को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करना चाहिए जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी हैं।

एक और रु.4,435 करोड़ की अनुपूरक मांग केंद्रीय सहायता से संबंधित है, जो राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्यों के भीतर खाद्यान्नों की आवाजाही, हैंडलिंग और उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं के कमीशन आदि के खर्च को पूरा करने के लिए दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए ग्रामीण

विकास मंत्रालय के अंतर्गत रु.7,000 करोड़ भी निर्धारित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2015-16 में इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल रु.17,77,477 करोड़ के व्यय का लक्ष्य रखा गया था। रहा।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी हार्दिक अपील है कि, कृपया तमिलनाडु को देश के सबसे आशाजनक राज्य के रूप में उचित सम्मान दें। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी के कुशल नेतृत्व में राज्य फल-फूल रहा है, ।

“शांति, प्रगति और समृद्धि" डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा प्रचारित आदर्श वाक्य है। तमिलनाडु के साथ चौदहवें वित्त आयोग ने अनुचित व्यवहार किया है जिसमें सामान्य साझा कर पूल के क्षैतिज हिस्से को 4.969 प्रतिशत से घटाकर 4.023 प्रतिशत और सेवा कर पूल के 5.047 प्रतिशत से घटाकर 4.104 प्रतिशत कर दिया गया है। आयोग द्वारा अपनाए गए मानदंड “न तो निष्पक्ष थे और न ही प्रगतिशील” क्योंकि तमिलनाडु जैसे “सु-प्रशासित” राज्य के नुकसान के लिए दक्षता और वित्तीय अनुशासन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

तमिलनाडु जैसे राज्य, जिसने अपने लोगों पर कर लगाकर जुटाए गए संसाधनों के साथ भारी निवेश किया था और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए भारी उधार राशि भी ली थी, को वित्त आयोग ने बुरी तरह से निराश किया है।

यह धारणा कि बेहतर आर्थिक विकास वाले राज्य को केवल अपने संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए, किसी भी ठोस सिद्धांत पर आधारित नहीं थी क्योंकि कराधान की शक्ति केंद्र सरकार के पक्ष में “तिरछी” थी।

मुख्य रूप से राज्य सरकार के प्रयासों के कारण बेहतर आर्थिक विकास के कारण प्राप्त कर राजस्व का बड़ा हिस्सा आयकर, सीमा शुल्क, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के माध्यम से था, जो सभी केंद्र को प्राप्त होते हैं और केवल राज्यों पर बिक्री कर छोड़ते हैं। नतीजतन, तमिलनाडु जैसे राज्य को संसाधनों

की कमी का सामना करना पड़ेगा और अपने सामान्य प्रशासन के लिए भी अपने संसाधनों के लिए केंद्र सरकार की निरंतर दया पर निर्भर रहेगा।

भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित सहकारी संघवाद का सिद्धांत अपेक्षा करता है कि बिना समान संसाधन क्षमता वाले राज्य केंद्र के साथ समान भागीदार हों। इस प्रकार केंद्र सरकार के लिए समय आ गया है कि वह सभी अप्रत्यक्ष कराधान राज्यों पर छोड़ दे, ताकि जो आर्थिक विकास में अग्रणी हैं, उन्हें संसाधनों की कमी के कारण नीचे न खींचा जाए।

महोदय, मैं एक बार फिर तमिलनाडु की लंबे समय से लंबित और वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए एक विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान करने की अपील करता हूं। इसके साथ, मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सबसे पहले, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, माननीय। उप-वक्ता, महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुलाने के लिए।

मैं यहां अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों 2015-16 पर विचार-विमर्श करने के लिए खड़ा हूं, जिन्हें माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस सदन के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है । मैं शुरू में यहां उल्लेख करूंगा कि जब हम में से अधिकांश जो आमतौर पर विदेश जाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए घर वापस कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं जैसे कि कुछ ट्रिंकेट, कुछ कपड़े अथवा कुछ जूते या कुछ ऐसा जो हम वापस लाते हैं, ताकि हमारे परिवार के सदस्य खुश हों कि हमने उन्हें याद किया है जब हम विदेश में थे। लेकिन हममें से अधिकांश को आजकल एक अलग प्रकार का अनुभव हो रहा है कि हम यूरोप अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस भी दुकान में प्रवेश करते हैं, अधिकांश वस्तुएं जिन्हें हम घर वापस ले जाने के योग्य समझते हैं वे सभी चीन में बनी हैं। यहां तक कि भारतीय बाजार में भी, जब हम किसी अन्य शहर की यात्रा करते हैं, जब हम खरीदारी के लिए जाते हैं, तो जो वस्तु दी जाती है या दुकानों में उपलब्ध होती है वह भी चीन में बनी होती है। चीन के उत्पाद आज बाजार में उमड़ रहे हैं। फिर भी, हम जानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है। निश्चित रूप से, आज - जैसा कि हाल के दिनों में बताया गया है - विकास दर मुश्किल से सात प्रतिशत है। यह 2009 के बाद से सबसे कम है। यह मंदी भारत सहित उन देशों के लिए भी अशुभ है। ये देश चीन को कच्चा माल बेचते रहे हैं। ऐसा लगता है कि चीन के पास आज इस्पात और अन्य कच्चे माल का एक बड़ा भंडार है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत आज निर्यात में मंदी का सामना कर रहा है। मई, 2015 में निर्यात में 20 प्रतिशत की गिरावट आई।

एशिया के अन्य उभरते बाजारों और देशों को भी इसी तरह की निर्यात मंदी का सामना करना पड़ रहा है। भारत के मामले में, पेट्रोलियम की कीमत में गिरावट के कारण परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की डॉलर निर्यात आय में भी कमी आई जिसमें भारत विशेषज्ञता रखता है। युवाओं की बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और विभिन्न अन्य बजटीय कटौती से निपटान आय में कमी आई है। फिर भी, मैं कहूंगा कि सोने की कीमत और घरों की कीमतों में गिरावट आई है, जिसे अच्छी खबर कहा जा सकता है। वित्त राज्य मंत्री जी हमारे अच्छे मित्र हैं; वे

हमेशा संकेत देते हैं कि वहाँ के बाजार का क्या प्रभाव है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। होना ही चाहिए। हम पारंपरिक रूप से भौतिक परिसंपत्तियों के आदी हैं; यहाँ चिंता यह है कि, आर्थिक विकास के बावजूद आदत नहीं बदली है।

इसलिए वित्तीय बचत जितनी होनी चाहिए थी, उससे कहीं कम है। आर.बी.आई. के हस्तक्षेप और रेपो दर में कमी के बावजूद, बैंक ऋण दरों में कटौती क्यों नहीं कर रहे हैं? बैंक अपनी ऋण दरों में कटौती करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? क्या यह उनके उच्च एन.पी.ए. के कारण है? भारतीय बैंकों का सकल एन.पी.ए. सितंबर में कुल अग्रिमों का 4. 5 प्रतिशत हो गया है, जो मार्च में 4.1 प्रतिशत था। आज, सरकारी क्षेत्र के बैंक गहरे संकट में हैं। एन.पी.ए. मुनाफे में कटौती कर रहे हैं और यहां तक कि नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। यह चिंता की बात है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा लाना और बचत को भौतिक परिसंपत्तियों से वित्तीय परिसंपत्तियों में स्थानांतरित करना दो उपयुक्त घरेलू विषय हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह देखने के लिए लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है कि क्या दिल्ली में निर्धारित नीति ग्रामीण इलाकों में दिखाई देती है।

महोदय, एक क्षेत्रीय दल के रूप में, बीजू जनता दल, का मानना है कि संघवाद हमारे संविधान की मूल संरचना है। संघवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण है। अनुच्छेद 270 के तहत, भारत सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी करों को केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाना आवश्यक है। अनुच्छेद275 के तहत, संघ राज्यों को अनुदान देता है और अनुच्छेद 252 के तहत, संघ किसी भी उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान दे सकता है। बजट 2015-16 के अनुसार, कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 2014-15 के 3,82, 216 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,23,980 करोड़ रुपये हो गई है। ऐसा कहा जाता हैं कि राज्य को 1,41,742 करोड़ रुपये का, लाभ हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि राज्यों को अधिक धनराशि दी जा रही है। जब इस सरकार ने केंद्रीय सहायता में कटौती की है, तो कोई यह कैसे कह सकता है कि वास्तव में राज्यों को अधिक धन आ रहा है? सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, यानी, केंद्रीय करों के हस्तांतरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं।

तथापि, केंद्र सरकार ने आठ योजनाओं को केंद्रीय सहायता से अलग कर दिया है। 33 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साझाकरण स्वरूप को भी कम कर दिया गया है। कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाएं थीं जिनमें 70 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण था और इसे घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। इसलिए, राज्य सरकारों को भी अधिक धन लगाना पड़ता है।

ओडिशा के मामले में केंद्रीय सहायता में कमी के कारण 8,037.26 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। यह हस्तांतरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि से शुरू नहीं होने जा रहा है जो 5,888.43 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार, ओडिशा को केवल वर्ष 2015-16 के लिए 2,148.83 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी वहन करनी होगी। केंद्रीय सहायता से के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को भी डी-लिंकिंग किया गया है जो ओडिशा जैसे राज्यों में किए गए विकास कार्यक्रमों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है।

इसके अलावा, वामपंथी चरमपंथी गतिविधियों से पीड़ित, कई अन्य राज्य भी, प्रभावित हो रहे हैं। कल ओडिशा के मुख्यमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात की थी और मुझे नहीं पता कि उन्हें किस प्रकार का आश्वासन दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ओडिशा की चिंता को सही मायने में उठाया है और वित्त मंत्री जी इस पर गौर करेंगे। यहां भी, हम उम्मीद करेंगे कि इस सदन में बीजू जनता दल को पर्याप्त आश्वासन दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पारादीप में स्थापित की जा रही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी के चालू होने के बाद कर स्थगन के कारण चालू वर्ष से हमारे अपने कर राजस्व में लगभग 1,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की सीमा तक बड़ा नुकसान होगा। पिछली एन.डी.ए सरकार के दौरान, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए पारादीप गए थे और 15 साल बाद, यह पारादीप तेल रिफाइनरी चालू होने जा रही है। लेकिन हमारी समस्या यह होगी कि उस कर को स्थगित करने से, ओडिशा को सालाना 1,700 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। राज्य सरकार इस संबंध में

भारत सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनके परामर्श से एक उपयुक्त शमन रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि, कुछ वैकल्पिक तंत्र स्थापित होने तक राज्य का वर्तमान राजस्व प्रभावित होगा।

महोदय, सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और प्रत्येक राज्य को इसे स्वीकार करना होगा। लेकिन जब हस्तांतरण वास्तव में नहीं हो रहा है और हम पहले से ही 2,800 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान में हैं, तो यहां और 1,700 करोड़ रुपये की कमी है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि बजट भाषण के दौरान, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया था कि पूर्वी राज्यों को तेजी से विकास करने की आवश्यकता है। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि जैसे कुछ पूर्वी राज्यों को केंद्रीय सहायता का आश्वासन दिया। लेकिन राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों के निम्न स्तर के बावजूद ओडिशा के मामले पर इस तरह की सहायता के लिए विचार नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को बढ़े हुए हस्तांतरण और कम योजना हस्तांतरण की नई व्यवस्था से भी लाभ नहीं हो सका।

अतिरिक्त वित्तीय देयता ओडिशा सरकार के साधनों से परे है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ओडिशा की चिंताओं की सराहना करे और विशेष सहायता के अलावा के.बी.के. के लिए, विशेष योजना, पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष, और एकीकृत कार्य योजना जैसे क्षेत्र-विशिष्ट विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता जारी रखने पर विचार करे। इसके लिए, हमारे राज्य से, मुख्यमंत्री जी ने सरकार को दिया है और भारत के प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है कि हमें 3,500 करोड़ रुपये की सहायता की आवश्यकता है, जो हमारे राज्य की चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, यानी नीति आयोग को आवंटित धन से प्रदान की जा सकती है।

भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों को जो सुझाव दिए हैं, उनसे संबंधित दो-तीन पहलुओं पर मैं यहां बात करना चाहूंगा। इस 10 प्रतिशत के साथ, डिवोल्यूशन को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत, करने के साथ ही सुझाव भी आए हैं। न्याय विभाग ने एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है – यह 14वें वित्त आयोग के पास था; कानून मंत्री जी यहां हैं – जिसमें मामलों के लंबित होने में कमी, मौजूदा अदालत परिसरों को फिर से

डिजाइन करना जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि वे अधिक वादी-अनुकूल बन सकें, न्याय तक पहुंच बढ़ाएं और कर्मियों की क्षमता निर्माण करें। आयोग ने राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए न्याय विभाग के एक प्रस्ताव की भी सिफारिश की थी और राज्य सरकारों से आग्रह किया था कि वे ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर हस्तांतरण में उनके द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त वित्तीय स्थान का उपयोग करें। गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। 14वें वित्त आयोग ने कहा, राज्यों के पास इस आवश्यकता के लिए आवश्यक अतिरिक्त व्यय प्रदान करने के लिए उचित राजकोषीय स्थान है – इसका मतलब है कि – हमें सिंचाई परियोजनाओं, सार्वजनिक भवनों, सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए भी इसमें जाना होगा। हमें यह भी सलाह दी गई है कि 10 प्रतिशत के इस राजकोषीय दायरे का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

दूसरा वन पहलू है। वन में दो प्रमुख लागतें आती हैं: वन रखने की रखरखाव लागत और मौजूदा अवक्रमित वन के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक बहाली लागत। पारिस्थितिकीय लाभों और राज्यों को समर्थन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जो, पहले केंद्र सरकार कर रही थी, अब राज्यों को सलाह दी गई है कि, आपको इस बढ़े हुए राजकोषीय स्थान से अपने राज्यों की भी देखभाल करनी होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वन क्षैतिज हस्तांतरण के लिए महत्त्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। इसके लिए, हमें कोई अतिरिक्त धनराशि भी नहीं मिलती है। बेशक, सी.ए.एम.पी.ए. आएगा, बशर्ते संसद इसे यथाशीघ्र पारित कर दे लेकिन वह पैसा मौजूद है। कुछ धन हस्तांतरित किया जा रहा है लेकिन वह आवश्यकता के अनुसार नहीं है। आवश्यकता एक और महत्वपूर्ण बात है। प्रावधान के अनुसार, यह प्रवाहित होना चाहिए। वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। लेकिन हम सभी को बताया गया है कि यह वह क्षेत्र है, यह वह स्थान है जहाँ से यह पैसा आना है।

महोदय, 14वें वित्त आयोग ने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता को राष्ट्रीय महत्व की लोक सेवा माना है। लेकिन इस दिशा में कितना धन खर्च किया जा रहा है?इस पर गौर करने की जरूरत है।

मैं यहां एक अन्य पहलू का भी उल्लेख करना चाहूंगा। हम खदानों की नीलामी के विरुद्ध नहीं हैं। हमने इसका विरोध नहीं किया था, लेकिन हमने कहा था कि राज्य के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। यह एक सनसनीखेज मामला है। भारत सरकार को अतिरिक्त उद्ग्रहण के माध्यम से 6,801 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जो

हिंडाल्को जैसी कंपनियों से विभिन्न राज्यों में रद्द किए गए 31 कोयला ब्लॉकों से प्राप्त होते हैं। भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षकद्वारा सुझाए गए उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कोयले पर 295 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। हिंडाल्को द्वारा तालबिरा-1 के लिए देय 560 करोड़ रुपये की धनराशि ओडिशा सरकार का एक वैध दावा है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगालजैसे अन्य राज्यों ने भी इस संबंध में अपने दावे किए हैं। यह धन राज्यों को वापस नहीं आया है।

मैं वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे सरकार को प्रभावित करें, ताकि राज्यों को जल्द से जल्द पैसा वापस भेजा जा सके। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस संबंध में लिखा है। मुझे लगता है, उन्होंने कल इस पर चर्चा की होगी।

मुद्रा बैंक एक अनूठी विशेषता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में इसकी घोषणा की थी। यह व्यष्टि वित्तसे संबंधित है। यह सूक्ष्म और छोटे उद्यमों की देखभाल से संबंधित है। हमारे राज्य ओडिशा और विशेष रूप से भुवनेश्वर में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का कोई मुख्यालय नहीं है।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करूंगा और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुद्रा बैंक का मुख्यालय भुवनेश्वर में हो। यह पूरे देश की देखभाल करेगा। इसकी आवश्यकता है। जब आप पूर्वी राज्यों के विकास को देख रहे हैं, तो यहां एक ऐसा मामला है जहां ओडिशा सरकार सभी प्रकार की रसद सहायता प्रदान करेगी और, मुझे लगता है कि, मुद्रा बैंक का मुख्यालय भुवनेश्वर में तैनात किया जा सकता है। ओडिशा जैसे राज्य के लिए यह एक बड़ी बात होगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राउत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) :उपाध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन (3) बिल, 2015 का अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तकरीबन 40821.68 लाख करोड़ रुपये की अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस एप्रोप्रिएशन बिल का सपोर्ट करते हुए मैं यहां कई मुद्दों का विस्तृत विवेचन करना चाहता हूं, जिससे केन्द्र सरकार को लोगों के हित में निर्णय लेने में मदद हो। आज बारिश की अनियमितता की वजह से महाराष्ट्र के कई भागों में पिछले तीन सालों से सूखा पड़ रहा है, खासकर के मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र के कई भागों में पिछले तीन सालों से वहां बारिश नहीं हुई। वहां धान उत्पादक किसान बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से किसानों को मदद, मुआवजा देने का ऐलान हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों तक वह मदद नहीं पहुंची। दुर्भाग्यवश मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों के पास पैकेज के तहत दिए गए कई करोड़ रुपए पहुंच नहीं सके, केंद्र और राज्य सरकार के पास वापस आ गए। किसानों के नाम दस्तावेज में रहते हैं। चाहे महसूल के कागज हों, इनमें कोई जिंदा है कोई मर गया है, किसी के बाप का नाम नहीं है कहीं कुछ और नहीं है लेकिन इसमें उनका नाम रहता है। महसूल खाते में अधिकारी वर्ग की गलती से जो किसान जमीन पर काम करते हैं, उनका नाम रिकार्ड में नहीं जाता है। यही कारण है कि जो मदद केंद्र या राज्य सरकार देती है, वह इन लोगों तक नहीं पहुंचती है। अगर सरकार को भविष्य में महाराष्ट्र या देश के अन्य किसानों की मदद करनी है, तो महसूल दस्तावेजों का पुनर्मूल्यांकन करके आधुनिकता लानी चाहिए। [अनुवाद] इससे पहले दो बार ऐसा हुआ है कि पुराने जमाने से चल रहे कानूनों को स्क्रैप किया गया, रद्द किया गया। धान का उत्पादन करने वाले किसानों की तरह फल उत्पादन करने वाले किसानों की हालत खराब है। कई फल उत्पादन करने वाले किसानों को फल का उत्पादन न होने के कारण राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजा देने की कोशिश की गई थी। खास तौर से मेरे संसदीय क्षेत्र रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में आम, काजू उत्पादन करने वाले किसानों को 65 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया था, जो उन्हें नहीं मिला और वापस चला गया क्योंकि रिकॉर्ड में गलतियां थी। यही वजह है कि सही लोगों तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। पहले ऐसा होता था कि जो किसान या फल उत्पादक जिस जगह काम करता था,

उससे इंडैमनिटी बांड ले जाते थे और उसे मुआवजा मिलता था। लेकिन अब दुर्भाग्य से इसमें बदलाव आया और इसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों को लाभ मिलना होता है वह नहीं मिल पाता है।

महोदय, अब मैं आपका ध्यान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की तरफ दिलाना चाहता हूं। खाद्य सुरक्षा कानून में 15 और 10 किलो की जगह तीन और दो किलो अनाज के आबंटन की व्यवस्था हो रही है। बी.पी.एल लोगों को तीन किलो चावल और दो किलो गेहूं देने की व्यवस्था हो रही है। ए.पी.एल लोगों को नवंबर, 2014 से अब तक एक किलो भी गेहूं और चावल नहीं मिला है। बी.पी.एल और ए.पी.एल लाभार्थियों की लिस्ट में कई गलतियां हैं, यह सबको मालूम है। ए.पी.एल लोगों को एक साल तक अनाज नहीं मिला है, इस कारण उनको काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ए.पी.एल वर्ग के लोगों को छः और नौ किलो गेहूं और चावल मिलता था, मेरी माननीय मंत्री जी से विनती है कि इसे देने की व्यवस्था तुरंत की जानी चाहिए। सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है जिसके कारण लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार इस तरफ गंभीरता से ध्यान देगी।

महोदय, अब मैं आपका ध्यान पशुपालन और मात्स्यिकी विभाग की ओर दिलाना चाहता हूं। सौभाग्य से महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर समुद्र की तटरेखा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में 125 किलोमीटर समुद्र की तटरेखा है। यहां लाखों मछुआरों का जीवन मछली उत्पादन पर निर्भर है। लेकिन तूफान और बारिश की वजह से ऐसा हो चुका है कि पहले तीन महीने में उनके ऊपर पाबंदी आती थी लेकिन मौसम के बदलने के बाद आज हर वर्ष में कभी भी बारिश होती है और कभी भी तूफान आता है। जिन लोगों का समुद्र के माध्यम से जीवनयापन होता है, ऐसे मछुआरों को उनका जीवनयापन करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे मछुआरों को कई योजनाओं के माध्यम से मदद करने की जरूरत है, जैसे कि उन्हें बीमा का संरक्षण दिया जाना चाहिए। तूफान की वजह से कभी कभी उनका जहाज समुद्र के बीचोंबीच फंस जाता है और उनसे सम्पर्क नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में मछुआरों के जहाज पर वॉयरलैस सिस्टम के साथ मोबाइल सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए और इसके साथ साथ जो

पारम्परिक मछुआरे हैं, उन्हें रॉकेल, डीजल में सब्सिडी देने की व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से की जानी चाहिए, यह विनती मैं करना चाहता हूं।

न्यूक्लिअर पॉवर स्कीम के बारे में भी मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि हमारे रत्नागिरी में जैतापुर में न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट का बड़ा प्लांट लाने की कोशिश केन्द्र सरकार के माध्यम से भी हो रही है जो पिछली सरकार ने भी कोशिश की थी। हमारा विरोध इसीलिए है कि जिस एरिया में बार बार भूकम्प आता है, ऐसी जगह पर न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट नहीं चलाना चाहिए, जैसे कि सिंधुदुर्ग में पन्द्रह दिन पहले एक बहुत बड़ा भूकम्प का हादसा हुआ। ऐसे कोंकण की भूमि में न्यूक्लिअर पॉवर प्रोजेक्ट लगाया गया तो भविष्य में इस भूमि को साफ करने की व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से नहीं करे, यह विनती मैं बार बार करना चाहता हूं।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बी.एस.एन.एल से सब लोग देश में नाराज हैं। मैं खुद भी नाराज हूं। लेकिन मैं अभिमान से कहूंगा कि दूर संचार विभाग ने अच्छा किया कि बी.एस.एन.एल के माध्यम से मैंने अपने क्षेत्र में ऑनलाइन ई क्लास की शुरुआत की। जो पहाड़ी एरिया में स्कूल हैं, जो शहरी एरिया में स्कूल हैं, ऐसे 28 स्कूल्स के करीबन 15000 छात्रों को ऑनलाइन ई क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने का काम बीएसएनएल के माध्यम से हुआ है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और अगर बी.एस.एन.एल चाहे, तो वह कई प्राइवेट कंपनीज से भी स्पर्धा कर सकती है। लेकिन सरकार को बी.एस.एन.एल की तरफ सही तरीके से ध्यान देना चाहिए।

जो हमारा पर्यटन का विभाग है, पर्यटन के क्षेत्र में जैसे कई राज्य पूरी तरीके से अपना राज्य चलाते हैं। हमारे गोआ राज्य का उदाहरण सामने है। कोंकण के रत्नागिरी के सिंधुदुर्ग का जो एरिया है, वैसे यह कोस्टल एरिया है, पर्यटन की दृष्टि से वहां बहुत सुधार हो सकता है, जब मैं ऐसी मांग करता हूं तब मैं एक बार और खुशी से करना चाहता हूं कि इस विभाग के जो मंत्री डा. महेश शर्मा हैं, मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी के मंत्रिमंडल में जो अच्छे मंत्री काम करते हैं, उसमें डा. महेश शर्मा जी का नाम मैं बार-बार लूंगा

कि लोक प्रतिनिधियों की समस्या और ग्रामीण इलाके की सुविधा के लिए ऐसे मंत्री जब काम करते हैं, तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए।

मैं बजटरी डिमांड पर बोलते हुए अंत में एक ही बात कहूंगा कि खासकर पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना के जो काम हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जिन रास्तों का निर्माण पिछले कई वर्षों से हो रहा था, जिसमें फेज वन और फेज टू आते हैं, उनमें फेज वन का काम भी आधा रह गया है। फेज टू का काम भी पूरी तरीके से बंद पड़ा है। ग्रामीण इलाके के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आप मदद करें। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाके का विकास हो और लोगों को मदद पहुंचे, मैं ऐसी ही विनती आपके माध्यम से करना चाहता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एम. मुरली मोहन (राजामुन्दरी): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं बजट (सामान्य) - 2015-16 के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले, मैं केंद्र सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य के अन्यायपूर्ण विभाजन ने राजस्व के प्रमुख स्रोतों और कई सांस्कृतिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों को खोने के माध्यम से उत्तराधिकारी राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। नई राजधानी शहर की बुनियादी जरूरतों और उत्तराधिकारी राज्य आंध्र प्रदेश के लिए संसाधन गतिशीलता को पूरा किए बिना, पिछली यूपीए सरकार ने लंबे समय में परिणामों की परवाह किए बिना, विचारहीन तरीके से आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित कर दिया था। इस प्रकार, आंध्र प्रदेश सरकार कई वित्तीय संकटों से जूझ रही है, और वर्तमान में, गंभीर राजस्व घाटा है। जब तक केंद्र सरकार आगे नहीं आती, तब तक आंध्र प्रदेश राज्य को अन्य विकसित राज्यों के बराबर विकसित करना बहुत मुश्किल होगा। मामले को बदतर बनाने के लिए, हुदहुद चक्रवात ने बहुत सारी संपत्ति, बुनियादी ढांचे और कृषि प्रक्रियाओं को व्यापक नुकसान पहुंचाया था।

आंध्र प्रदेश के लोगों को केंद्र सरकार से बहुत सारी उम्मीदें और आकांक्षाएं हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष दर्जा दिया जाना भी शामिल है। भले ही अब तक एक साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों के बीच नाराजगी का कारण है। इस संदर्भ में, मैं इस सम्मानित सभा के माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह, ने 19.2.2014 को राज्य सभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 पारित करते समय सभा को यह आश्वासन दिया था:

> “मैंने विपक्ष के नेता और बोलने वाले अन्य सभी सदस्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बहुत ध्यान से सुना है। गृह मंत्री जी पहले ही राज्य के सभी

क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमांध्र की चिंताओं को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का उल्लेख कर चुके हैं।

मैं इस संबंध में कुछ और घोषणाएं करना चाहूंगा। सबसे पहला, केंद्रीय सहायता के उद्देश्य से, रायलसीमा के चार जिलों और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश के तीन जिलों सहित 13 जिलों वाले, आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य को पांच साल की अवधि के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। ”

हालांकि, दुर्भाग्य से, ए.पी. में एक ही बात का उल्लेख नहीं किया गया था। पुनर्गठन अधिनियम जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश के लोगों में बहुत आक्रोश है। इस संबंध में, मैं इस सम्मानित सभा को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि जब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों को क्रमशः यू.पी., बिहार और मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, तब एन.डी.ए सरकार ने सभी हितधारकों से परामर्श किया था, उन्हें बोर्ड पर लिया था और सभी मुद्दों को उचित तरीके से संबोधित किया था। आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने में देरी के लिए जो भी कारण हों, यह, उत्तराधिकारी सरकार यानी एन.डी.ए. सरकार की ओर से, संसद में घोषित वादे के वचन को, लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, मैं, सरकार से विनम्रतापूर्वक अपील करूंगा कि वह भारत के लोकतंत्र के इस मंदिर के पटल पर दिए गए बयानों को बनाए रखने की प्रथा को बनाए रखते हुए संसद की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखे, भले ही सरकारें आए और जाएं।

इस संबंध में, कल 4.8.2015, को माननीय संसदीय कार्य मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, श्री वेंकैया नायडू जी, ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने में देरी के कारणों के बारे में, मेरे सहयोगियों द्वारा किए गए विशेष उल्लेख का जवाब देते हुए सभा को आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर रहा है और जल्द ही निर्णय लेगा। इसलिए, मैं, केंद्र सरकार से इस मामले में तेजी लाने और बिना किसी देरी के आंध्र प्रदेश

को दस साल की अवधि के लिए विशेष दर्जा देने की अपील करूंगा, क्योंकि इससे एक मजबूत और जीवंत राज्य के विकास में मदद मिलेगी, जो हमारे माननीय श्री नरेन्द्र मोदी, का सिद्धांत और दर्शन है। प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने मजबूत राज्यों और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए नीति आयोग की स्थापना की है - भारत की एक सच्ची सहकारी संघीय संरचना जिसकी कल्पना भारत के पूर्वजों ने की थी।

यदि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाता है, तो बहुत सारे उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जो न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे, बल्कि कुछ हद तक राजस्व घाटे को भी कम करेंगे। दुर्भाग्य से, 14वें वित्त आयोग ने हमारे नए राज्य के राजस्व घाटे का आंशिक रूप से अनुमान लगाया है और नई राजधानी, के गठन/निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक पहलों और अन्य प्रमुख विकास इंजनों सहित शेष आंध्र प्रदेश राज्य की बड़े पैमाने पर विकास संबंधी जरूरतों या आवश्यकताओं का पूरी तरह से आकलन नहीं किया है।

आंध्र प्रदेश के नए राज्य के लिए एक नए राजधानी शहर के निर्माण के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती नामक एक स्थान की पहचान की है जिसके लिए भारी वित्तीय प्रवाह की आवश्यकता है। सिंगापुर ने हाल ही में अमरावती शहर के मास्टर प्लान का खाका प्रस्तुत किया है। आंध्र प्रदेश के प्राचीन गौरव को वापस लाने के लिए, हमें 'मेक इन इंडिया' के तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और भारी निवेश की आवश्यकता है।

आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.एस.आर., जनजातीय विश्वविद्यालय और पेट्रोलियम विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा को छोड़कर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में दिए गए सभी आश्वासनों को अभी तक, पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उक्त अधिनियम में दिए गए सभी आश्वासनों को यथाशीघ्र सही अर्थों में लागू किया जाए।

मैं सरकार से नए राजधानी शहर के निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटित करने का भी आग्रह करूंगा।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बजट में पोलावरम राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना के लिए कम से कम 5,000 करोड़ रुपये के पर्याप्त आबंटन की घोषणा करे ताकि इसे समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।

भारत के, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, के नेतृत्व वाली राजग सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस संबंध में, मैं यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यान्वयन के लिए सबसे उपयुक्त है, जो सामान्य रूप से किसानों, विशेष रूप से रायलसीमा के सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं की प्रस्तावित सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।

मेरे राजामुन्दरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आते हुए, यह पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों को जोड़ने वाली गोदावरी नदी के तट पर स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में से एक है। हाल ही में, हमारे पास गोदावरी महा पुष्करम था, जो 144 वर्षों में एक बार आता है। लगभग 4.58 करोड़ श्रद्धालु राजामुन्दरी पहुंचे और अपनी पवित्र डुबकी लगाई। एच.आर.आई.डी.ए.वाई. सौंदर्य की दृष्टि से आकर्षक, सुलभ, सूचनात्मक और सुरक्षित वातावरण में प्रत्येक शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करके विरासत के महत्व वाले भारतीय शहरों की आत्मा के संरक्षण, संरक्षण और पुनरोद्धार के लिए एक केंद्रीय योजना है। इसलिए, मैं, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि आंध्र प्रदेश की, केंद्रीय सांस्कृतिक राजधानी राजामुन्दरी को, शहरी विकास मंत्रालय की हृदय योजना के तहत शामिल किया जाए।

मैं सरकार के ध्यान में लाने के लिए विवश हूं कि राजामुन्दरी में मौजूदा सरकारी सामान्य चिकित्सालयमें कैंसर से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से राजामुन्दरी में कैंसर अनुसंधान संस्थान/चिकित्सालय के साथ एक और एम्स जैसे संस्थान को स्वीकृति देने का अनुरोध करूंगा।

मैं सरकार से कृषि आपूर्ति बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजामुन्दरी में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का भी आग्रह करूंगा।

यह एक और महत्त्वपूर्ण बिंदु है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह अभियाँत्रिकी, चिकित्सा, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि जैसे अन्य व्यवसायों के समान पुलिस कर्मियों में कौशल विकास के लिए एक अभिनव उपाय करे। मैं सरकार से गुजरात में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की तर्ज पर आंध्र प्रदेश में एक पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने का अनुरोध करूंगा, जिसकी स्थापना श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी। इसमें अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और साइबर प्रौद्योगिकी विषयों के साथ चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की पेशकश की जानी चाहिए। शिक्षा में, शारीरिक तंदुरुस्ती में योग और निशानेबाजी, दौड़, आदि जैसे विभिन्न खेल भी सम्मिलितहोने चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सभी सांसद पैसों की मांग करते हैं कि हमारे यहां पैसे की आवश्यकता है और तमाम प्रोजेक्ट्स में फंडिंग की बात होती है। लेकिन शायद ही कोई माननीय सदस्य संसद में बोलता होगा कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा पक्ष व्यय प्रबंधन है। मैं थोड़ा राजस्व प्राप्ति के बारे में कहना चाहूंगा। जब तक सरकारी खजाना या एक्सचेकर में पैसा नहीं होगा, तब तक योजनाओं में पर्याप्त पैसा खर्च नहीं हो पाएगा। अभी आंध्र प्रदेश के हमारे साथी भी फंडिंग के बारे में कह रहे थे। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि लगभग 2.42 लाख करोड़ रुपया करीब 17 लोगों पर इनकम टैक्स का बकाया है। यह लिखा गया था कि यह पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं था। मुझे यह इसलिए पता है क्योंकि मुझे आयकर का अनुभव है। धन का एक हिस्सा वसूल किया जा सकता है बशर्ते कि इसे ठीक से किया जाए और इसे गंभीरता से लिया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी राजस्व को बढ़ावा देने और यथासंभव राजस्व एकत्र करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। मैं इससे अवगत हूं और इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

दूसरा पहलू प्रबंधन के बारे में है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी, का ध्यान विशेष घटक राशि के उपयोग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने अक्सर देखा है कि एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के तहत जो पैसा दिया जाता है या आवंटित किया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। कभी-कभी एस.सी. और एस.टी. के विकास के लिए धन से बांधों का निर्माण या स्टेडियम का निर्माण किया जाता है। इसकी जांच की जानी चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके लिए एक तंत्र होना चाहिए। इसकी निगरानी के लिए एक समिति होनी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में, एस.एस.ए. के लिए एक निगरानी समिति है। हमारे पास वित्त मंत्रालय में उस तरह की निगरानी समिति नहीं है। इसलिए हमें नहीं पता कि एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के तहत आवंटित धन का वास्तव में उनके विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है या नहीं। मैं आग्रह करूंगा कि एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और उन्हें इस पर भी गौर करना चाहिए ताकि यह

सुनिश्चित किया जा सके कि इन लोगों के लिए किस तरह की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। यह वास्तव में उन्हें सशक्त बनाएगा और उनका उत्थान करेगा।

इसके अलावा, इस बात पर चर्चा की गई है कि एस.सी.पी. को व्यक्ति उन्मुख होना चाहिए न कि लक्षित क्षेत्र। क्या होता है, जब यह क्षेत्र लक्षित होता है, तो अन्य लोग भी इसके लाभार्थी बनेंगे। फिर यह सब श्रेय दिया जाता है कि यह एस.सी. और एस.टी. के लिए खर्च किया जाता है। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए।

एन.पी.ए. की बात करें तो, अभी भी बड़ी मात्रा में एन.पी.ए. पड़ा हुआ है जिसकी वसूली की जा सकती है। सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं यह जानता हूं। जब तक हम इस हिस्से को मजबूत नहीं करते, यह मदद नहीं करेगा। मैं आयकर का अतिरिक्त आयुक्त था। मेरी पत्नी अभी भी आयुक्त हैं। मैं राजस्व विभाग के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। राजस्व के प्रशासनिक हिस्से को सुव्यवस्थित करना होगा। वर्तमान सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है। हमें विरासत में मिली, परम्परा के कारण इस मुद्दे को हल करना बहुत आसान नहीं है। इसमें कुछ समय लगता है। ऐसे कई जिले हैं जहां आयकर और सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के कार्यालय भी नहीं हैं। उन स्थानों पर राजस्व का दोहन करना संभव नहीं है। इसलिए, राजस्व का आधार बहुत अधिक है और इसे खर्च किया जा रहा है। मैं सरकार से इस दिशा में उचित कदम उठाने का आग्रह करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट की सप्लीमेंट ग्रांट्स की चर्चा में शामिल हो रहा हूं। मैं समझता हूं कि विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए पैसे की जरूरत है और हमारी सरकार ने, मोदी साहब की सरकार ने जनरल बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना चलाई है, अटल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और ऐसी योजनाएं जिनसे वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर लाने की बात हुई है, इन सभी के लिए पैसे की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इन योजनाओं को आगे ले जाने के लिए पैसे की जरूरत है।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैं माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के लिए माननीय वित्त मंत्री जी पंजाब गए थे। अमृतसर में मंत्री जी ने कहा था कि 50 हजार करोड़ रुपया सिंचाई के लिए रखा है। अभी तक यह जानकारी नहीं है कि प्रदेशों में यह पैसा कैसे बांटा जाएगा या कैसे-कैसे यह पैसा खर्च किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि सही रूप में पैसे का इस्तेमाल हो पाए, तो प्रदेशों की सरकारों से जो योजनाएं आई हैं, उनको अमल में लाना चाहिए न कि केंद्र अपनी तरफ से योजना बनाकर प्रदेशों को दे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य बजट से पहले ही कहा था कि कोऑपरेटिव फेड्रेलिज्म बनाया और नीति आयोग बनाया। प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को साथ लिया और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के तहत जैसे पंजाब की तरह जो प्रदेश हैं, वहां पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। उसे रेनोवेट करने की जरूरत है। इसके अलावा बारिश के पानी को सम्भालने की जरूरत है। देश को समृद्ध बनाने के लिए पानी की जरूरत है। आज पानी का ग्राउंड लेवल नीचे चला गया है और धरती के नीचे से पानी बाहर निकालना बहुत महंगा पड़ रहा है। इसके लिए नई योजना वित्त मंत्री जी लाएं कि बारिश के पानी को सम्भालने के लिए राज्य सरकारों को मदद दी जाए, तो मैं समझता हूं कि पैसे का सही इस्तेमाल होगा तथा देश तरक्की भी करेगा।

महोदय, बी.पी.एल सिस्टम को रिव्यू करने की जरूरत है। सरकार गरीबों की भलाई के लिए सोचती है। मैं समझता हूं कि बी.पी.एल कार्ड बहुत कम लोगों के बने हैं। बी.पी.एल के तहत और लोगों को भी कार्ड देने की जरूरत है। इसको भी रिव्यू करना चाहिए। मेरी तीसरी बात यह है कि इंटीग्रेटिड चेक पोस्ट वाघा में बनी है।

इंटेग्रेटिड चैक पोस्ट हुसैनीवाला में भी बन सकती है। दुख इस बात का है कि पहली सरकारों ने पंजाब जैसे प्रदेश के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया लेकिन आज की सरकार से हमें अपेक्षा है कि डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा। वहां लिमिटेड वस्तुएं ही जाती हैं। जब समुद्र के रास्ते विदेशों में 150-160 वस्तुएं जा सकती हैं, तो रोड द्वारा चीजें क्यों नहीं भेजी जा सकती हैं। पंजाब जैसे प्रदेशों की इकोनोमी में स्टैगनेशन आ गई है, एग्रीकल्चर में स्टैगनेशन आ गई, हमें कुछ पैसे मिल पाएं इसलिए रिव्यू करने की जरूरत है। ऐसे ही मैं समझता हूं कि काम करने वाले लोगों को शाबासी दी जाए, तो काम और ज्यादा होता है।

पंजाब ने देश के लिए सबसे ज्यादा अन्न पैदा किया है लेकिन आज हमारे यहां पैसे की कमी है। 14वें वित्त कमीशन ने पंजाब को डेफिसिट स्टेट से बाहर निकाल दिया लेकिन यह सच है कि प्रति एकड़, प्रति परिवार सबसे ज्यादा कर्जा पर-मैन पंजाब के किसान के सिर पर है। पंजाब सरहदी प्रदेश है। अभी गुरदासपुर में जो घटना हुई है, वहां फौज आई, फौजी गाड़ियां आईं। पंजाब की सड़कें टूटी हुई हैं। हम स्पेशल पैकेज इसलिए मांगते हैं क्योंकि सरहदी प्रदेश है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के जो नार्म्स हैं। उसके लिए हमें पैकेज नहीं मिलता है, सरहदी स्टेट मानकर हमें सड़कों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर पाए। इसी प्रकार से पहाड़ी राज्यों को विशेष सुविधाएं दी गयी हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ बहुत सारे पहाड़ी इलाके पड़ते हैं। उनको अलग सहूलियतें हैं और हमारी कान्स्टीट्यूएंसी के लोगों को अलग हैं। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र की कांस्टीट्यूएंसी को भी विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। जो इंसेटिव पहाड़ी क्षेत्रों के प्रदेशों को मिलता है, वह पंजाब को भी मिलना चाहिए। आखिर में एक बात कह कर अपनी विनती समाप्त करना चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे पर्सनली भी कहा था कि श्री अनंतपुर साहिब, जिसके लिए माननीय वाजपेयी साहब ने सौ करोड़ रूपये दिए थे, आज तक लोग उनको याद करते हैं। हम श्री अनंतपुर साहिब का 300वां जन्मदिन मना कर हटे हैं। इन्होंने वायदा किया था कि कुछ न कुछ तो वहां दिया जाएगा। वहां या तो टूरिज्म हब बनाया जाए या सातों दरियाओं को चैनलाइज़ कर के 900 करोड़ हिमाचल वालों ने खर्च कर के सामान यदि पंजाब में लाते हैं, हमारी मिट्टी, हमारी जमीन, हमारी फसलें खराब हो गईं। ...(व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट की अनुपूरक मांग पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, हमारी वर्तमान सरकार ने, जिसके अगुवा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री जी को जब बजट पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस समय पूर्वर्ती सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा विभाग नहीं था, जिसमें घोटालों का बोलबाला न रहा हो। ऐसी परिस्थिति में हमारे वित्त मंत्री जी ने यह कार्य स्वीकार किया और सर्वग्राही बजट ला कर देश के सामने प्रस्तुत किया। यू.पी.ए सरकार के लोगों ने जिनके द्वारा ही मनरेगा व्यवस्था लायी गई थी और सन् 2014 के चुनाव के पहले छह-सात महीने के कार्यकाल में मनरेगा का पैसा जाना बंद हो गया था। उन लोगों ने बहुत सारी आपत्तियां भी की थीं कि हमारी यह योजना बंद होने जा रही है, यह भ्रामक प्रचार भी किया, लेकिन बहुत ही पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के हमारे वर्तमान वित्त मंत्री जी ने मनरेगा जैसी योजना पर, जो आम मजदूरों से जुड़ी हुई थी, गांव के गरीब लोगों से जुड़ी हुई थी, बिना भेदभाव के तत्काल समय में ही बजट में 34699 करोड़ रूपये का प्रारंभिक बजट आवंटित करने का कार्य किया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा, जो विभाग थे, चाहे कोयले का देख लीजिए, चाहे बिजली का देख लीजिए, आज बिजली की समस्या को भी हमारे वित्त मंत्री जी को हल करना था। कोयले की स्थिति यह हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और 214 खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का कार्य किया, यह कह कर कि इसमें अनियमित्ताएं बरती गई हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को उसका सामंजस्य बिठाना था कि कैसे हम बिजली की समस्या को भी दूर करें, कोयले की समस्या को भी दूर करें और पारदर्शी तरीके से उन्होंने नीति बना कर अपने निर्देशन में संबंधित मंत्रालय के लोगों से, संबंधित माननीय माननीय मंत्री जी के साथ बैठ कर वह समस्या भी दूर करने का प्रयास किया कि 214 खदानों में से, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि उनको निरस्त किया जाए, उसमें से अब तक लगभग 30-31 खदानों का ही पारदर्शी तरीके से आबंटन कर के जिसमें सीएजी रिपोर्ट भी एक तरह से कटघरे में खड़ी होती है क्योंकि तात्कालीन सरकार के कारनामों का जो काला चिट्ठा, जिसके बारे में पूरा देश जानता था कि सरकार का सबसे आधिक रेवन्यु का नाश किया गया और जिसको विदेशों में भेजा गया, वे काले धन पर सबसे आधिक शोर मचा रहे हैं और काले धन के रूप घोटाले का पैसा विदेशों में भेजा गया। उसमें पारदर्शी तरीके से

हमारे वित्त मंत्री जी ने संबंधित मंत्रालय के कोयला मंत्री जी के साथ सामंजस्य बिठा कर जो आबंटन किया, सिर्फ उसी में से, लगभग दो लाख करोड़ रूपये से ऊपर रेवन्यु हमारी सरकार को प्राप्त हुए। जबकि सीएजी रिपोर्ट एक लाख हज़ार करोड़ रूपये की ही आई थी और उस पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया, जो कि सरकारी संस्था है कि घोटाले की जो जांच की थी। उसके आधार पर सर्वग्राही बजट पूरे देश को हमारे वित्त मंत्री जी ने देने का कार्य किया है, चाहे वह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत रहा हो, चाहे वह कौशल विकास योजना के अंतर्गत रहा हो, जब हर बेरोज़गार नौजवान का सपना होता है कि अब तक वह केवल कागज की डिग्री लेकर खड़ा होता था और कागज़ की डिग्री के आधार पर उनसे पूछा जाता था कि या तो उनके पास मरिट हो और मेरिट की भी स्थिति आज शिक्षा व्यवस्था में क्या है। हम लोग कहीं न कही गांव से संबंधित हैं, ऐसे-ऐसे सेंटर हैं, जो सीधे-सीधे पूर्व की व्यवस्थाओं में सीधे उस पर एक तरह से ठेका दे देते थे और जो क्वालिटी वाला लड़का था, वह पीछे छूट जाता था। लेकिन कौशल विकास योजना एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना हमारी वर्तमान सरकार द्वारा लायी गई, जिसके आधार पर हम हुनर को योगदान देंगे, हुनर के आधार पर जो भी बेराज़गार नौजवान है, जिके पास काग़ज़ी डिग्री भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी है, अगर उसके अंदर हुनर है, कोई बढ़िया मोबाईल बनाना जानता हो, ग्रामीण महिलाएं डलिया बनाना जनती हों, कोई अचार मुरब्बा बनाना जानती हो, कोई और भी किसी अन्य तकनीक को जानता हो, उसको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने 1600 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में किया है।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस आधार पर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है। गंगा जैसी नदी की साफ-सफाई के लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ गंगा निधि में भी सौ फीसदी कटौती करने का काम किया है, जिसमें इसके तहत स्वच्छ भारत को अनिवासी और निवासी दोनों द्वारा स्वच्छ गंगा निधि में दिए गए कंपनी आधिनियम सन् 2013 और धारा 135 के अनुसार किए गए अंशदान को छोड़ कर आय कर आधिनियम की धारा 80(जी) के तहत सौ फीसदी कटौती की व्यवस्था की बात हमारे माननीय वित्त

मंत्री जी ने की है। आज सबका साथ और सबका विकास का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको हमारे वित्त मंत्री जी साकार करने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं और मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लिमेंट्री ग्रांट्स पर बोलने का जो मौका दिया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यह 40 हज़ार 821 करोड़ रूपये की सप्लिमेंट्री ग्रांट के लिए पार्लियामेंट में लाया गया है और इसमें से 15325 करोड़ रूपये तो तकनीकी है, किसी जगह सेविंग हुई, किसी जगह उस सेविंग को दूसरी जगह खर्च करने की परमिशन है। 25495 करोड़ रूपये की नई मांग है। इसमें जो मुख्य मांग है, वह है फाइनेंस मिनिस्ट्री की बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए 12010 करोड़ रूपये माननीय वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव के हिसाब से लिए हैं। महोदय, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सांसद ने यह कहा है कि बैंकों के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर एन.पी.ए बहुत है और मैंने कल के ही इकॉनमिक्स टाईम्स में पढ़ा है कि 31 मार्च 2016 तक सरकारी बैंकों का जो एन.पी.ए है, वह 4 लाख करोड़ रूपये के करीब हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार के पैसों को कैसे डुबोया जा रहा है। इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। दूसरा जो सबसे ज्यादा इन्होंने मांग की है, वह है शहरी विकास मंत्रालय में एक हज़ार करोड़ रूपये की मांग, जिसमें से 750 करोड़ रूपये तो चेन्नई के मैट्रो के लिए और ढाई सौ करोड़ रूपये बैंगलोर के मैट्रो के लिए हैं। यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आज चेन्नई और बैंगलोर में जो परिवहन की स्थिति है, वह बहुत खराब है, दस किलोमीटर जाने के लिए एक-दो घंटे लग जाते हैं। इसीलिए ढाई सौ करोड़ रूपये जो बैंगलोर मैट्रो के लिए दिए गए, ताकि त्वरित गति से वहां निर्माण हो सके, इसके लिए वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही तीसरा उन्होंने पॉवर मंत्रालय में दिए हैं। पॉवर मंत्रालय के लिए दो हज़ार करोड़ रूपयों की जो एडिशनल डिमांड मांगी है, उसके पीछे तर्क यह है कि जो गैस बेस्ड पॉवर जनरेशन है, उसका यूटिलाइजेशन फुल हो, उनकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन फुल हो, इसके लिए इन्होंने यह धनराशि मांगी है, ताकि आज अपने देश में जो पॉवर की समस्या है और जो इजीली गैस अवेलेबल है उससे पॉवर की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन हो।

इसी तरह 2685 करोड़ रूपये इन्होंने स्वच्छता और पेयजल के लिए एक्सट्रा मांगे हैं। ग्रामीण पेयजल योजना और स्वच्छता योजना, क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे मैं राजस्थान के भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र से आता हूँ वहां करीबन 70 पर्सेंट गांवों में आज भी फ्लोराईड की दिक्कत है और इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत काम किया जाना चाहिए। मैं एक मुख्य बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूँ, सन्

1999 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम टफ्स था, यानि टैक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम थी। और वह इसलिए शुरू की थी, ताकि भारत की टैक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। हमारे भीलवाड़ा में टैक्सटाइल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है और टैक्सटाइल इंडस्ट्री को वहां चीन से कम्पीटीशन करने में दिक्कत आ रही थी तो वहां उस समय यह प्रस्ताव आया कि इस इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इसका अपग्रेडेशन किया जा सकता है तो सरकार ने योजना शुरू की कि नई जो भी मशीनें टैक्सटाइल वाले लगाएंगे, नया कोई भी प्लांट लगाएंगे तो उस पर गवर्नमेंट इण्टरैस्ट के ऊपर सब्सिडी देगी और वह 2017 तक लागू है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लोगों को यह टफ का पैसा नहीं मिल रहा है। वर्ष 2014-15 में इसमें 2300 करोड़ का बजट सरकार ने सैंक्शन किया था, लेकिन डिस्बर्स केवल 1864 करोड़ रुपये ही किया गया, जबकि लोगों को, इस उद्योग को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि टफ अटकी हुई है। मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह है कि यह फंड जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाये। ऐसे ही जो निर्यातक हैं, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर जो ऋण है, उसकी सब्सिडी भी जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाये।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री, कॉरपोरेट कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, पहले पूरक अनुदान पर बहस हो चुकी है और कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी बात रखी है। यह हम सभी के लिए और मेरे लिए अफसोस की बात है कि हमारे कुछ सहयोगी यहां नहीं हैं क्योंकि यह एक ऐसा अवसर है जहां भारत की लगभग हर विचारधारा और हर इंच का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इन बहसों में लोकप्रिय चिंताओं को उठाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सहयोगियों द्वारा एक ऐसा पर्यावरण बनाया जाएगा जिसमें वे कई विषयों पर आगे की चर्चाओं में भाग लेने के लिए वापस आ जाएंगे।

इसलिए, जब हम पूरक अनुदान पर चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत से माननीय सदस्यों ने सामान्य आर्थिक स्थितियों पर बात की है। पूरी दुनिया में मंदी है और आम तौर पर यह माना जाता है कि इस साल वैश्विक विकास 2 प्रतिशत से थोड़ा अधिक होगा; लगभग 2.4 प्रतिशत वह आंकड़ा है जिसकी अब बात की जा रही है। दुनिया में कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं जो चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही हैं, जैसा कि महताब जी ने अभी उल्लेख किया है कि चीन जैसी उच्च विकास अर्थव्यवस्था जो पिछले तीन दशकों से लगभग 9 प्रतिशत से अधिक के औसत से बढ़ी है, उनका 'न्यू नॉर्मल' अब 7 प्रतिशत या उससे भी कम है।

इस वैश्विक पर्यावरण में जहां वैश्विक हवाएं बहुत अनुकूल नहीं हैं और पिछले कुछ वर्षों में विकास की हवा नहीं देखी गई है, वास्तव में जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध है हम एक उचित निचले गड्ढे में आ गए थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रही है। यह हममें से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हम विकास दर को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में सहयोग करें।

इस समग्र वैश्विक मंदी में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ उज्ज्वल स्थानों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष हमने 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। इस वर्ष हम 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। स्पष्ट है कि, जब हम अधिक विकास दर से बढ़ते हैं, तो राजस्व में भी उछाल

आता है। चालू वर्ष के पहले कुछ महीनों में कुछ हरे अंकुर दिखाई देते हैं। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, उन हरित अंकुरों में से एक अप्रत्यक्ष राजस्व के क्षेत्र में है। हालांकि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में कुछ अतिरिक्त राजस्व उपाय किए गए हैं, हमने वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट का उपयोग कुछ उपकर लगाने के लिए किया है जिसे बुनियादी ढांचे के विकास, ग्रामीण सड़कों, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

ऑटो सेक्टर और उपभोग्य टिकाऊ वस्तुओं को पिछले साल दी गई उत्पाद शुल्क छूट को वापस ले लिया गया है। स्वच्छ ऊर्जा उपकर है, लेकिन पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष करों में 37 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अगर हम अतिरिक्त राजस्व उपायों को भी हटा देते हैं तो भी वृद्धि अभी भी लगभग 14 प्रतिशत है, जो जी.डी.पी. दरों में वृद्धि का भी संकेत है जो बदले में बड़े राजस्व उछाल की ओर ले जाता है। इसने अपने आप में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ हम अधिक खर्च करने की स्थिति में हैं। पहली तिमाही में, पूंजीगत व्यय में लगभग 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस वर्ष बुनियादी ढांचे पर हमारा निवेश लगभग 70,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त होने जा रहा है।

अब एक त्रुटि यह है कि जब हम इस वर्ष के अनुदान की तुलना राज्यों और विभिन्न विभागों से करते हैं और पिछले वर्ष की तुलना करते हैं, तो पिछले तीन वर्षों में एक बहुत ही दिलचस्प लेखा प्रणाली थी। बजटीय अनुमानों में उच्च धनराशि प्रदान की गई थी, अवास्तविक अनुमान दिए गए थे और वर्ष के अंत में, बड़ी मात्रा में कटौती होती थी। उन बड़ी मात्रा में कटौती के परिणामस्वरूप, जब अंतिम राजस्व आता था – बजट अनुमानों के मुकाबले संशोधित अनुमान–अंतर बहुत बड़ा था। इसलिए, जब सदस्य इस वर्ष स्वीकृत धनराशि की तुलना करते हैं, तो कृपया इसकी तुलना पिछले तीन वर्षों में खर्च की गई धनराशि से करें। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि राज्यों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई और सकल कर में केंद्र की हिस्सेदारी 68 प्रतिशत से घटकर 58 प्रतिशत हो गई, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है जैसा कि मैंने बजट और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस वर्ष बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच अंतर जैसा कि पहले था, वैसा नहीं है। यदि संशोधित अनुमान बजट अनुमानों

से थोड़े बेहतर हो सकते हैं। यही कारण है कि जहां तक संशोधित अनुमानों का संबंध है, अतिरिक्त धनराशि खर्च की जा रही है।

उदाहरण के लिए, महताबजी ने ओडिशा का उदाहरण दिया। मैं सिर्फ एक उदाहरण लूंगा। यदि आप 14वें वित्त आयोग के तहत ओडिशा को पांच वर्षों के लिए जो कुछ भी मिलने जा रहा है, उसे लेते हैं तो आप उन आठ योजनाओं की धनराशि को बाहर कर सकते हैं–कुछ योजनाओं को हम कुल मिलाकर वित्त पोषण कर रहे हैं और कुछ योजनाएं 50:50 नहीं होने जा रही हैं जैसा कि आपने कहा था। यह एक प्रारंभिक सुझाव था। यह नीति आयोग के भीतर काम करने वाली मुख्यमंत्रियों की समिति है जो अब हिस्सेदारी प्रतिशत तय करने जा रही है। इसलिए यदि आप उन कटौती में से कुछ के लिए खाते हैं और यदि आप तुलना करते हैं कि ओडिशा को 13वें वित्त आयोग के तहत क्या मिला और 14वें वित्त आयोग के तहत ओडिशा को क्या मिलेगा, तो हमारा वर्तमान अनुमान है कि 13वें वित्त आयोग के तहत, कुल मिलाकर पांच वर्षों के लिए ओडिशा को 68119 करोड़ रुपये मिले। आप उन योजनाओं की कटौती भी इसमें ले सकते हैं। 14वें वित्त आयोग में आपको क्या मिलेगा? एक यह है कि राजस्व बढ़ाया गया है और मैं किसी भी खनिज या किसी अन्य अतिरिक्त धनराशि को ध्यान में नहीं रख रहा हूं जो ओडिशा को मिलेगी। साझेदारी के पैटर्न में सुधार और राजस्व में सुधार से, 68119 करोड़ रुपये 14वें वित्त आयोग के लिए 1,80,796 करोड़ रुपये होने जा रहे हैं। इसलिए, ओडिशा जैसे राज्य में वृद्धि असाधारण रूप से बड़ी होने जा रही है और अगर मेरे कुछ सहयोगी जो आज उपस्थित नहींवे वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन की अनुमति देते हैं, ओडिशा एक उपभोक्ता राज्य होने के नाते इसका अपना कराधान राजस्व जो आपने कहा था कि कुछ घरेलू कारणों से घट रहा है, वह भी बढ़ने जा रहा है।

यदि कुछ राज्यों को जी.एस.टी. से लाभ होने जा रहा है, तो यह उपभोक्ता राज्य हैं जो सबसे अधिक लाभान्वित होने जा रहे हैं और ओडिशा निश्चित रूप से एक लाभार्थी होगा। इसलिए, अगर देश के पूर्वी हिस्से को लाभ पहुंचाना है, तो यह उन कारकों में से एक होने जा रहा है जो उपाय किए जा रहे हैं और पर्यावरण जो जीएसटी स्वयं बनाने में सक्षम होगा।

माननीय सदस्यों में से एक ने उल्लेख किया कि, प्रत्येक सांसद के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसलिए हम पूंजीगत व्यय में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 14,391 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस वर्ष मैंने 14,291 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं और मैं पूरक अनुदान 1000 करोड़ रुपये और जोड़ रहा हूं। यह केवल पहला पूरक है। दूसरे पूरक के समय अगर राजस्व बढ़ता है, अगर धनराशि जोड़नी है, तो यह एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली है, हम कोशिश करेंगे और अधिक जोड़ेंगे। अगर वित्तीय संस्थाओं से कुछ अतिरिक्त उपलब्ध हो, तो मैं इसे व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन पहले चार महीनों में ही, पिछले वर्षों में खर्च नहीं की गई धनराशि की तुलना में, हम पहले ही 45 प्रतिशत धनराशि खर्च कर चुके हैं। इसलिए, हमें उस समय की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जब दूसरा पूरक अनुदान सामने आता है कि यह पूरी धनराशि खर्च की जाती है और एक विचार यह है कि हम ऐसे समय में चाहते हैं जब निजी क्षेत्र का निवेश कुछ धीमा हो। यह सार्वजनिक निवेश है जिसे बढ़ाना होगा। इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, लगभग 75 राष्ट्रीय राजमार्ग ठप थे।

सदस्यों ने उच्च एन.पी.ए. के बारे में बात की है। एनपीएज बहुत ज्यादा हैं, जो आखिरी वक्ता बोले, उन्होंने इसका जिक्र किया, लगभग चार लाख करोड़ का। ये एनपीएज कैसे बने, ये एनपीएज किन क्षेत्रों के हैं? ये सबसे आधिक स्टील इंडस्ट्री के हैं। महताब जी ने उसका जिक्र किया। स्टील उद्योग की समस्या वही है जो आपने कही कि विदेशों से आना वाला स्टील सस्ता पड़ रहा है, जो भारत में स्टील बन रहा है उसकी तुलना में। इसलिए किसी स्टील की जिसकी डम्पिंग हो रही थी, एंटी डम्पिंग लगाई है, कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ायी है, कई और प्रस्ताव भी सरकार के पास हैं और हमें प्रयास करना है कि जो हमारे देश के भीतर स्टील बनता है, वह सारा बिके और उसी से स्टील के एनपीएज कम होंगे। स्टील बढ़े, उसकी खपत इस देश में हो, अगर देश के अन्दर आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तभी स्टील का उपयोग होगा और उस स्टील का दुनिया के बाजार की तुलना में दाम भी कंपटीटिव होना चाहिए।

दूसरा था नेशनल हाइवे। लगभग 75 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद थे क्योंकि अप्रतिस्पर्धी दरों का हवाला दिया जा रहा था। इसके बाद ठेकेदारों के साथ विवाद पैदा हो गया। विवादों को हल करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला और एक के बाद एक परियोजनाओं के लिए निविदाएं दी गईं, तो एक भी व्यक्ति उनके लिए बोली लगाने के लिए नहीं बचा था। यह राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति है। इसलिए, हमने बजटीय धन का उपयोग किया और राष्ट्रीय राजमार्गों को रिकॉर्ड धनराशि की मदद दी और उस धन का उपयोग अब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शुरू होने के बाद ही निजी क्षेत्र भी, इसमें भाग लेना शुरू कर देगा। तो, यह दूसरा क्षेत्र है जहाँ एन.पी.ए. बनाए गए हैं।

तीसरा क्षेत्र जहां एन.पी.ए. बनाए गए हैं, वह बिजली क्षेत्र है। अब, क्रोनी पूंजीवाद की उप सरकार के तहत यह एक बहुत ही विशिष्ट मामला था। सभी ने कोयला खदानों को लूटने का फैसला किया। हम जानते हैं कि क्या हुआ। आपने अधिशेष क्षमताएँ सृजित कीं और औद्योगिक विकास धीमा था और उस बिजली के लिए कोई खरीदार नहीं था। इसलिए, आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां भारत में अधिशेष बिजली है और जिन बिजली कंपनियों ने उन सभी अनुबंधों को लिया है वे उस बिजली को बेचने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को यह भी महसूस करना होगा कि, एन.पी.ए. का, चौथा अंशदाता राज्य सरकारों की वितरण कंपनियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको एक या दो रुपये प्रति यूनिट का नुकसान होने वाला है, तो आप इसका वित्तपोषण कैसे करेंगे? या तो आप सभी लोगों पर और कर दाताओं से आपके द्वारा वित्तपोषित धन पर कर लगाते हैं, या आप बैंकों से ऋण लेते हैं और इसे वित्तपोषित करते हैं।

जिन राज्य सरकारों ने बिजली की लागत भी नहीं लेने का फैसला किया है, उन्हें अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनकी वितरण कंपनियों की हालत खराब है। कल अगर बैंक उन्हें समर्थन देना बंद कर देते हैं तो उन्हें बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहानी का सबक यह है कि उपयोगकर्ताओं को उन सेवाओं के लिए भुगतान करना चाहिए जो वे प्राप्त करते हैं और यदि राज्य सरकारें उपयोगकर्ताओं से भुगतान नहीं करती हैं और सोचती हैं कि यह बैंक हैं जो उनका समर्थन करेंगे, तो कुछ स्तर पर बैंकों को एनपीए का सामना करना पड़ेगा। बैंक अब व्यवसायों को ऋण देने की स्थिति में नहीं रहेंगे और इसलिए अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होगा। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ एन.पी.ए. बनाए जा रहे हैं। इसलिए, कुछ कारक बाहरी हैं जिन्हें हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। राजमार्गों जैसे कुछ पूरी तरह

से आंतरिक थे, बिजली क्षेत्र जैसे कुछ पूरी तरह से आंतरिक थे। इस्पात को कई बाहरी कारकों के कारण नुकसान हुआ है जिन्हें हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे-धीरे, मुझे लगता है, हम उनमें से अधिकांश को हल करने की स्थिति में होंगे। इसलिए, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की जरूरत है।

हमें विरासत में एक ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जहां बैंकों का एन.पी.ए. 6 प्रतिशत था जो एक अस्वीकार्य आंकड़ा है। एक और 6 प्रतिशत की दबाव वाली परिसंपत्ति थी। उन दबावग्रस्त परिसंपत्तियों में कुछ छिपे हुए एन.पी.ए. हो सकते हैं। इसलिए, लंबे समय के बाद हमने बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने का निर्णय लिया है। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि हम वास्तव में, सरल भाषा में, करदाताओं के धन का उपयोग करके इसे बैंकिंग प्रणाली में डाल रहे हैं ताकि जो बैंक कुछ राज्य सरकारों की नीतियों या उन स्थितियों के कारण पीड़ित हैं जिनके तहत कुछ उद्योग तनाव में हैं, इसलिए करदाता को वास्तव में उन्हें पूरक करना पड़ रहा है। इस चालू वर्ष में हम बैंकों में 25,000 करोड़ रुपये डाल रहे हैं; अगले वर्ष और 25,000 करोड़ रुपये; उसके बाद 10,000 करोड़ रुपये और दो वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये जो 70,000 करोड़ रुपये आते हैं। इसके बाद हम अतिरिक्त पूंजी जारी करेंगे और बाजार से 1,10,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे और बैंकों को 1,80,000 करोड़ रुपये की सीमा तक पुनर्पूंजीकरण करेंगे। यही वह समय होगा जब प्रारंभिक पूंजी वाले बैंक फिर से एक स्वस्थ स्थिति में आ जाएंगे, ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के वित्तपोषण का बोझ उठाने की स्थिति में हों।

एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रुकी हुई परियोजनाएं थीं। लाखों करोड़ रुपये की परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। रेलवे क्षेत्र में, राजमार्ग क्षेत्रों में परियोजनाएं रुकी हुई थीं। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक में हमने अब बहुत पैसा लगाया है। प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से रुकी हुई परियोजनाओं में सुधार की निगरानी कर रहे हैं और कई शुरू हो गई हैं और इसलिए, एक बार जब वे शुरू हो जाएंगी तो आपके पास अतिरिक्त मात्रा में गतिविधि होगी जो बनाई जाएगी और वे रुकी हुई परियोजनाएं खुद ही शुरू हो जाएंगी। यदि निश्चित रूप से, मेरे जो मित्र आज उपस्थित नहीं, वे जी.एस.टी. को लागू करने की अनुमति देते हैं, एक प्रस्ताव जिसे पहली बार यू.पी.ए. सरकार ने 2006 में पेश किया था और लगातार उनके द्वारा समर्थित किया गया था, तो आपके पास देश में एक समान कराधान

व्यवस्था होगी। आपके पास कराधान का उचित आधार होगा। भारत अपने आप में एक बाजार होगा। इसका परिणाम यह होगा कि यह अर्थव्यवस्था को एक से दो प्रतिशत के बीच बढ़ावा देने में सक्षम है। अगर हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हम इस साल एक प्रतिकूल वैश्विक स्थिति में हैं, अगर हम 8 प्रतिशत की विकास दर को छू सकते हैं, या हम 8 प्रतिशत की विकास दर को छूने की आकांक्षा कर सकते हैं, अगर इन आर्थिक उपायों की अनुमति दी जाती है, रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है, जी.एस.टी लागू किया जाता है, बैंकों को पुनर्पूंजीकरण किया जाता है, बुनियादी ढांचे के खर्च में सुधार होता है और फिर हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जिसका उल्लेख श्री महताब ने किया है कि अर्थव्यवस्था चीन की तरह है जो धीमा हो गया है और अन्य कारणों में से एक जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया है कि उनके वेतन बिल बढ़ गए हैं। इसलिए, उनके उत्पाद जो आपने पूरी दुनिया में `मेड इन चाइना' के रूप में देखे थे अब थोड़े महंगे होने जा रहे हैं।

यही कारण है कि उनकी अर्थव्यवस्था भी अब एक अलग तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। तो यह हमारे लिए एक विनिर्माण केंद्र भी बनना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो ही भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता हासिल कर पाएगी। इस वर्ष, सौभाग्य से कुछ इलाकों और मराठवाड़ा, रायलसीमा और उत्तरी कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में बाढ़ के बावजूद, जहां अभी भी सूखा है, उसको लेकरहम अभी भी शंका में जी रहे हैं। लेकिन, कुल मिलाकर, वर्षा देवताओं ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमारे लिए पर्याप्त कृपा की है। इसलिए, हम अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए, यदि सभी संभावनाओं में कृषि विकास बढ़ता है, यदि सेवा क्षेत्र उचित रूप से अच्छा कर रहा है, यदि हम बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं, एक तर्कसंगत कराधान आधार दोनों अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कराधान, सिंचाई पर बहुत अधिक खर्च करते हैं, तो हम अधिक खर्च कर सकते हैं। प्रधान मंत्री सिंचाई योजना जो अभी चंदूमाजरा जी ने कहा, 50 हजार करोड़ रुपये हम केवल प्रधान मंत्री सिंचाई योजना पर डालने वाले हैं। इस देश में जितने ड्राई पॉकेट्स हैं, जो केवल बरसात के ऊपर निर्भर करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का अपने आप में एक प्रयास है और हम वह एफर्ट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : यही हम कहते हैं कि जहां ड्राई एरिया है, उसे डैवलप कर रहे हैं, जो पहले डैवलप हुए हैं जैसे पंजाब...(व्यवधान)

श्री अरुण जेटली : ये ठीक विषय उठा रहे हैं कि पंजाब में बहुत समय से कैनाल इरीगेशन है। कैनाल इरीगेशन के ऊपर इतने सालों से इतना दबाव पड़ा हुआ है कि उसकी क्षमता, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्वैस्टमैंट नहीं हुआ। उसमें इन्वैस्टमैंट हो, यह हमारे एजैंडा में प्राथमिकता से है। पंजाब में नहर सिंचाई की क्षमता, इसकी वृद्धावस्था और उपयोग के कारण, अपने आप में थोड़ी कम हो गई है। इसलिए, इसे बढ़ाना हमारे हित में है। पंजाब भारत का खाद्यान्न का कटोरा है। उसे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, इसमें कोई दो मत नहीं हैं।

[अनुवाद]

जहाँ तक हमारी अर्थव्यवस्था का संबंध है, बाहरी कारक भी उचित हैं। हमारे पास रिकॉर्ड विदेशी मुद्रा जमा है। इस वर्ष के पहले कुछ महीनों में, एफ.डी.आई. में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारा चालू खाता घाटा नियंत्रण में है। इसलिए, हम बहुत अधिक पैसा खर्च करने की स्थिति में हैं। इस सरकार ने सामाजिक क्षेत्र की जो योजनाएं शुरू की हैं, उन्हें जबरदस्त सफलता मिली है। हमने सबसे पहले जन धन योजना शुरू की। अब, हम लगभग 165 करोड़ लोगों को, बैंकिंग प्रणाली के भीतर ला रहे हैं, जो बैंकिंग प्रणाली से दूर थे। दुर्घटना बीमा के माध्यम से, हम कुछ ही हफ्तों में 110 लाख लोगों को इसमें शामिल करते हैं। जीवन बीमा, पेंशन योजनाएं हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इसी रास्ते पर इस सरकार ने अतिरिक्त संसाधन बढ़ाए हैं। हम इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पर काम करना जारी रखेंगे।

जहां तक राज्यों का सवाल है, किसी भी राज्य को इससे कम धनराशि नहीं मिलने वाली है। प्रत्येक राज्य का अपना मुद्दा है। माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश राज्य की चिंताओं को उठाया क्योंकि राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश को नुकसान हुआ है क्योंकि हैदराबाद एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह भारत का गौरवशाली शहर है। आंध्र प्रदेश अपने राजस्व से वंचित है। इसलिए, जहां तक केंद्र का संबंध है, पहले ही वर्ष में जब हमारे ऊपर राजस्व का दबाव है, हम आंध्र प्रदेश की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसने जो

कुछ भी खोया है वह उसे ढक सके। धीरे-धीरे प्रत्येक क्षेत्र में, साल दर साल, राजस्व घाटा, अतिरिक्त राजस्व, विशेष उपाय जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, उनमें से प्रत्येक हमारे एजेंडे में है। हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं। जहां तक राज्य का संबंध है चाहे वह पूंजी हो या राजस्व घाटा, हम राज्य को जो भी उपाय कर सकते हैं उनका समर्थन करना जारी रखेंगे, ताकि उद्योग भी राज्य में आ सकें। आंध्र प्रदेश, जिसे अपने स्वयं के राजस्व में कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, उसे क्षतिपूर्ति से अधिक धनराशि दी गई है। आपकी अपेक्षाएँ क्या हैं, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर आठ या नौ प्रतिशत की वृद्धि करने में सक्षम हैं, तो राजस्व को अंततः राज्य को भी देना होगा। जहां तक हमारे विकास का सवाल है, आंध्र प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। मैंने पहले ही एक सूची दे दी है। कुछ सदस्यों ने पिछली बार यह मुद्दा उठाया था कि जहां तक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का संबंध है, कुछ कटौती की गई थी। राज्यों को जाने वाले बहुत सारे अतिरिक्त राजस्व का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना है, लेकिन हम उन क्षेत्रों में से प्रत्येक की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, पूरक अनुदान के पहले सेट में भी हमने उन राशियों के लिए प्रावधान किया है। उम्मीद है, दूसरे सेट में, हम अधिक प्रदान करने में सक्षम होंगे।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं माननीय सभा से पूरक अनुदान और विनियोग विधेयक को मंजूरी देने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बजट और सप्लीमेंटरी मांग पिछले तीन-चार सालों में जितनी बार भी आया है उसमें हम लोग एयर इंडिया के लिए इक्विटी का इन्फ्जन कर रहे हैं, इस बार भी हमने 800 करोड़ रुपये दिए हैं। इसके बावजूद एयर इंडिया का स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा है, अभी भी 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान है। एयर इंडिया का जो प्रोफिट है, वह बैंकों को इंट्रेस्ट चुकाने में ही चला जा रहा है, उधर बैंकों की भी हालत खराब है, बैंकों का एन.पी.ए हो रहा है। क्या वित्त मंत्रालय या भारत सरकार यह सोच रही है कि कैपिटल इन्फ्यूजन के बदले लोन

को इक्विटी में कन्वर्ट करें और एयर इंडिया को एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह चलाएं जिससे टैक्स पेयर का पैसा बच सके।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): हम सभी ने माननीय वित्त मंत्री जी का वाक्पटु भाषण सुना। मैं उन मांगों से गुजर रहा था कि हम अब मतदान करने जा रहे हैं। पेयजल, स्वच्छता–2,685 करोड़ रुपये; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय–47 करोड़ रुपये प्लस 1,153 करोड़ रुपये, लगभग 2,000 करोड़ रुपये; बिजली मंत्रालय–2,000 करोड़ रुपये; ग्रामीण विकास मंत्रालय–1,000 करोड़ रुपये; शहरी विकास मंत्रालय – 2,000 करोड़ रुपये (.1,000 रुपये से अधिक 1,000 करोड़ रुपये) लेकिन वित्त मंत्री जी जिस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं, वह सूचना और प्रसारण और वित्तीय सेवा मंत्रालय है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 11,116 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं। अगर माननीय वित्त मंत्री जी हमें 11,116 करोड़ रुपये के बारे में बताते हैं तो हम सभी शिक्षित होंगे जो कि बहुत बड़ी धनराशि है। यह पूरक बजट में क्यों और किस उद्देश्य से आया है? वित्तीय सेवाएँ, कोई भी समझ सकता है। पूंजीगत खाते में 12,221 करोड़ रुपये और अन्य 5,00 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा जा रहा है। इसे समझाने की जरूरत है। मैं सवाल नहीं कर रहा हूं।

हमने अपने राज्य की ओर से भुवनेश्वर में मुद्रा बैंक की स्थापना के बारे में अनुरोध किया था।

श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोजपुर) : डिप्टी स्पीकर, मंत्री जी ग्रांट दे रहे हैं अच्छी बात है लेकिन एस.सी कैटेगरी स्टुडेंट की स्कॉलरशिप पिछले दो-तीन सालों से नहीं मिली है। अब जो नए एडमिशन होने जा रहे हैं उनमें इन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर इन बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो हजारों-लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। मंत्री साहब से निवेदन है कि पिछले सालों की स्कॉलरशिप को जल्द रिलीज कर दें ताकि कॉलेजों में स्टुडेंट्स को एडमिशन लेने में कोई दिक्कत न हो।

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): मैं वित्त मंत्री जी को आंध्र प्रदेश के बारे में आज जो आश्वासन दिया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज हम जिस स्थिति में हैं, उसमें आंध्र प्रदेश के लोगों या

आंध्र प्रदेश सरकार की कोई गलती नहीं है। यह पिछली केंद्र सरकार में बनाई गई नीतियों और विभाजन के खराब निष्पादन के कारण है। हमारे सामने यही विकल्प है। क्या हम आंध्र प्रदेश को वित्तीय बास्केट का मामला बने रहने देना चाहते हैं? यहां तक कि 14वें वित्त आयोग ने भी दिखाया है कि आंध्र प्रदेश एकमात्र बड़ा राज्य है, जो पांच साल बाद भी वित्तीय घाटे में है। लेकिन अगर हम आंध्र प्रदेश में निवेश कर सकते हैं, तो हम, एक बार फिर, देश का विकास केंद्र बन सकते हैं। इसलिए, कृपया विशेष श्रेणी के लिए हमारे अनुरोध पर विचार करें और कृपया हमें आश्वासन के साथ समयसीमा प्रदान करें। धन्यवाद।

श्रीमती कविता कल्वाकुंतला (निजामाबाद): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय,माननीय वित्त मंत्री बैंकों के लिए पूंजी निवेश का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या वह इसे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समान रूप से वितरित करने जा रहे हैं अथवा कोई अंतर है या कोई ग्रेडिंग है? यह एक प्रश्न है जो मैं पूछना चाहूंगी।

मेरा दूसरा प्रश्न एम.पी.एल.ए.डी. कोष के बारे में है। इस सभा में हर कोई एम.पी.एल.ए.डी. कोष में वृद्धि को लेकर बहुत चिंतित है। क्या ऐसा करने की कोई संभावना है?

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे लगता है कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे क्योंकि अधिकांश सदस्य इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं एम.पी.एल.ए.डी. योजना समिति का अध्यक्ष भी हूं। मैंने आपको कई पत्र भेजे हैं। मुझे लगता है कि आप इस पर विचार कर सकते हैं क्योंकि यह यहां के अधिकांश माननीय सदस्यों की मांग है। मंत्री जी मंचके अधिकांश सदस्य भी बहुत उत्सुक हैं और इस मांग का समर्थन कर रहे हैं।

श्री अरूण जेटली: अंतिम बिंदु पर सबसे पहले, माननीय सदस्य ने सभा में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मुझे घेरने के अवसर का उपयोग किया है। मैं निश्चित रूप से इस पर गौर करूंगा क्योंकि वित्त की सीमाएं हैं। लेकिन यह भी एक सफल योजना है। हम निश्चित रूप से इस विषय पर गौर करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष :केंद्र की सभी योजनाओं के लिए आप राज्य सरकारों को वित्त दे रहे हैं। इसका ध्यान एम.पी.एल.ए.डी. योजना के माध्यम से भी रखा जा सकता है। यह किया जा सकता है।

श्री अरूण जेटली: जहां तक बैंकों में पूंजी डालने का सवाल है, वित्तीय सेवा विभाग इस पूरी राशि को बजट से उन बैंकों के बीच विभाजित करने जा रहा है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और उन बैंकों के बीच भी जो काम कर रहे हैं। इसलिए, हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं कि प्रदर्शन करने वालों के साथ भेदभाव किया जाए क्योंकि अतिरिक्त पूंजी का मतलब है, वे इस पैसे का 10 या 11 गुना लाभ उठाने में सक्षम होंगे ताकि उन लोगों को दिया जा सके जिन्हें भारत के औद्योगीकरण और विकास के लिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए, कलाकारों की क्षमता को भी और बढ़ाना होगा और जो कुछ संकट की स्थिति में हैं उनकी भी मदद करनी होगी।

इसलिए, एक प्रणाली है जिसे उन्होंने दोनों श्रेणियों के बीच इस धनराशि को विभाजित करने के लिए तैयार किया है।

जहां तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सवाल है जिसके बारे में श्री महताब ने पूछा है, इसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ा जा रहा है। वह सोचते हैं कि मेरी स्थिति का संघर्षहै कि मैं एक मंत्रालय का पक्ष ले रहा हूं। अतीत में, प्रसार भारती में बड़े रोजगार के कारण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा था और इसलिए यह पिछले नुकसान को बट्टे खाते में डालने के मामले में केवल एक तकनीकी पूरक है। इसलिए, कुछ भी नया शामिल नहीं किया जा रहा है और केवल कई विभागों में पिछले नुकसान को बट्टे खाते में डाला जा रहा है।

जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, जैसा कि आप जानते हैं, पहले से ही एक योजना है जिसे लागू किया जा रहा है। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी ने माननीय की टिप्पणियों को सुना होगा। सदस्य। वह निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे।

जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस बात की पूरी तरह से सराहना करता हूं कि बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे पांच वर्षों के लिए विशेष सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि राज्य के विभाजन ने इसे राजस्व की कमी वाला राज्य बना दिया है और यह एक देश के रूप में, आंध्र प्रदेश के प्रति हमारी एक गंभीर प्रतिबद्धता है क्योंकि जहां तक भारत का संबंध है, यह प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। इसकी राजधानी स्थापित की जा रही है, सचिवालय स्थापित किया जाना है, उच्च न्यायालय स्थापित किया जाना है, राजभवन बनाया जाना है, मंत्रियों के आवास बनाए जाने हैं, और एक नया शहर बनाया जाना है। पूंजी के लिए, विभिन्न प्रकार के उपाय हैं जो हमने किए हैं। वित्त आयोग ने स्वयं अतिरिक्त राजस्व अनुदान का सुझाव दिया। दुर्भाग्य से अब जो हुआ वह यह है कि पहले हमारे पास विशेष श्रेणी राज्य की संकल्पना हुआ करती थी। वित्त आयोग ने कहा कि अब आपके पास वह श्रेणी नहीं हो सकती। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में,नीति आयोग में मुख्यमंत्रियों की समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। लेकिन जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, उस विवाद का चाहे जो भी हो, इन सभी परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश को मुआवजा देने के संदर्भ

में कुछ विशेष सहायता–चाहे वे जल परियोजनाएं हों या राजस्व की कमी हो या राजधानी शहर परियोजना हो, ताकि राज्य का विकास हो और जहां तक केंद्रीय संसाधनों का संबंध है, वह पूंजी दी जाएगी। मैं आंध्र प्रदेश के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां तक आंध्र प्रदेश का संबंध है, हमें अभाव में नहीं पाया जाएगा।

इसी तरह, अन्य राज्य जिनकी कुछ विशेष लक्षणहैं, जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है – देश तभी बढ़ता है जब राज्य बढ़ते हैं– अगर भारत सरकार का राजस्व बढ़ता है, तो हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक राज्य को उ नकी विशेष जरूरतों के संबंध में मदद की जाए। जहां तक किसी भी राज्य का संबंध है, हम निश्चित रूप से भेदभाव नहीं करेंगे।

जहां तक मुद्रा बैंक का सवाल है, मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा कि मुख्यालय कहां स्थापित किया जाना है। … (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: भुवनेश्वर को मुख्यालय बनाएँ।

श्री अरुण जेटली: मैं निश्चित रूप से श्री महताब के अनुरोध पर विचार करूंगा क्योंकि, यह अभी तक, केवल एक योजना है। इस योजना को बैंक में बदलना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद, हम निश्चित रूप से इन कारकों को ध्यान में रखेंगे। यह एक ऐसा बैंक है जिसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। योजना ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है और यह बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अब सदन के मतदान के लिए वर्ष 2015-2016 के लिए अनुदान के लिए पूरक मांगों– प्रथम बैच (सामान्य) को रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि आदेश पत्र के तीसरे कॉलम में दर्शाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को, 31 मार्च, 2016, को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के क्रम में आने वाले प्रभारों का भुगतान करने के लिए, मांग संख्या 1 से 10, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 33 से 35, 40, 47, 48, 50, 53 से 56, 58 से 61, 64, 66, 68 ,69, 71,75 से 77, 83, 84, 89, 91, 96, 97, 99, 101, 103 से 105 और 107 से 109 के संबंध में प्रदान की जाएं। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : 2015-2016 के लिए अनुदान की अनुपूरक माँगें(सामान्य) पारित की जाती हैं।

<u>अपराह्न 4.42 बजे</u>

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक,2015**

माननीय उपाध्यक्ष : अब, हम मद संख्या 19ए. पर विचार करेंगे – माननीय वित्त मंत्री जी।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): मैं वित्तीय वर्ष 2015-16 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और उससे बाहर कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

** भारत के राजपत्र के, भाग-II, खंड-2, दिनांक 05.08.2015 में प्रकाशित

"यह अनुमति वित्त वर्ष 2015-16 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए एक विधेयक पेश करने के लिए दी जाएगी। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अरुण जेटली: मैं बिल*** पेश करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : अब, मद सं. 19बी– माननीय वित्त मंत्री।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्त वर्ष 2015-16, की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और उससे बाहर कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। "

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि वित्त वर्ष 2015-16, की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और उससे बाहर कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार करेगा।

प्रश्न यह है:

*** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

" वे खंड 2 और 3 बिल का हिस्सा हैं। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र औरविधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

यह विधेयक पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

यह विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.45 बजे

दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 – जारी है

(राज्य सभा द्वारा यथा पारित)

माननीय उपाध्यक्ष :अब, हम मद सं. 20– दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार करेंगे।

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, शाम 5.30 बजे, हमें कैबिनेट की बैठक मिली है।

माननीय उपाध्यक्ष :उससे पहले हम इसे खत्म कर देंगे; चिंता मत करो। शाम 5.30 बजे से पहले, हम इसे खत्म कर देंगे। श्री नटर्जीअपना भाषण फिर से शुरू करेंगे।

श्री जे.जे.टी. नटर्जी (थूथुकुडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महोदय, आम तौर पर 20 लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य के दीवानी मुकदमे दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इससे दिल्ली उच्च न्यायालय पर काम का बोझ काफी बढ़ रहा है। न्याय की मांग करने वाले गरीब लोगों को हर बार बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। चूंकि यह विधेयक वित्तीय क्षेत्राधिकारको बढ़ाने की मांग करता है, इसलिए इससे उन्हें बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी।

वास्तव में, दिल्ली बार एसोसिएशन ने अपनी समन्वय समिति के माध्यम से मूल्य को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक करने का अनुरोध किया। इस विधेयक के पारित होने के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के वित्तीय क्षेत्राधिकारमें वहां निपटाए जाने वाले मामलों के मूल्य में वृद्धि होगी। कम मूल्य से संबंधित मामलों को अब से जिला न्यायालयों और नगर सिविल न्यायालयों द्वारा संभाला जाएगा। अब वे 5 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक के मामलों को संभालेंगे। सरकार अधिवक्ताओं और दीवानी मामलों में मुकदमेबाजी का सहारा लेने वालों दोनों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आई है।

तमिलनाडु में, हमारे गतिशील नेता माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में, न्यायपालिका को हमारी तमिलनाडु सरकार से उचित समर्थन मिल रहा है। चाहे वह बुनियादी सुविधा प्रदान करना हो या न्याय के प्रशासन के लिए ठीक से भर्ती किए गए पीठासीन अधिकारियों को प्रदान करना हो, तमिलनाडु बहुत आगे है। यह सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा की पहल के कारण है।

वर्ष 2015-16 में, हमारे राज्य के बजट में न्यायपालिका के लिए 809.70 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। हम गर्व से घोषणा कर सकते हैं कि 162 सिविल न्यायाधीशों की भर्ती पूरी की जा रही है। माननीय अम्मा के हाथों से न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। हमने वर्ष 2012 और 2013 में 178 सिविल न्यायाधीशों की भर्ती भी की है।

हमारी सरकार ने 170 नई अदालतों का गठन किया है। इनमें से 65 भूमि अधिग्रहण और मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति से संबंधित हैं, जिन्हें विशेष न्यायालयों के रूप में स्थापित किया जा रहा है। स्थापित की जाने

वाली नई अदालतों में 46 परिवार और महिला अदालतें, 226न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालतें और मुन्सिफ अदालतें सम्मिलितहोंगी। हमारी सरकार ने वर्तमान 53 शाम न्यायालयों के अलावा 90 शाम न्यायालयों को भी मंजूरी दी है।

मैं यह बताना चाहूंगी कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत न्यायिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 में तमिलनाडु राज्य के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी। मैं माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे तमिलनाडु में न्यायपालिका के बेहतर कामकाज के लिए पर्याप्त धन जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

मैं अपने माननीय नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी की उपलब्धि को प्रदर्शित करना भी एक सौभाग्य की बात मानता हूं, जिन्होंने तमिलनाडु में अधीनस्थ अदालतों के कामकाज के लिए लगभग 88 प्रतिशत भवनों को सुनिश्चित किया है। सभी न्यायिक संस्थानों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए आगे के कदम उठाए जा रहे हैं।

न्यायपालिका को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्र से पीछे न रहने का आग्रह करते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकनाल): महोदय, दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 एक बहुत ही सरल विधेयक है। वह केवल 20 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक की वित्तीय संलिप्तता वाले मामलों की तह तक जाना चाहता है। माना जाता है कि इसका उद्देश्य दिल्ली उच्च न्यायालय पर बोझ कम करना है।

यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि जब सभी राज्यों में न्यायपालिका विवादों और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से भरी हुई है, तो दिल्ली का सौभाग्य रहा है कि केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के भार को हल्का करने के लिए कम से कम 14 अधीनस्थ अदालतों का गठन किया है। मैं निश्चित रूप से इस कदम का स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सरकार और अधिक न्यायालयों की स्थापना पर भी विचार करेगी। ओडिशा में, हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां हम और अधिक अदालतें स्थापित कर सकते हैं जिससे हमारी न्यायपालिका भी भार से हल्की हो जाएगी। एक सभ्य समाज का उद्देश्य यह है कि न्याय को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। तो, उस लक्ष्य को आसानी से पूरा किया जा सकता है।

वर्ष 2003 में इस तरह का एक संशोधन था। उस समय तक, उच्च न्यायालय के पास केवल एक सीमा के रूप में 5 लाख रुपये था औरइसे 5 लाख रुपये से 20 लाख तक बढ़ाया गया था। अतः, मेरा मुद्दा यह है। इन तृतीयक या माध्यमिक कानूनी अधिनियमों के लिए, क्या हर बार मामले को संसद में लाना आवश्यक है?मैं स्पष्ट नहीं हूं कि यह वास्तव में आवश्यक है या सरकार उस शक्ति को विकसित कर सकती है जिसके द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय स्वयं सरकार के परामर्श से निर्णय ले सकता है, अपने वित्तीय आर्थिक तंगी को बढ़ा सकता है और इसे ऊपर ला सकता है, और निचली अदालतों पर बोझ डाल सकता है। यह कुछ ऐसा है, जिसके बारे में सरकार सोच सकती है।

हमने हाल ही में एक घटना देखी है जहां निर्णय के परिणाम की भविष्यवाणी शक्तियों द्वारा की गई थी। मैं मृत्युदंड या इनमें से किसी भी मुद्दे को लेकर खींचना नहीं चाहता जिन्होंने हमारे समाज में बहुत भ्रम पैदा किया है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारा समाज अभी तक मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम अभी तक पर्याप्त परिपक्व नहीं हुए हैं और हमारे बीच कानूनी विद्वान बैठे हैं जो इन मुद्दों पर हमें बेहतर तरीके से प्रबुद्ध करेंगे। लेकिन, मुझे लगता है, जिस तरह से देश के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ ऐसा करने

में धकेल दिया गया था जो शक्तियां चाहती थीं, कि आपके पास आधी रात के बाद बैठना है, आप यह निर्णय लें और हम अपने काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारी न्यायपालिका की प्रणाली के बारे में एक बुरा स्वाद पैदा किया है। यहां तक कि इस सदन में हुए कृत्यों ने भी हमारे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाया है।

बीच में एक अफवाह थी कि सरकार शायद इस तरह की ध्यान भटकाने वाले रणनीति बनाकर व्यापम और अन्य जैसे अन्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। मैं उन बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहां यह चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस देश में आम जनता भी अब बहुत पर्यवेक्षक है। इस देश का युवा बहुत पर्यवेक्षक है। वे सब कुछ देख रहे हैं जो हम कर रहे हैं, और वे भी हमारा अध्ययन कर रहे हैं। हमें जनता को कम नही आंकना चाहिए।

हालांकि, हमारे पास कुछ मुद्दे हैं। मैं दो और बातों का उल्लेख करना चाहता हूँ। पिछले अनुमान के अनुसार, देश भर में विभिन्न अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सकारात्मक कदम उठाया गया है कि यह आंकड़ा कम हो?मैं माननीय मंत्री जी से सुनना चाहूंगा कि क्या इस सरकार द्वारा देश भर में विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं, जो तीन करोड़ से अधिक मामलों हैं कि पिछले 14 या 15 महीनों में वे सत्ता में रहे हैं।

यह कहा जाता है कि भारत में दस लाख लोगों पर लगभग 17 न्यायधीश हैं; और हम एक बहुत ही राष्ट्रवादी भी हैं। मेरे राज्य की बात करें तो, मेरे राज्य ओडिशा में उच्च न्यायालय के 27 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है, लेकिन अब तक, हमारे पास केवल 21 न्यायाधीश हैं। तो, जरूरतमंदों, गरीबों और वंचितों के लिए न्याय को पूरा करने की प्रक्रिया में नरमी की कल्पना करें!

मैं माननीय मंत्री जी पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा कि सी.ए.टी, एस.ए.टी, हरित प्राधिकरण आदि के तहत कई मामले हैं, और ये मामले भी लंबित हैं, जो इस आंकड़े को जोड़ देंगे जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार लोगों द्वारा दायर किए गए झूठे और तुच्छ मामलों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की प्रणाली लाने के बारे में सोच रही है, जो मशीनरी को बंद कर देता है, जो न्याय के वास्तविक वितरण में देरी करता है। क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत जो लोग इन झूठे और मनगढ़ंत मामलों को दायर करते हैं, उन्हें भी न्यायपालिका द्वारा दंडित किया जाता है यदि यह पाया जाता है कि ये मामले झूठे थे?

महोदय, मेरा अंतिम सुझाव यह होगा कि एक प्रणाली पर काम किया जाना चाहिए - क्योंकि यह एक राष्ट्रवादी है और आप मुकदमों की संख्या को कम करना चाहते हैं - जिसके तहत मामलों में कार्यवाही केवल तभी होनी चाहिए जब आवेदक या वादी, जिसने मामले दायर किए हैं, या अभियोजन पक्ष यदि सरकार है, सभी अलग-अलग चरणों में सभी प्रासंगिक पत्रों की आपूर्ति करने के लिए मुफ़्त में प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह, यह लोगों की मदद करेगा और लोगों को तुरंत अदालतों में जाने से रोकेगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन बिंदुओं का विशिष्ट उत्तर देंगे।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं इस दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(डा. डिप्टीस्पीकर: श्री जगदम्बिका पाल।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, आपकी अनुमति से, क्या मैं इस सीट से बोल सकता हूं?

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने देश की राजधानी दिल्ली के हाई कोर्ट के अमेंडमेंट बिल, 2014, जिस पर तमाम माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, पर बोलने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं पूरे सम्मानित सदन को धन्यवाद दूँगा, चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, सभी ने हमारी सरकार द्वारा लाये गये इस विधेयक का भरपूर समर्थन किया है, स्वागत किया है। इस बिल का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? चाहे राज्य की सरकारें हों या केन्द्र की सरकार हो, हम लगातार कहते हैं कि देश के खेत-खलिहान, चौपाल में बैठे हुए आम व्यक्तियों को, गरीब व्यक्तियों को, सस्ता न्याय मिले, सुलभ न्याय मिले, जस्टिस एट डोर स्टेप हो। जस्टिम डिलेड, जस्टिस डिनाइड, इस तरह के कितने मैग्जिम हैं, जो देश के आम आदमी के न्याय से जुड़े हुए सवाल हैं और उनके जन-जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं। लेकिन, इसके बावजूद भी आज जो प्रक्रिया है कि यदि किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बजाए हाई कोर्ट में अपील के लिए जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, तो शायद इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐसे बहुत-से लोग होंगे, उनकी बड़ी संख्या होगी, जो केवल पैसे के अभाव में शायद अपना न्याय मांगने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह विधेयक उन लोगों के हितों की रक्षा करेगा, उनके हक-हक़ूक की हिफ़ाजत करेगा, जिनका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने का सपना रह जाता है। इसलिए यह विधेयक उन्हें राहत देगा, सस्ता न्याय देगा। उस दिशा में यह एक प्रगतिशील विधेयक है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ, इसका समर्थन करता हूँ।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

उपाध्यक्ष महोदय, किसी को भी न्याय पाने का अधिकार है। भारत के संविधान में जो न्याय पाने का अधिकार है, वह तीन तरह से है। पहला आर्डिनेरी ओरिजनल ज्यूरिस्डिक्शन होता है उसमें जाए, दूसरा एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन होता है, उसमें जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता, उसमें जाए या पी.आई.एल. के माध्यम से जाए। इस तरह से देश का कोई भी व्यक्ति या नागरिक अगर सिविल के मामले में न्याय चाहता है तो उसके सामने ये तीन रास्ते हैं। इन तीन माध्यमों में से जो आर्डिनेरी ओरिजनल ज्यूरिस्डिक्शन के लोग हैं, आज जो

यह संशोधन बिल पास हो रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक्ट 1966 के सेक्शन फाइव के सब-सेक्शन टू में, अभी तक इसमें 20 लाख रुपए की सीमा थी। आज के समय में देखा जाए तो दिल्ली में सम्पत्ति की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आपको यहां छोटा सा फ्लैट भी लेना है तो वह एक करोड़ रुपए या दो करोड़ रुपए से कम में नहीं मिलेगा। इसलिए इस 20 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए किया जा रहा है कि यह अब हाई कोर्ट की परिधि में होगा। मैं सरकार को और मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा। बहुत पहले इसकी सीमा पांच लाख रुपए थी, तब जब इसकी सीमा बढ़ाई गई थी, तब जो दिल्ली हाई कोर्ट संशोधन बिल इसके पहले आया था, वह 2003 में आया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी यानि एन.डी.ए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। तब यह ज्यूरिस्डिक्शन जो पांच लाख रुपए था, उसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया था। उस समय भी देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले गरीबों का अगर किसी ने खयाल रखा था तो एन.डी.ए यानि भा.ज.पा की सरकार ने रखा था। आज फिर एन.डी.ए यानि भा.ज.पा की सरकार ने इस सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए किया है।

उपाध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि आप मुझे भाषण समाप्त करने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। आप बड़े उदार हैं, आज जिस तरह से आपने एम.पी. लैड की बात कही, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

यह बिल आम व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। वादकारी यानि एडवोकेट्स, आधिवक्ता, तो बार एसोसिशएन की निरंतर मांग थी कि इसकी सीमा बढ़ाई जाए। मैं समझता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद केवल वादकारियों को प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इस देश के सभी आधिवक्ताओं को भी प्रसन्नता होगी। खासकर जो हमारी बार एसोसिएशन के लोगों ने इसकी मांग की थी।

मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री वारा प्रसाद राव।

हम नियम 193 के तहत दोपहर 5.30 बजे चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, हमें उससे पहले इस विधेयक को पारित करना होगा। कृपया संक्षिप्त में कहें।

श्री वारा प्रसाद राव वेलागपल्ली (तिरुपति): महोदय, वास्तव में, गुणों की कीमतों में अत्यधिक प्रशंसा के मद्देनजर यह सही दिशा में एक सही कदम है। यह एक अच्छा कदम है, लेकिन मैं एक पूर्ववर्ती वक्ता से सहमत हूँ जो बता रहे थे कि यह एक औपनिवेशिक निर्णय है जो हमने लिया है। अन्य सभी उच्च न्यायालयों में उनके पास मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है जबकि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली के इन चार चार्टर्ड बैंकों में केवल इस तरह की बात है। मैं समझता हूँ कि इससे निपटा जा सकता है और सरकार इस पर भी विचार कर सकती है ताकि आने वाले वर्षों में यह आसान हो जाए।

निश्चित रूप से, यह उच्च न्यायालय के बोझ को कम करता है और वादियों को दूरी के दृष्टिकोण से, शुल्क के दृष्टिकोण से और अन्य सभी दृष्टिकोणों से भी अत्यधिक लाभ होगा।

महोदय, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद आदि के आसपास के क्षेत्रों में जिला अदालतों के पास असीमित अधिकार क्षेत्र है, जबकि अकेले दिल्ली उच्च न्यायालय के पास दो करोड़ रुपये तक का अधिकार क्षेत्र होगा। यह अनुचित होगा। इसलिए, लंबे समय में, सिविल मामलों के मूल अधिकार क्षेत्र की शक्ति को उच्च न्यायालय से छीनकर जिला अदालतों को दिया जा सकता है ताकि उच्च न्यायालय अपील और रिट क्षेत्राधिकार पर ध्यान केंद्रित कर सके।

महोदय, आर्थिक क्षेत्राधिकार पूरे देश में एक समान होना चाहिए। जबकि तमिलनाडु में, दिल्ली में यह बहुत कम है, किन्तु हमारी सीमा दो करोड़ रुपये की होगी। जबकि संपत्ति की सराहना और मुद्रा अवमूल्यन पूरे देश में एक समान है, इसे दिल्ली उच्च न्यायालय के मामले में बढ़ाना केवल अनुचित होगा। इसलिए, मेरी राय है कि सभी न्यायालयों को एक समान आर्थिक अधिकार क्षेत्र दिया जा सकता है और उच्च न्यायालयों को इससे नहीं निपटना चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली के अन्य 11 जिला न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का प्रयास करता है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली उच्च न्यायालय वादों पर अपना अधिकार क्षेत्र रखने जा रहा है जो कि पहले की तुलना में 2 करोड़ 20 लाख रुपये हैं। मुद्रा के अवमूल्यन के रूप में और दिल्ली की संपत्ति दरों में वृद्धि को देखते हुए, माननीय जगदम्बिका पाल ने यह भी उल्लेख किया कि लगभग रु20 लाख से कम के लिए दिल्ली में कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो यह दस गुना वृद्धि जो रुपये से होने जा रही है। 20 लाख रुपये से रु. 2 करोड़ अदालतों के हित में होने जा रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय आज एक ऐसी स्थिति में है कि वह व्यावहारिक रूप से हर मूल नागरिक कार्यवाही को देख रहा है। इसे दस गुना बढ़ाकर, हम वास्तव में 12,000 से अधिक मामलों को जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं, को निचली अदालतों में स्थानांतरित करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है क्योंकि लंबित होना एक गंभीर मुद्दा है और वादियों के लिए एक बाधा है। यह केवल जनता के हित में ही नहीं, न्यायपालिका के हित में भी है क्योंकि निचली अदालतों में बहुत सारे न्यायाधीश खाली बैठे हैं, इसलिए हम उन्हें कुछ काम दे पाएंगे। यदि आप लाभों को अधिक बारीकी से देखते हैं, तो हम पाएंगे कि उच्च न्यायालय का कार्यभार भी कम हो जाएगा, और विवाद करने के लिए पक्षों पर अदालती शुल्क के कारण कम बोझ होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय वास्तव में एक अधिक अनन्य मंच बन जाएगा जो अधिक गंभीर प्रकृति के मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होगा। बेहतर मामलों, बड़े राज्यों के विवादों पर निर्णय देने वाले बेहतर दिमाग होंगे।

मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि यह विधेयक प्रासंगिक है क्योंकि देश भर के सभी उच्च न्यायालयों के वित्तीय अधिकार क्षेत्र में एकरूपता लाने की आवश्यकता है। दिल्ली के आसपास के सभी जिला अदालतों जैसे नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद में असीमित आर्थिक अधिकार क्षेत्र है। इसी तरह, हमें दिल्ली में जिला अदालतों की तुलना आसपास के क्षेत्रों में अन्य जिला अदालतों से करनी होगी।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि यह रू 2 करोड़ का मूल्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि उस विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए। सस्मित पात्रा ने स्वयं को संबद्ध किया। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट, 1966 की धारा-5 में संशोधन के ऊपर बोलने का मौका दिया है। यह बहुत सेंसिटिव इश्यू है और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट, 1966 की धारा-5 में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब, कानून मंत्री सदानंद जी और हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर श्री नायडु जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस कानून में संशोधन की वकीलों तथा जनता की लम्बी मांग को स्वीकारते हुए भारत सरकार इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लाई है। दिल्ली में पिछले दिनों जिन अदालतों के वकील जनता के फायदे के लिए काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, वे हमारी पार्टी के पदाधिकारियों और व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले अतः इस बिल को लाने से जो फायदे होंगे, मैं उनसे आपको अवगत कराना चाहता हूं। नेताओं ने उनकी जायज मांगों को जो हमारे वकील हैं चाहे द्वारका के हों या साकेत के हों या तीस हजारी के हों या पटियाला हाउस के हों, उन्होंने दिल्ली की जनता और वकीलों के हित को देखते हुए, इसको 20 लाख से बढ़ा कर दो करोड़ रुपया करने की नहीं है, महोदय, जब वर्ष 2003 में एन.डी.ए की सरकार थी, इस रकम को बढ़ा कर पांच लाख से बढ़ाकर बीस लाख किया था। जो लोग गरीबों के हित की बात करते हैं और गरीबों के ठेकेदार होने का दावा करते हैं, वे केवल राजनीति करते रहे। पिछली यू.पी.ए की सरकार में इनके मंत्री कपिल साहब बिलकुल " इलेवंथ ऑवर " में इस बिल को लेकर आए थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि देश में इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में आना चाहिए। मैं चार दिन से स्लोगन भी सुन रहा था कि 15 लाख रुपए कहां गए। 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाएंगे, इस बात का तात्पर्य यह था कि सरकार ने किसी को निठल्ला या आलसी बनाकर 15 लाख रुपया देने की बात नहीं कही थी बल्कि पांच वर्ष में हर व्यक्ति को लगे कि उसे 15 लाख का लाभ हुआ है। इस बिल को लाने से एक गरीब आदमी अगर हाई कोर्ट का वकील करेगा, मीनाक्षी जी बैठी हैं, इन्हें पता है कि हाई कोर्ट के वकील की फीस छोटे वकील की फीस से बीस गुना ज्यादा होती है, लोअर कोर्ट के वकील से। दिल्ली से सटा हुआ एन.सी.आर एरिया है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, उसमें उनकी अनलिमिटेड पॉवर है। दिल्ली में 20

लाख का प्लाट आनियमित कालोनी में भी नहीं आता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को दिल्ली की समस्या को देखते हुए इस धनराशि को दो करोड़ रुपयों से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपया करना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी को वकील सस्ता मिलेगा और निचली अदालत में केस को निपटाने का प्रयास करेगा। उस गरीब आदमी का बचा पैसा बैंक में जाएगा और इसी प्रकार पन्द्रह हजार ऐसे मामले जो दिल्ली हाई कोर्ट में फंसे हुए हैं, वे अगर लोअर कोर्ट में आ जाएंगे, तो उनका निपटारा जल्दी हो जाएगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग इस प्रकार की राजनीति करते हैं। जो वकील, एडवोकेट्स हैं, वे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे उम्मीद की जाती है, चालीस हजार ऐसे वकीलों तक मैं यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस देश की तरक्की के लिए बुद्धिजीवी वर्ग जो संघर्ष करते रहे, उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वे दस-दस बच्चे पैदा करने का फतवा देने वाले लोग देश के भविष्य के बारे में थोड़े ही सोचेंगे। इसीलिए जो गरीब लोग हैं, जो पैसा बचेगा, वह उनके खाते में जायेगा और अगर वे बच्चे पैदा करने को कहते हैं कि कुदरत की देन है, तो आंख में इंफैक्शन हो गया, पेट में दर्द हो गया तो आंख की इंफैक्शन के लिए वे दवाई लेने क्यों जाते हैं, फिर तो उसे कुदरत ही ठीक कर देगी। जो इस प्रकार से मिसगाइड करने की बातें करते हैं, तो गरीब आदमी के हक का जो पैसा है, वह उसकी पाकेट में जायेगा तो 15 लाख रुपये का उसे पांच साल में लाभ होगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस 80 प्रतिशत जनता को इस बिल के माध्यम से लाभ होने वाला है, मैं उन लोगों को यह मैसेज जरूर देना चाहता हूं, इसमें मेरे एक-दो सुझाव हैं कि जो ज्यूडिशियरी में एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, जो नीचे से रेवेन्यू में आयेगा, उस पैसे को बढ़ाकर उनके वहां चैम्बरों की व्यवस्था करनी चाहिए और चैम्बरों की व्यवस्था करने के साथ-साथ उन्हें काम करने का बढ़िया एनवायरनमैन्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वे सैल्फ इंडिपेन्डेन्ट होकर बड़े वकील के अंडर नहीं होंगे। एक व्यवस्था होनी चाहिए कि दस साल से आधिक पुराने वकील को वह लाभ मिलना चाहिए।

मेरा अगला सुझाव यह है कि अगर ज्यूडिशियरी के अनुसार सर्किल रेट बढ़ाये जाते हैं, जिन-जिन स्टेट्स में सर्किट रेट बढ़ाये जाते हैं तो सर्किल रेट के अनुसार पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन के अनुसार इनके दाम भी बढ़ने चाहिए। उसके बाद लोगों को आंदोलन और संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): महोदय, इस विधेयक को लाने के लिए आदरणीयकानून मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। यह एक नम्र कदम है। अब एकमात्र सवाल यह है कि 24 उच्च न्यायालयों में से, हमारे पास मूल रूप से बीस उच्च न्यायालयों में कोई मूल अधिकार क्षेत्र नहीं है। केवल चार उच्च न्यायालयों में, जो ब्रिटिश युग की विरासत हैं, हमारे पास मूल अधिकार क्षेत्र है। माननीय को मेरा निवेदन. मंत्री जी का कहना था कि इन चारों उच्च न्यायालयों में मूल क्षेत्राधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है। सी.सी की धारा 6 के प्रावधानों को देखते हुए एकरूपता होनी चाहिए। इसलिए, पूरे देश में एकरूपता लाने के लिए चार उच्च न्यायालयों, अर्थात् दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में यह मूल अधिकार क्षेत्र छीन लिया जाना चाहिए और एकरूपता बनाए रखी जानी चाहिए।

विधि और न्याय मंत्री, श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा :उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। जिन सदस्यों ने विधेयक का पूरा समर्थन किया है। उन्होंने विधेयक में जिस मामले पर चर्चा की है, उसके अतिरिक्त कुछ सुझाव भी दिए हैं।

व्यावहारिक रूप से, दिल्ली के आर्थिक क्षेत्राधिकार का मुद्दा केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत आता है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है। इसलिए, विधेयक को संसद के समक्ष लाना होगा और हमें विधेयक में संशोधन करना होगा। आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित अन्य सभी संशोधन राज्य विधानमंडल द्वारा उठाए जा सकते हैं। राज्य इस मुद्दे को उठाने में सक्षम हैं। यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मुख्य न्यायाधीशों के साथ उचित परामर्श के बाद राज्य सरकार इसे बढ़ा सकती है।

जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार का संबंध है, दिल्ली बार एसोसिएशन की समन्वय समिति विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व कर रही है ताकि दिल्ली न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार को मौजूदा धनराशि से बढ़ाने के लिए जा सके। 20 लाख रुपये से रु. 2 करोड़ रु. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने बार एसोसिएशन के अनुरोध पर भी विचार किया है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार को भी पत्र लिखा और केंद्र सरकार से प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया। यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 21 नवंबरको एक प्रस्ताव के माध्यम से, 2012, रुपये से आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। रु. 20 लाख से रु. 2 करोड़ रु. दिल्ली और उसके आसपास संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ गया है। यहां तक कि वर्तमान मौद्रिक क्षेत्राधिकार इतना कम हो गया है कि बहुत छोटी संपत्ति से संबंधित मामला उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया जाना चाहिए।

ऐसी परिस्थितियों में, दिल्ली के लोगों को घर पर न्याय प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक क्षेत्राधिकार को बढ़ाने से आम जनता को अपने स्थान के आसपास के क्षेत्र में जिला अदालतों तक पहुंचने में सुविधा होगी। इतना ही नहीं, यह विधेयक जो जिला अदालतों के आर्थिक अधिकार क्षेत्र को रु। 20 लाख रुपये से रु. 2 करोड़, उच्च न्यायालय के कार्यभार को कम करेगा और दिल्ली के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाने के लिए पर्याप्त दूरी तय नहीं करनी होगी।

वर्तमान में 11 जिला अदालतें हैं और तीन और जिला अदालतें जल्द ही बनाई जाएंगी ताकि इन मामलों को विभिन्न स्थानों पर जिला अदालतें निपटा सकें।

मेरे मित्र ने देश भर में लंबित मामलों के संबंध में बात उठाई। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि देश भर मेंविचाराधीनता मामलों की भारी संख्या है। देश के विभिन्न हिस्सों में अधीनस्थ न्यायालयों तक लगभग 3.6 करोड़ मामले उच्चतम न्यायालय से लंबित हैं। हम वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से मामलों के निपटान को देखने के लिए पहल कर रहे हैं। मैं यह रिकॉर्ड रखना चाहूंगा कि पिछले दिसंबर में देश भर के लगभग सभी अदालतों में एक मेगा लोक अदालत आयोजित की गई थी और लगभग 44 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन हुआ जिसमें हमने विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के संबंध में विचार-विमर्श किया और चर्चा की।

विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की विविध,संख्या बढ़ाने का भी ध्यान रखा गया है। पिछले दो वर्षों में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में 100 से अधिक की वृद्धि हुई है। अब उच्च न्यायालय के लगभग 1,100 न्यायाधीश हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में भी उच्च न्यायालय को राज्य सरकार के साथ उचित परामर्श के बाद बातों का ध्यान रखना होता है। हम पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिख चुके हैं कि न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने और मामलों के निपटान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

तमिलनाडु के मेरे मित्र ने अभी कहा कि तमिलनाडु की राज्य सरकार को कोई निधि आबंटित नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने मंजूर किए रुपये 2010-11 में तमिलनाडु के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 58.35 करोड़ रुपये। 2012-13 में 19.53 करोड़, और रु. 2013-14 के दौरान 73.43 करोड़ रुपये। तमिलनाडु में स्वीकृत संख्या भी बढ़ गई है, लगभग 980 कोर्ट रूम उपलब्ध हैं और 981 न्यायिक अधिकारी हैं, और 115 अदालती भवन भी निर्माणाधीन हैं।

मेरे मित्र ने यह बात कही है कि देश भर में आर्थिक क्षेत्र एक समान होना चाहिए। जहां तक आर्थिक क्षेत्राधिकार के निर्धारण का संबंध है, यह उच्च न्यायालय के साथ उचित परामर्श के बाद राज्य सरकार की विशेषाधिकार शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसलिए, राज्य सरकार से प्रस्ताव आने के बाद उच्च न्यायालय को इसका ध्यान रखना होगा और राज्य सरकार को आर्थिक अधिकार क्षेत्र बढ़ाना होगा।

समन्वय समिति से जो प्रस्ताव आए हैं, उनको दिल्ली के उत्तरी हिस्से द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया है और उसको भी दिल्ली के उच्च न्यायालय के एक संकल्प द्वारा समर्थन दिया गया है, और इसको केन्द्र सरकार ने पूरी तरह से स्वीकार किया है। इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित करना होगा। इसे अंतिम बार वर्ष 2003 में दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 की धारा 5 की उपधारा 2 और पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 की धारा 25 में संशोधन करके संशोधित किया गया था।

इसलिए, जिन सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया है, सभी ने इस विधेयक का हृदय से समर्थन किया है और व्यावहारिक रूप से इस विधेयक में कोई भ्रम नहीं है। इसका सदस्यों द्वारा स्वागत किया जाता है। इसलिए, मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह विधेयक दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 में और संशोधन करेगा, जैसा कि राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है, उस पर विचार किया जाएगा"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन अब विधेयक पर खंड दर खंड विचार करेगा।

श्री ए. संपत संशोधन संख्या पेश करेंगे। 1 खंड को 2 वह उपस्थित नहीं।

खंड 2 धारा 5 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का हिस्सा है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 1918 के पंजाब अधिनियम vi का संशोधन, जैसा कि दिल्ली की धारा में लागू है, और लंबित वादों और कार्यवाही को अधीनस्थ न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की शक्ति

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन संख्या को प्रस्तुत करने के लिए श्री ए. संपत। 2 से खंड 3 तक। वह उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

विधेयक में खंड 1, अधिनियमन सूत्र लागू करना और विस्तृत नाम जोड़ा गया था।

श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" कि विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए। "

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए। "

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री रमेश बिधूड़ी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, मैंने एक रिक्वैस्ट की थी कि इसमें पिक्यूनियरी के अनुकूल जो वहां की सम्पत्ति के रेट्स बढ़ते हैं, उस सम्पत्ति के रेट्स के अनुसार जो स्टेट बढ़ाती है, उसके अनुसार ये बार-बार जो आन्दोलन होते हैं, जो एडवोकेट्स वगैरह चक्कर लगाते हैं, वे धरनों पर बैठते हैं, इसके लिए सरकार ऑटोमैटिकली एक ऐसी व्यवस्था करे कि ऑटोमैटिकली केस की रकम बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि, लोअर कोर्ट में जो फीस गरीब आदमी देता है, उसकी फीस कम होती है। अगर वह बेचारा हाई कोर्ट के बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाकर करेगा, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली में पांच करोड़ का आजकल 100 गज का प्लाट नहीं आ रहा, इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें उनको एक एमेंडमेंट करना चाहिए कि जो सर्किल रेट बढ़ता है, उसी के हिसाब से ही स्टेट को रेट तय करना चाहिए, दिल्ली कैपीटल है, राजधानी है और हाई कोर्ट के बाद आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाने की छूट मिलती है। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट एक आदमी तो...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: माननीय उपाध्यक्ष, दिल्ली के बार एसोसिएशन की समन्वय समिति का प्रस्ताव आर्थिक निर्णय को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये करना था। यह एन.सी.टी. दिल्ली द्वारा समर्थित है। उनका अनुरोध भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर केवल दो करोड़ रुपये करने का है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी एक प्रस्ताव के माध्यम से एक ही धनराशि की सिफारिश की जो 20 लाख रुपये से दो करोड़ रुपये तक है। जब पांच या दस वर्षों के बाद समय आता है जब संपत्ति का मूल्य और अन्य चीजें अधिक हो जाती हैं, तभी इसे लिया जा सकता है। वर्तमान में, सरकार द्वारा उठाया गया यह उचित कदम है।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): माननीय उपाध्यक्ष, कार्यसूची के अनुसार हमें परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा करनी है। मेरा सुझाव है कि हम इसे कल ले सकते हैं और अब हम नियम 193 के तहत चर्चा ले सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यह सब ठीक है।

अपराह्न 5.24 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

संधारणीय विकास लक्ष्य के बारे में

माननीय उपाध्यक्ष : हम सतत विकास लक्ष्यों पर नियम 193 के तहत चर्चा करते हैं। चर्चा आरंभ करने के लिए श्री रमेश पोखरियाल निशंक।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम 193 के अन्तर्गत आपने सतत विकास लक्ष्य की चर्चा शुरू करने का मुझे सौभाग्य दिया है, मैं आपका आभारी हूं।

जैसे कि आप को विदित ही है कि सितम्बर, 2000 में न्यूयार्क में पूरी दुनिया के 189 देशों ने मिलकर संकल्प लिया था कि वर्ष 2015 तक गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, आशिक्षा, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के आभिशाप से दुनिया को मुक्ति दिलानी है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर के महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य सुधार, एच.आई.वी., एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का हमको मुकाबला करना है।

इसके साथ ही, पर्यावरणीय क्षेत्र में सततता निश्चित करते हुए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सतत पहुंच को आम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मलिन बस्तियों में सुधार करना है और विकास के लिए विश्व की सहभागिता का संकल्प लिया गया था। वर्ष 1990-2000 से लेकर अब तक इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए दुनिया के देशों को अपनी नीति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि वे ऐसी नीतियों का निर्धारण करें कि इन लक्ष्यों को वे वर्ष 2015 तक पूरा करें। भारत भी इन लक्ष्यों की पूर्ति में लगातार प्रगति के पथ पर स्फूर्त भूमिका निभा रहा है।

उपाध्यक्ष जी, गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, एच.आई.वी. नियंत्रण, मलेरिया पर नियंत्रण, प्राथमिक व उच्च शिक्षा जैसे बहुत सारे विषयों में भारत ने तो प्रगति की है, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट आयी है, उसमें यह कहा गया कि भारत को बहुत गंभीरता से स्वच्छता और खुले में शौच के क्षेत्र में ध्यान

देना पड़ेगा। कुपोषण, महिला शिक्षा, रोज़गार की उपलब्धता पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें मातृ मृत्यु-दर और शिशु मृत्यु-दर को कम करना है, क्योंकि जिस गति से जिस लक्ष्य की प्राप्ति की अपेक्षा की जा रही थी, उस गति से भारत अभी उस प्रगति को हासिल नहीं कर सका है। साथ ही, इस रिपोर्ट में यह भी चिंता व्यक्त की गयी कि महिलाओं की राजनीति में जो सहभागिता है, विशेषकर लोक सभा में, जो भारत का निम्न सदन है, उसमें उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत बहुत कम है। उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, अगर गरीबी और भुखमरी के संबंध में उस समय यह कहा गया था कि उस समय गरीबी का जितना प्रतिशत है, उसमें 50% तक कमी हम वर्ष 2015 तक कर देंगे। वर्ष 1990 में यह 47.8% था। वर्ष 2011-12 में यह 21.92% तक आया। वर्तमान में यह 20.74% है और इसे 18.6% लाना था। मुझे लगता है कि जिस गति से इसमें कमी होनी थी, उस गति से यह नहीं हो रही है। हमें इस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है। भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या आधी करने का लक्ष्य था। वर्ष 1990 में यह 52% था। वर्ष 2005-06 में यह 40% तक आया। वर्ष 2015 में इसे 26% होना था, लेकिन अभी भी यह 33% है। यह देश के अन्दर एक बहुत ही गंभीर विषय है कि यदि आज भी इस देश में, जो प्रगति की दौड़ में है, उसमें भुखमरी के कगार पर 33% लोग हों, तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर विषय है और यह चिंता का विषय है। केन्द्र की सरकार को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसे दूर करना होगा। पूरी दुनिया में जो आति गरीब लोग हैं, उनका 32.9% लोग अकेले भारत में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत के कई राज्य हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, ओडीशा जैसे तमाम राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में एक आभियान चलाकर इस काम को करना होगा।

महोदय, इस देश की प्रगति के लिए और इस देश में व्याप्त गरीबी और भुखमरी की स्थिति में मुझे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था -

स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है,

एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।

एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो,

जिसकी आंखों में चमकती एक नया उल्लास हो,

हो जहां सम्मान हर एक जाति-धर्म का,

सब समर्पित हो जहां एक लक्ष्य उसके पास हो,

एक नया आभियान अपने देश के जन-जन में हो,

एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।

श्रीमन्, अटल जी की कितनी छटपटाहट थी कि उन्होंने कहा, आज हम सारे विश्व में प्रगति की दौड़ में बहुत आगे हैं। उन्होंने तभी कहा था, " बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर जिस रफ्तार से, कर रहा हमको नमन यह विश्व अभी उस पार से, पर अधूरी है विजय जब तक गरीबी है यहाँ, मुक्त करना है हमें अब देश को इस भार से। " उनकी जो चिन्ता, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो चिन्ता है, वह चिन्ता आज भी बरकरार है। इसलिए एक नया संकल्प सा अब तो यहाँ जीवन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और निश्चित रूप में यह सतत विकास का जो हमारा लक्ष्य है, इससे देश में एक नए युग का निर्माण होगा, नए युग का सूत्रपात होगा। उसी सूत्रपात की दिशा में जिस तरीके से वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चारों दिशाओं में, चाहे भुखमरी को दूर करने की बात हो, बेरोजगारी को दूर करना हो, तमाम क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। उस दिशा में चाहे जन-धन योजना में गरीबी और भुखमरी से लोगों को उठाने के उस आभियान में जन-धन जैसी योजना जिसमें गरीब की जेब में, जिसकी जेब में एक पैसा भी न हो, वह भी अपना खाता खोलता है और खाता ही नहीं खोलता, बल्कि उसको सुविधाएं मिलती हैं। उसको 30 हजार रूपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और दुर्घटना पर एक लाख रूपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। इतना ही नहीं बहुत सारी योजनाएं उसके साथ जुड़ती हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित गरीबी को दूर करने का जो आभियान है, मनरेगा में भी हमारी सरकार ने श्रीमन् पाँच हजार करोड़ इस समय आतिरिक्त बढ़ाया है। खाद्य में सब्सिडी दी है और इतना ही नहीं, मुद्रा बैंक, माननीय वित्त मंत्री जी जिसकी चर्चा कर रहे थे कि मुद्रा बैंक की स्थापना की है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे बड़े आभियान जो बेरोजगारी को न केवल दूर करेंगे, बल्कि इस देश को उसके शिखर तक पहुँचाने के मुकाम तक ले जाएंगे और बेरोजगारी दूर करने के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगें। जी.एस.टी भी जो इसका हिस्सा है, जो आर्थिक क्रांति करेगा, आर्थिक समृद्धता लाएगा और आम व्यक्ति को उसके कदमों पर खड़ा करने के लिए हौसला देगा।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिसमें एक हजार पांच सौ करोड़ रूपए का प्रावधान है। जो छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम योजना के तहत छात्रवृत्तीय सहायता प्राधिकरण जैसी जो स्थापना की है, मैं सोचता हूं कि वह गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में सरकार का बहुत अहम कदम है। इसको हम सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में एक मील का पत्थर कह सकते हैं।

श्रीमन्, जो दूसरा लक्ष्य था, वह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का था। वर्ष 1990 में प्राथमिक शिक्षा का जो नामांकन था, वह केवल 77 प्रतिशत था। इसका लक्ष्य वर्ष 2015 में शत-प्रतिशत करने का था। अभी हम लगभग 88.08 प्रतिशत पर हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भी जो आंकड़े हैं, वे समन्वित आंकड़े नहीं हैं। इसलिए इस दिशा में जहां महिला और समाज, अशक्त व्यक्ति पीछे हैं, वर्ष 2000 में विश्व में 83 प्रतिशत दाखिले का प्रतिशत था और अब पूरे विश्व के परिवेश में देखेंगे तो यह 91 प्रतिशत है। वर्ष 2000 में सौ करोड़ बच्चे स्कूल छोड़ जाते थे और श्रीमन् आज भी 57 करोड़ बच्चे स्कूलों को छोड़ रहे हैं। भारत भी इसमें बहुत बड़े स्थान पर है। इस प्रतिशत को आगे बढ़ाने की जरूरत है। यह बात सही है कि आबादी जिस गति से बढ़ रही है, उसी गति से इस योजना को भी आगे बढ़ाने की जरूरत होगी।

श्रीमन्, जो बच्चे पांचवीं कक्षा तक स्कूल जाते हैं और स्कूल छोड़ जाते हैं, उनका भी यदि आंकड़ा देखेंगे तो वर्ष 2011-12 में यह 86.05 प्रतिशत था। आज इस लक्ष्य को शतप्रतिशत पूरा होना था लेकिन हम इसमें काफी पीछे हैं। ऐसे ही हम साक्षरता में भी काफी पीछे हैं। वर्ष 1990 में 15 से 24 वर्ष तक के नागरिकों की साक्षरता 61 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह 86 प्रतिशत हो गयी। लेकिन इसको शतप्रतिशत पूरा करना है जिसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा तो समाज, परिवार और राष्ट्र की रीढ़ होती है। शिक्षा से वंचित समाज, परिवार और राष्ट्र निश्चित रूप में कहीं भी चौराहे पर खड़ा रहता है, इसलिए यह उसकी रीढ़ की हड्डी है।

श्रीमन्, जहां तक स्त्री-पुरुष को समानता देने का विषय था और महिलाओं को सशक्त और शक्ति प्रदान करने का विषय है, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये तो देश ने प्राथमिक शिक्षा में प्रगति की है। पहले 100 लड़कों पर 73 लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, आज इस दिशा में भारत ने प्रगति की है। अब उसने बराबर और समानता का रूप लिया है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के प्रतिशत में काफी अंतर है और हम उच्च शिक्षा में बहुत अंतर पाते है। 100 विद्यार्थियों में से 54 बालिकायें उच्च शिक्षा ग्रहण करती थीं लेकिन वर्तमान में 100 विद्यार्थियों में से 89 बालिकायें ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसमें भी बहुत अंतर है, इसे भी पाटने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, रोजगारपरक शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा को और ज्यादा सुदृढ़ करने की जरूरत है। मैं विवेकानंद छात्रवृति के लिए माननीय मंत्री जी, जो यहां पर बैठी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं। विवेकानंद छात्रवृति एक बालिका संतान के उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तक संपूर्ण किया है। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में सरकार ने कई योजनायें शुरू की है, लेकिन उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत पुरुषों की साक्षरता के अनुपात में कम है। वर्ष 1991 में 15 से 24 वर्ष की महिलाओं की साक्षरता 67 प्रतिशत थी, 100 लड़कों में 67 लड़कियां थीं, जबकि लक्ष्य बराबर का होना चाहिए। अभी यह बराबर का नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें 100 और 90 का अंतर है। इस दिशा में भी निश्चित रूप से स्त्री-पुरुष समानता के रूप में इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

वैसे भी हमारे देश ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है। हमने हमेशा कहा है कि "यत्र नार्यास्तु पूजयन्ते, तत्र रमन्ते देवता। " जहां भी नारी का सम्मान होता है, जहां भी नारी को इज्जत से देखा जाता है, उस परिवार, समाज और राष्ट्र में ही देवत्व का वास होता है। हमेशा से हमारी यह धारणा रही है।

गैर-कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का प्रतिशत कम है। जहां वर्ष 1990 में यह 12.7 प्रतिशत था, वह वर्ष 2011-12 में बढ़कर 19.03 प्रतिशत तो हुआ है लेकिन लक्ष्य 50 प्रतिशत से भी आधिक का था। जिस तरीके से हम चल रहे हैं, वर्ष 2015 के पूरा होने पर हम इस क्षेत्र में 22-23 प्रतिशत पर ही रह पायेंगे। हमारे सामने पहली चुनौती उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की है और फिर सतत् विकास की दिशा में उसमें स्थिरता ला कर उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं महिलाओं की राजनीति में सहभागिता के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, वह आप सभी को मालूम है। सतत् विकास का जो लक्ष्य है उसमें महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में उनकी राजनैतिक सहभागिता उसी अनुपात में हो, यह भी बहुत जरूरी है।

श्रीमन्, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि वह महिलाओं और बालिकाओं को समृद्ध करने की दिशा में जो 'सुकन्या समृद्धि योजना' चलायी गयी है, हमारी मंत्री जी यहां पर बैठी हुयी हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 22 जनवरी 2015 को 'सुकन्या समृद्धि योजना' का शुभारंभ किया है और लड़कियों की शिक्षा और उनके विवाह के लिए जरूरतों को पूरा करने के लिए 'अल्प बचत योजना' भी बनायी है। इतना ही नहीं, माता-पिता का दस वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के नाम से खाता भी खुलवाया है। इस समय मेरी जानकारी है कि उसमें बीस लाख से भी आधिक बालिकाओं ने सहभागिता खाते खुलवाए हैं। जमा राशियां एक हजार रुपये से एक लाख पचास हजार रुपये तक प्रति वर्ष के बीच हो सकने की संभावना है। मैं सोचता हूं कि बेटियां हमारी थाती हैं, बेटियां हमारी धरोहर हैं। जैसे मैंने कहा, नारी का सम्मान हिन्दुस्तान की संस्कृति में सर्वोच्च रहा है।

मुझे किसी ने एक छोटी सी कविता भेजी है जो मुझे अच्छी लगी। मैं उस कविता को इस सदन के साथ बांटना चाहता हूं। 'बेटियां' नाम से एक छोटी सी कविता है -

बोए जाते हैं बेटे पर उग आती हैं बेटियां

खाद-पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां

मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां

रुलाते हैं जब खूब बेटे तो हंसाती हैं बेटियां

नाम करे न करे बेटे पर नाम कमाती हैं बेटियां

जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां

जब छोड़ जाते हैं बेटे तो काम आती हैं बेटियां

आशा रहती है बेटों से पर पूरा करती हैं बेटियां

हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे पर समय की नज़ाकत को समझती हैं बेटियां

बेटे को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर-घूरकर देखे

किन्तु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि उसे घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए।

जिससे अंधेरा मिटे और हर परिवार नया जीवन पाए।

महोदय, इस कविता की आखिरी पंक्ति मैंने बनाई है। बेटियां निश्चित रूप में हमारे समाज की धरोहर हैं। इन बेटियों को जितना सजाया जाए, बढ़ाया जाए, यह हमारे समाज, राष्ट्र, परिवार की निधि हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि पूरी ताकत के साथ, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बेटियों का जो प्रतिशत घट रहा है, वह हर क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। बालिका मृत्यु दर ज्यादा है, शिशु मृत्यु दर में भी बालिका मृत्यु दर ज्यादा है। बालिकाओं की मृत्यु दर कैसे कम हो सकती है, खत्म हो सकती है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। हमारा शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य भी सतत विकास के लक्ष्यों में था। आंकड़े बताते हैं कि 1990 से 2015 तक पांच वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे की मृत्यु को हमें 2/3 की कमी में लाना था। वर्तमान में स्थिति यह है कि प्रति हजार में जहां

पांच वर्ष से कम आयु के 126 में से 100 बच्चों की मृत्यु हो रही थी, उसे हमें तेजी से नीचे लाना था, लेकिन अभी भी जन्म लेने के तुरंत बाद प्रति हजार पर 80 बच्चों की मृत्यु हो रही है जबकि हमने चाहा था कि शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना है। 2015 तक जो स्थिति चल रही है, उसमें एक हजार पर 27 तक ही हम इस लक्ष्य को ला पाएंगे। इस दिशा में भी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। आज भी एक हजार में से 40 बच्चे मर रहे हैं। यह गंभीर विषय है। शिशु मृत्यु दर पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

खसरा का टीकाकरण 42.2 प्रतिशत था जबकि उसे शत-प्रतिशत होना चाहिए। यह अभी भी 74.1 प्रतिशत है। मुझे लगता है कि यदि हम इस गति से कोशिश भी करें जिस गति से 2000 से 2015 तक पहुंचे हैं तो मुश्किल से 89 प्रतिशत तक ही जा पाएंगे। कुपोषण से जो मृत्यु हो रही है, कुपोषण केवल बच्चे का नहीं है, मां का भी कुपोषण है। आधिकांश बच्चे मां के पेट में ही मर जाते हैं। यदि बच्चे जन्म भी लेते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य और सुरक्षा न मिलने के कारण आधिकांश बच्चे दम तोड़ देते हैं। यदि वे बच भी गए तो तीन से पांच वर्ष की आयु में आधिकांश बच्चे दम तोड़ देते हैं। इसलिए भारत के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला हमें करना पड़ेगा। मातृ मृत्यु दर 1990 में एक लाख पर 437 थी, वर्ष 2011-12 में 167 हुई, 2015 तक इसे काफी नीचे आ जाना चाहिए था। अभी तक यह 140 पर है, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम अभी भी मातृ मृत्यु दर को कम नहीं कर पाए हैं। कुपोषण और स्वास्थ्य की असुरक्षा के कारण से ऐसा हुआ है। इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें, सरकार ने इस दिशा में कोशिश की है। [अनुवाद] मैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं इसलिए भारत सरकार की योजना से परिचित हूं। संस्थागत प्रसव पर भारत सरकार का पूरा ध्यान केन्द्रित है लेकिन गोवा, केरल, तमिलनाडु, राज्यों में यह प्रतिशत 90 है। मैं पहाड़ से आता हूं, पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं वहां और भी विषमता है। हिमालयी राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरूणाचल, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत ही विषम हैं, जहां दूर-दूर तक चिकित्सालय नजर नहीं आते हैं, उनके लिए काफी कठिनाई है। क्या सरकार उस क्षेत्र के लिए अलग से योजना बना सकती है। हिमालयी बेल्ट के लिए अलग से कोई योजना बननी चाहिए। हम लोगों ने उत्तराखंड में आपातकालीन सेवा 108 शुरू की थी, आपातकालीन सेवा की गाड़ी कुछ मिनटों और सेंकडों में

पहुंचती थी। साढ़े तीन लाख से भी आधिक माँ और बहनों का प्रसव के समय जान बचाई गई थी। हजारों प्रसव चलती हुई एम्बुलेंस में हुए। मेरी मां और बहनें बहुत कठिनाई में हैं। आज इस बात की जरूरत है कि उनके लिए एक अलग से आभियान चलाया जाए जिससे उनका जीवन बच सके। जहां तक शुद्ध पेयजल के लक्ष्य का सवाल है देश में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आंकड़े को हम देखें तो यह चौकाने वाले हैं, जो गंभीर और चिंताजनक हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 88.5 घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है जबकि शहरी क्षेत्र में 95.8 प्रतिशत लोगों को पेयजल मिल रहा है। लेकिन इसमें गुणवता को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 21 प्रतिशत संक्रामक रोग गन्दे पानी के कारण होते हैं। अशुद्ध पेयजल से प्रतिदिन मौतें होती है, पेचिस और दस्त के कारण भारत में 1006 मौतें प्रतिदिन हो रही है, यह बहुत गंभीर विषय है। यदि इसे वर्ष में गणना करें तो प्रतिवर्ष 6 लाख लोगों की मौत गंदे पानी की वजह से होती है। इस चुनौती का मुकाबला करना पड़ेगा, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 88 लोगों को शत-प्रतिशत पानी नहीं मिल रहा है। यदि मैं उत्तराखंड जैसी राज्य की बात करूं जहां भूस्खलन आता है, तमाम स्रोत बह जाते हैं, भूकंप आता है, बाढ़ में बहुत सारी योजनाएं बह जाती हैं, नित्य नए आंकड़े सामने आते हैं, पेयजल का बहुत बड़ा संकट है। कुछ स्थानों पर पानी का स्रोत सूख जाता है। वर्तमान में पर्यावरणीय स्थिति के कारण लगातार पानी के स्रोत सूखते जा रहे हैं। ऐसे में नल से पानी सप्लाई की परेशानियां बढ़ गई हैं। इसलिए जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है, जल आपूर्ति और स्वच्छता परिषद ने यह कहा है कि स्वच्छता के अभाव में प्रति 20 सेकेंड में दुनिया में एक शिशु की मृत्यु होती है। हम स्वच्छता पर ध्यान देकर 15 लाख शिशुओं को मौत के मुंह से बचा सकते हैं। ये 15 लाख बच्चे सिर्फ मौत के मुंह में इसलिए जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

मैं समझता हूं कि देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए इस प्रगति के क्षेत्र में बढ़ने वाले देश को इस दिशा में सोचना चाहिए। यूनीसेफ के अनुसार प्रति व्यक्ति को 20 से 50 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन आज हम उसे छू भी नहीं पा रहे हैं। हम उसे बहुत दूर तक पकड़ भी नहीं पाये हैं। इसलिए पूरे देश में यदि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है और जो सहस्राब्दी लक्ष्य हमें 2015 तक प्राप्त करने

थे, अभी तक हम उन आंकडों को हासिल नहीं कर पाये। उन आंकडों को हासिल करने के बाद उस पर स्थित तरीके से आगे कैसे बढ़ना है, यह भी हमारे सामने चुनौती है।

श्रीमन्, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आयी, उसमें ज्यादा गंभीरता से यह भी कहा गया कि हिन्दुस्तान को अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। हालांकि हमारे उन लक्ष्यों में यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। यदि हम बुनियादी स्वच्छता देखें, तो उन्होंने बीबीसी के रजिस्टरार जनरल एक जनसंख्यक कमिश्नर श्री सी. चन्द्रमोली के हवाले से कहा है कि वर्ष 2000 की जनसंख्या के आधार पर बताया गया कि खुले में शौच आज देश के लिए गंभीर समस्या है और हमारी आधी आबादी खुले में शौच के लिए जा रही है।

श्रीमन्, आश्चर्यजनक विषय यह है कि आज 49.8 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबकि 63.2 लोगों के पास टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है। मुझे लगता है कि यह जो सामाजिक, आर्थिक विषमता है, यह इसका एक जीता-जागता प्रमाण है। इसलिए इन बातों से ये आंकडें इस बात को भी परिलक्षित करते हैं कि हमें सामाजिक और आर्थिक, दोनों विषमताओं को दूर करना पड़ेगा। जब तक हम सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

श्रीमन्, यदि देखा जाये तो इस रिपोर्ट में राज्यों का भी विवरण है। उसमें झारखंड में 77 प्रतिशत, ओडिशा में 76 प्रतिशत और बिहार में 75.8 प्रतिशत लोग आज भी खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। ये सभी बड़े राज्य हैं। मैं बहुत सारे राज्यों के बारे में यहां विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज भी कमोबेश स्थिति अच्छी नहीं है। यूनीसेफ इंडिया ने कहां कि दुनिया के विकासशील देशों में स्थिति अच्छी है। जैसे हम ब्राजील और बंगलादेश में देखेंगे, तो वहां 7 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। चीन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां केवल 4 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। चीन जैसे देश में केवल 4 प्रतिशत लोग ही खुले में शौच के लिए जा रहे हैं, तो हमारी जनसंख्या का 49 परसेंट हिस्सा खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस दिशा में गंभीर प्रयास की जरूरत है।

श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट से स्वच्छ भारत आभियान शुरू हुआ, वह इस दिशा में एक नींव का पत्थर साबित होगा। इसने एक क्रांति मचायी है। इस आभियान में आमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, कमल हासन, सलमान खान, आनिल अंबानी, शशि थरूर, कपिल शर्मा और रितिक रोशन सहित बहुत सारे लोगों को ब्रांड ऐम्बेस्डर बनाया है और उस रूप में नियुक्त करके पूरे देश में एक नये तरीके से काम करने का नया अवसर दिया है।

श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि वर्ष 2019 तक खुले में शौच से भारत को पूर्णतया मुक्त करने का हमारे प्रधान मंत्री जी का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में टीम इंडिया बनायी गयी है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए मोदी जी ने टीम इंडिया बनाई है। इसमें मंत्रिमंडल तो जुटा ही है लेकिन टीम इंडिया भी जुटी है। इसमें मंत्रिपरिषद् के सदस्यगण, आधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और समाज के सभी वर्गों के लोग हैं। अगले पांच वर्षों में 12 करोड़ नए शौचालय बनाने का लक्ष्य है जिसमें 1.96 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग दो लाख करोड़ रुपए व्यय होने की संभावना है। हम इस मिशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालय निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके कारण पहली बार इतने बड़े स्तर पर औद्योगिक, सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के तहत काम हो रहा है। यह औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का सामाजिक दायित्व भी है। तब भी वे लोग काम करना चाहते होंगे, ऐसा नहीं है कि पहले करना नहीं चाहते थे लेकिन अब पहली बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सहभागिता का समन्वय किया है जिसमें लाखों शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।

मैं एक-दो उदाहरण देना चाहता हूं। मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने दो लाख से आधिक शौचालय सहभागिता से बनाए हैं। देश के औद्योगिक घरानों से 1100 करोड़ रुपए शौचालय बनाने की सहमति प्राप्त हुई है। यह इतना बड़ा काम है जो पूरे विश्व में पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है। यह काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुआ है और इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। चाहे कोयला मंत्रालय हो या ऊर्जा मंत्रालय हो, विभिन्न मंत्रालयों ने इस दिशा में आभियान के तहत काम करना शुरु किया है। मैं समझता हूं कि चाहे 'स्वच्छ भारत' का आभियान हो, चाहे 'स्वस्थ भारत' का आभियान हो, 'समृद्ध

भारत' का आभियान हो या 'श्रेष्ठ भारत' का आभियान हो, माननीय मोदी जी का 'श्रेष्ठ भारत' आभियान निश्चित रूप से सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करके ऊंचाइयों को स्पर्श करने की दिशा में बढ़ेगा और पूरा विश्व भारत की ओर नजर लगाए हुए है।

इसमें पर्यावरण संरक्षण की चिंता की गई है। न्यूयार्क में वर्ष 2000 में जब सम्मेलन हुआ था तब यह कहा गया था कि पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा तो देश भी सुरक्षित नहीं होगा, दुनिया सुरक्षित नहीं होगी, आदमी सुरक्षित नहीं होगा, जानवर भी सुरक्षित नहीं होगा, यानी कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। यदि मैं मोटे तौर पर आपको आंकड़े दूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत के 3119 शहरों में से मात्र 209 शहरों के पास सीवरेज है। केवल इतने शहरों में सीवरेज है और वह भी आधा-अधूरा है। यदि 3110 बड़े शहर हैं लेकिन व्यवस्थित सीवरेज केवल 209 शहरों के पास है। यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि जिनमें है, वहां भी पूरे सही तरीके से सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। 2012 के वैश्विक पर्यावरण सुचांक में भारत 155वें स्थान पर है। यह भी बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा देश जो पर्यावरण के प्रति काफी सचग रहता है, 155वें स्थान पर है और हम वायु मंडल की गुणवत्ता के क्षेत्र में समूचे विश्व में 174वें स्थान पर हैं। हम काफी पीछे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में हमारा जो रिकार्ड है, वह और भी ज्यादा खराब है। यह अप्रैल 2015 में 405 पीपीएम को पार कर गया जबकि 350 पीपीएम से ऊपर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। इसमें और भी खराब स्थिति है।

इसी तरह से जल स्वच्छता के मामले में जैसे मैंने कहा कि जो गुणवत्ता वाले देश हैं, उसमें हमारा स्थान 124 है। हम पर्यावरण में जल संसाधन प्रदूषण के मामले में विश्व के 87वें स्थान पर हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में हमें बहुत काम करने की जरूरत है, यहां भी हम लड़खड़ा रहे हैं। हम इस क्षेत्र में तेजी से जल विविधता के संरक्षण में 125वें स्थान पर हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा स्थान सारे विश्व में 127वें पर है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में हम विश्व में तीसरे नम्बर पर हैं।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

ये आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि इस देश में पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यदि गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में और कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री रमेश पोखरियाल, आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

<u>सायं 6.01 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 6 अगस्त, 2015 / 15 श्रावण , 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित